राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] बारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का चौथा दिवस [संख्या : 4

शुक्रवार,

3 मार्च, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

जालौर जिले में जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र

39. **श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जालौर में विगत पांच वर्षों में शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से कितने लाइसेंस जारी किये गये व कितने शेष हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों में जिले में कितने व्यक्तियों को टोपीदार, 12 बोर व रिवाल्वर के लाइसेंस जारी किये गये? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिले में आपराधिक, गुण्डा प्रवृत्ति के लोगों व जिनके विरूद्ध न्यायालय में मुकदमे दर्ज हैं, उनको भी शस्त्र लाइसेंस जारी किये हुए हैं? यदि हां तो किन-किन को?

तारांकित-3 मार्च, 2006-प्रश्नोत्तर

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

(4) क्या सरकार इस प्रकार से जारी शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) जिला जालौर में विगत पांच वर्षों में शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1749 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 1229 व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किये गये, 456 आवेदन पत्र खारिज किये गये तथा 64 आवेदन पत्र शेष हैं। तहसीलवार सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विगत पांच वर्षों में जिले में टोपीदार बन्दूक के 1111, 12 बोर गन के 82 व रिवाल्वर के 36 लाइसेंस जारी किये गये। सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) अब तक सूची परिशिष्ट 'क' में से 29 व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे दर्ज होना पाया गया है। सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(4) अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है जिस पर उनके द्वारा विधिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष : मोबाइल किसका बज रहा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सी.पी. जोशी का बज रहा है।

डा. सी.पी. जोशी : मेरा आप ले जाओ।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। टोपीदार बन्दूक के लाइसेंस देने का अधिकारी तहसीलदार होता है, कुछ तहसीलों में किसी एक तहसीलदार द्वारा एक साथ बहुत भारी संख्या में लाइसेंस दिये गये हैं, जरा इसकी जांच करवाई जाये और जालौर जिले में बिना लाइसेंस हथियार कितने हैं, उनमें से कितने पकड़े गये और उन पर क्या कार्यवाही हुई?

तारांकित-3 मार्च, 2006-प्रश्नोत्तर

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वैसे हमने आपको अपनी तरफ से परिशिष्ट-क लगाया है उसमें हमने बिलकुल प्रत्येक चीज को स्पष्ट किया है। कितने आवेदन हमको प्राप्त हुए, कितने उसमें से दिये। पांच वर्षों में जारी किये गये 12 बोर की तहसीलवाइज सूची आपको दे रखी है। जालौर में 25, आहोर में 20, सायला में 2, बागोड़ा में नहीं, भीनमाल में 17, रानीवाड़ा में 12, सांचोर में 6, कुल 82 हैं। इसी तरह से रिवाल्वर की भी हमने सूची दे रखी है, जिसमें 36 है टोटल। टोपीदार बन्दूक की हमने सूची दे रखी है, इसमें 1111 बता रखे हैं। मैं सोचता हूं, मैंने कोशिश की है कि प्रत्येक चीज का जवाब आपको इन सारी चीजों को देखने के बाद मिल जाये परन्तु अवैध हथियार कितने हैं? यह एकदम तो मैं एट रेंडम नहीं कह सकता हूं। समय-समय पर हमारी पुलिस अवैध हथियारों को पकड़ने का काम करती है, उसके केसेज भी बनाते हैं और अगर कहीं कोई ध्यान में आता है तो हम उस दृष्टि से कार्यवाही करते हैं, पर एग्जेक्ट उनकी संख्या गिनकर बताना तो मुश्किल है। अगर मैं यह बताऊं इसका मतलब है कि फिर मुझे जानकारी है और फिर भी मैं कार्यवाही नहीं कर रहा हूं, ऐसा मेरे पर आरोप लगेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो 1111 टोपीदार लाइसेंस का आपने उत्तर में जिक्र किया है, क्या यह सही है कि एक तहसीलदार तीन तहसीलों में वहां कार्यरत रहा है और 1111 लाइसेंस में से 500 से अधिक टोपीदार लाइसेंस एक ही तहसीलदार ने दिये हैं और उसमें उन लोगों को भी दिये हैं जिनके खिलाफ गम्भीर किस्म के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, नम्बर एक? नम्बर दो, जिन लोगों को आपने यह पिस्टल, रिवाल्वर और ये सारे लाइसेंस जारी किये हैं, उनमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लाइसेंस जारी होने के बाद अस्त्र नहीं खरीदे और आपने उनके लाइसेंस निरस्त किये हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वैसे हमने इस प्रश्न का पूरा जवाब मंगाने पर बिलकुल ढूंढकर निकाला कि ऐसे कितने लोग हैं जिन पर किसी प्रकार के मुकदमे हैं। फिर भी लाइसेंसी आज की तारीख में है। 29 लोगों के ऐसे प्रकरण हैं, उन 29 में से केवल चार प्रकरण ऐसे हैं जो लाइसेंस जारी के पहले भी उन पर मुकदमे थे, उसके बाद भी लाइसेंस उनको जारी हुए पर वह बहुत सामान्य किस्म के मुकदमे थे। एक मुकदमा जरूर हमारी छानबीन में से आया है। यह

तारांकित-3 मार्च, 2006-प्रश्नोत्तर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जो रामकिशन पुत्र श्री मोतीजी, इनको लाइसेंस जारी किया हमने 6.3.87 और इन पर एक गुजरात में एन.डी.पी.एस. एक्ट में एक मुकदमा 111/86 दर्ज था। पहले मुकदमा दर्ज होते हुए भी 1987 में इनका लाइसेंस बना। यह केस आपके इस प्रश्न के माध्यम से हमारे ध्यान में आया, हम निश्चित रूप से देख रहे हैं कि किसने यह गलती की? समय पर सूचना हमारे पास थाने में आनी चाहिए, वह नहीं आई, गुजरात में हो चाहें कहीं का हो। दूसरा, दुर्जन सिंह का है। इनका प्रकरण 2000 में दर्ज हुआ था पर एक सामान्य किस्म का था 341-323 का। मैं सोचता हूं शायद पर एकदम एग्जेक्ट नहीं कह सकता हूं पर एक सामान्य किस्म का था। हो सकता है कि जब हमने जारी किया था 2003 में, मुकदमा था 2000 का तो यह सूचना भी मेरे पास नहीं आ पाई थी कि उस समय तक मुकदमा खतम हो चुका था या उसके समय में पेंडिंग था पर मुकदमा उसमें दर्ज था। इसी तरह से एक और है, रडमा उर्फ रिडमलराम का, इनका भी इसी तरह का एक 341-323/34 का मुकदमा था। यह 1995 में दर्ज था और 1998 में इनका लाइसेंस जारी हुआ है। बाकी तो 1991 का एक केस है। कहीं पर 1995 में दर्ज था और फिर भी 1998 में लाइसेंस बना है। इसके बाद एक मुकदमा जरूर लगता है कि रमेश कुमार पुत्र लालजी जो 2000 में दर्ज है, वह आबकारी अधिनियम के तहत था, वह वास्तव में मुकदमा जिस तरह का था, दर्ज होने के बाद अगर वह 2002 में जो इनका लाइसेंस जारी हुआ, मैं इसकी जांच करूंगा कि अगर यह जानकारी में होते हुए भी जिस किसी ने लाइसेंस देने वाले अधिकारी ने इसको किया तो वह व्यक्ति कौन था, किसके कारण से हुआ है, इसमें जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह मैं निश्चित रूप से करूंगा।

श्री संयम लोढ़ा : गृह मंत्रीजी, आपने मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये। मैंने पहला यह पूछा है कि आपने जो 1111 टोपीदार लाइसेंस जारी किये हैं, एक ही तहसीलदार जालौर जिले में तीन जगहों पर तहसीलदार रहा है और 500 से ज्यादा लाइसेंस उसने जारी किये हैं और दूसरा, जिन लोगों को आपने लाइसेंस जारी किये, उनमें ऐसे कितने हैं जिन्होंने शस्त्र नहीं खरीदे और नहीं खरीदने के कारण आपने लाइसेंस निरस्त किये। दो बातें मैंने आपसे पूछी हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह जो आपने टोपीदार लाइसेंस के बारे में पूछा है....

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल खांट। जरा इनको भी पूछ लेने दीजिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी बताने का श्रम करेंगे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर विशेष शांतिप्रिय इलाका है और वहां पर मौत-मरण और ऐसे त्यौहारों पर टोपीदार बन्दूकों का उपयोग लिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने टोपीदार लाइसेंस हेतु आवेदन कर रखा है और जिनके ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं है, इनके लाइसेंस रोकने का क्या कारण है? और विशेष रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वहां पर हमारा विशेष शांतिप्रिय इलाका है, कम से कम मौत-मरण और सामाजिक फक्शनों में हम लोग टोपीदार बन्दूक का उपयोग करते हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसमें आप कोई...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो अलग से प्रश्न है। आप जवाब देना चाहें तो दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह तो नहीं बता सकता कि उस समय कौन तहसीलदार तीन तहसीलों में था क्योंकि मेरे पास इनकी जानकारी तो नहीं है। (व्यवधान) मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात को आप सुन लें। जो टोपीदार बन्दूक के लाइसेंस बने हैं, वह मैंने आपको बताया है। जालौर में 60 बने, आहोर में 217 बने, सायला में 196 बने, बागोडा मे 150 बने, भीनमाल में 410 बने। निश्चित रूप से यह जो जिन तहसीलों में अधिक बने हैं, पर टोपीदार बन्दूक के लाइसेंस हैं, जिसमें सामान्यतः अगर उसके खिलाफ कोई केस है तो नहीं बनता है। बाकी सामान्यतः किसान को यह देते हैं और मैंने जो आपको बताया है और जो मैंने रिजेक्ट किये हैं, वह भी लिस्ट मेरे पास पूरी है। यह जो मैंने जारी किये हैं, उसकी पूरी एक-एक व्यक्ति की सूची इसके साथ है। जिनके खिलाफ मुकदमा है और विभाग ने जिनको मुकदमों को ध्यान में नहीं रखा, उसकी मैंने आपको डिटेल दी है और अब वहां तहसीलदार कौन तीन तहसीलों में था, यह मेरे पास इस समय एकदम तुरन्त उपलब्ध नहीं है कि कौन व्यक्ति तीन तहसीलों में था और उसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

द्वारा जारी हुए, अगर इसमें भी कहीं आपको लगता है कि इंटेशनली किसी आदमी ने किया है तो मैं फिर से इसको दिखवा दूंगा, अगर कोई इंटेशनली उसने कुछ किया है तो जो भी कानून के तहत मुझे अधिकार प्राप्त है उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री संयम लोढ़ा : आपने कितने लाइसेंस निरस्त किये जिन्होंने अस्त्र नहीं खरीदे...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप हर बार इस तरह से मत खड़े हुआ करें...

श्री संयम लोढ़ा : उसका आपने उत्तर नहीं दिया है। लाइसेंस जारी होने के बाद कितने लोगों ने शस्त्र नहीं खरीदे और इस वजह से आपने उनके लाइसेंस निरस्त किये हैं या नहीं किये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं कि जिनको मिल गये और उनमें से कौन से निरस्त हुए, यह सूची मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन जो एप्लीकेशंस इन दिनों में जो लगी थीं उनकी सूची जरूर है कि इतने हमने निरस्त किये, वह तहसीलवाइज भी सूची है, नामवाइज भी है।

जहां तक बांसवाड़ा के माननीय सदस्य ने कहा टोपीदार बंदूकों के बारे में, हमने अभी 16.8 को ही फिर डाइरेक्शन जारी किये हैं, उस डाइरेक्शन में कहा कि अधिक से अधिक 60 दिन के अंदर-अंदर एस.पी. को आपने नीचे की सारी रिपोर्ट कम्पलीट करके, थाने की करके और कलक्टर तक पहुंचानी होगी। कलक्टर को 30 दिन का समय दिया है, उस 30 दिन में उसका निस्तारण करना है। यदि वह किसी कारण से उसको ठीक नहीं समझता है तो इसका निस्तारण करके रिजेक्ट करना है, पर 90 दिन उसकी मेक्जिमम सीमा हमने दी है और हमने यह, क्योंकि एक प्राक्कलन समिति की जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जब यह सवाल खड़े हुए थे तो हमारे सारे अधिकारियों ने जानने के बाद, सितम्बर में उनकी मीटिंग हुई, 16.8 के दिन हमने अपने सारे नये आदेश जारी किये और एक बार फिर समय की ठीक तरह से पालना हो, इसका प्रयास किया है। अभी तक कोई सौ प्रतिशत उसका पालन हो रहा है, ऐसा दावा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो

समय सीमा उनको निर्धारित है उसमें ही अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दें और अगर उनको देना है तो दे दें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री प्रद्युमन सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। ओनली वन क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : आल राजस्थान का आल इंडिया करने में भी छह-छह महीने लगते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। एक लाइसेंस आल राजस्थान है और आल इंडिया करने के लिए भी छह-छह महीने लग जाते हैं जबकि जिला कलक्टर, नागौर ने अभिशंसा कर दी, आज तक वह लाइसेंस आल राजस्थान से आल इंडिया नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बारह मिनट हो गये, अब आप किसलिए खड़े हैं। आप किसलिए खड़े हो गये। (व्यवधान) बारह मिनट हो गये हैं, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक सवाल। एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : यह क्या मतलब हुआ, कितने प्रश्न पूछेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं-नहीं, वह तो आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो एक सवाल पूछ सकता हूं, वरना नहीं पूछूंगा।

श्री सी.डी. देवल : जब यह खड़े हुए तब से मैं हाथ खड़ा किये हूं। + + +

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका विरोध पक्ष के प्रति नरम रुख तो है नहीं, आजकल तो बहुत कड़ा रुख है आपका विरोध पक्ष के प्रति, अगर आप चाहें तो एक सवाल पूछ लें, एक सवाल पूछना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है, एक सप्लीमेंट्री पूछ लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : If you allow, only then I will ask. Otherwise I will not ask. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : औरों को बैठाइये पहले, औरों को बैठाइये तब आपको इजाजत दूं मैं। आपके पीछे जो खड़े हैं उनको बैठाओ आप।

श्री सी.डी. देवल : साहब, मैं तो जब खड़े हुए उसके बाद से पूछ रहा हूं, हाथ खड़ा कर रहा हूं। +++

श्री अध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं आप?

श्री सी.डी. देवल : मैं उस समय से हाथ खड़ा कर रहा हूं, आप.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं आप?

श्री रामनारायण चौधरी : आसन का रूख बहुत कठोर होता जा रहा है...

श्री अध्यक्ष : आप प्रतिपक्ष के नेता, इस माइक को पकड़ कर मत खड़े हुआ करो आप, इससे खराब हो जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन का रुख बहुत कठोर होता जा रहा है, इसमें प्रतिपक्ष को आपत्ति है। अगर आप सदन को सुचारू रूप से चलाना चाहती हैं तो आपको हमारा सहयोग देना होगा।

डा. सी.पी. जोशी यह ठीक नहीं है। + + +

श्री रामनारायण चौधरी : + + + (व्यवधान)

डा. .सी.पी. जोशी : + + +

श्री रामनारायण चौधरी : आप बहुत कठोर हैं....

डा. सी.पी. जोशी : हर बार इश्यू बन जाता है..

श्री सी.डी. देवल : आखिर यह आपसे सीनियर हैं, यह भी इस कुर्सी पर रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : एक मिनट, आप बिराजो न साहब। अध्यक्ष महोदय, हम सीरियस कन्सर्न करते हैं, + + + आप खुद की, आसन की

(डा. सी.पी. जोशी)

जिम्मेदारी है, जो हमने फैसला किया था कि लीडर आफ द हाउस और लीडर आफ द अपोजीशन खड़े हों, उसके सामने कोई नहीं बोलें और +++ (व्यवधान)

श्री माननीय सदस्य : आप हर बार ही खड़े होते हैं बार-बार।

डा. सी.पी. जोशी : What message do we want to give? + + + you see, in the history of two and a half years, + + +

श्री अध्यक्ष : ना-ना।

डा. सी.पी. जोशी : You should discourage it. You should patronise we people +++ This is not desirable. At least, we expect from you, being s senior parliamentarian, आपको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमारे लीडर को ही आप कह देंगी तो हम क्या बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह तो हद हो गई।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, नियमों में यह प्रावधान है कि कम से कम एक दिन में बारह प्रश्नों का जवाब आये।

डा. सी.पी. जोशी : यह ढाई साल से प्रावधान है? पचास साल से प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, सुनिये।

डा. सी.पी. जोशी : जब आप पिक एण्ड चूज करें तब नहीं हो सकता। You see the history, आपके टेन्योर में आधे-आधे घंटे तक क्वेश्चन हुए हैं, स्ट्रिक्ट एक ही दिन होंगी क्या आप। आपको खुद को सीएलपी लीडर को करना चाहिए, सीनियर आदमी हैं, आप कमेंट करती हैं सीनियर आदमी को।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी उदारता का गलत, नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : सीनियर लीडर को भी आप नहीं जानना चाहते, नये को नहीं जानना चाहते हैं, this is not the way to conduct the House आप सीएलपी को नहीं बोलने देना चाहो तो क्या मतलब है। You always come out with sarcastic remarks. (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप क्या कहना चाहते हैं (व्यवधान) वह बोल रहे हैं हमारे आदमी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जब आप खड़े थे...

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता, माइक को यों न करें आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके माननीय सदस्य खड़े हो गये, आपके सदस्य तो आपको बोलने नहीं देते।

श्री रामनारायण चौधरी : उनको बोलने का अधिकार है, आप विघ्न नहीं डालें, रोकने का काम आसन का है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप विराजिये। आप विराजिये महावीरजी। आप खड़े हैं, आप खुद खड़े हुए हैं। आप भी खड़े हो, आप क्या बैठाओगे। आप क्या कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप क्यों खड़े हैं।

डा. सी.पी. जोशी : आप काहे के हैड हैं, आप चीफ व्हिप हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप क्यों खड़े हैं।

डा. सी.पी. जोशी : मैं तो एम.एल.ए. हूं, आप चीफ व्हिप हैं, आप ध्यान रखिये I am an MLA, you are Chief Whip. आप रूलिंग पार्टी के चीफ व्हिप हैं, मैं तो एम.एल.ए. हूं।

डा. सी.डी. देवल : महावीर प्रसादजी, आप जो कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। आपकी नेता बोलेगी तो हम भी सब खड़े हो जायेंगे। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : Please enforce the rules. आपको नियम तोड़ करके ही चलना चाहिए, आप पार्टी के चीफ व्हीप हैं रूलिंग पार्टी के।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं इसलिए खड़ा हूं कि जो तय हुआ है... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह रूलिंग पार्टी के चीफ व्हिप हैं, I am simply an MLA. यह क्या एग्जाम्पल देना चाहते हैं, (व्यवधान)

तारांकित-3 मार्च, 2006-प्रश्नोत्तर

श्री सी.डी. देवल : कल प्रतिपक्ष के नेता खड़े थे, आधे-आधे घंटे क्यों चलता रहा अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बोलने के लिए..

श्री सी.डी. देवल : कल आधा घंटे कैसे चला। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : रोकने का काम आपका नहीं है, रोकने का काम आसन का है।

श्री सी.डी. देवल : आप इनको बैठाते नहीं हैं महावीर प्रसादजी सब जगह खड़े हो जाते हैं, सीएलपी लीडर के सामने...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको नेता नहीं मानते वह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, आपके भाव से ऐसा लगा कि आपने कृपापूर्वक मुझको अलाउ कर दिया है, ऐसा आभास लगा, अभी भी अगर आप मुझे..

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह परम्परा नहीं है हाउस की, नैक्स्ट क्वेश्चन काल हो गया आपको अलाउ कर दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी भी आप नहीं चाहती हैं, मैं नहीं पूछूंगा। अगर आप नहीं चाहती हैं तो मैं नहीं पूछूंगा। आप कहें कि हां पूछिये, तब तो पूछूंगा वरना मैं कतई नहीं पूछूंगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एक नई परम्परा डाल रहे हैं अध्यक्षजी, आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : और यह मानकर, यह तो आज ही आ गया सदन के अंदर...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नैक्स्ट क्वेश्चन काल हो गया और इनको अलाउ करें हम।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कि आसन का रुख विपक्ष के प्रति बहुत कठोर होता जा रहा है..(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ना अध्यक्ष महोदय। इनको अलाउ नहीं करेंगे आप। अध्यक्ष महोदय, नई परम्परा डाल रहे हैं आप, नैक्स्ट क्वेश्चन काल हो गया और आपने इनको परमिशन दे दी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपको कटु शब्द इस्तेमाल कर नहीं सकता, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सत्ता पक्ष का था, मैंने जान बूझकर प्रतिपक्ष को बोलने का, सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दिया, यद्यपि इधर से भी खड़े थे, माननीय सदस्य इधर से भी खड़े थे और इस तरह से आप आक्षेप यदि लगाते हैं कोई सदन के ऊपर, तो आप जैसे सदस्य से मैं यह उम्मीद नहीं करती हूं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा आक्षेप सिर्फ इतना ही है कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, हमारे सदस्य राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैं उसको दूसरे शब्दों में कह रहा हूं..

श्री रघुवीर सिंह मीणा : नीतिगत बात है...

श्री अध्यक्ष : अब आप खड़े क्यों हैं, एक को बोल लेने दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कि आपका रुख जो है विपक्ष के प्रति बहुत कठोर होता जा रहा है दो दिन में और पूर्व में था तो उसके बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रति तो मेरा रुख कठोर नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो आपकी कृपा है। मैंने विपक्ष के प्रति कहा है। मैं अब आपसे यह पूछना चाहता हूं आपके मार्फत.....

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपके प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : +++ यह भी आसन के लिए शोभनीय नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि सत्ता पक्ष का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता, आप आसन पर आक्षेप लगा रहे हैं, यह शोभनीय नहीं है, I am very Sorry.

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, आक्षेप नहीं है।

एक माननीय सदस्य : बहुत गम्भीर बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह आक्षेप नहीं है, आप खुद...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : I am very sorry मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। (व्यवधान) विपक्ष के नेता यह बात कह रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसा होते ऐसा किया है, क्यों कहा आसन ने। आसन खुद ही कह रहा है।

श्री अध्यक्ष : क्या?

श्री रामनारायण चौधरी : क्या कहा, आप दिखवा लीजिये। आसन खुद ही कह रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह क्या गलत कह दिया मैंने, क्या गलत कहा।

श्री रामनारायण चौधरी : कि आप पर मैंने अहसान किया है।

श्री अध्यक्ष : जब आपको मौका दिया तो मैंने कहा आपके प्रति तो कठोर नहीं हूं। आप क्यों कह रहे हैं ऐसा।

श्री रामनारायण चौधरी : कहां मौका दिया?

श्री अध्यक्ष : यह क्या गलत कह दिया। लेकिन आपने जो कुछ कहा है...

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने क्या कह दिया.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन के प्रति प्रतिपक्ष के नेता से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि आसन के प्रति इस तरह की बात करें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं-नहीं, हमने आसन के प्रति कोई अनादर नहीं किया। हम तो यह कह रहे हैं कि आसन, हम तो यह कह रहे हैं कि आसन कठोर हो रहा है, तो यह कहने का अधिकार है, यह पार्लियामेंट्री वर्डस है, कठोर है आसन। हम यह नहीं कहते पक्षपात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विपक्ष के नेता, आसन की एक मर्यादा है, आसन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की गरिमा है, आसन की मर्यादा है, आप तो हमें कुछ सिखने के लिए हैं, इतने वरिष्ठ आप हैं, आप आसन को ही कह रहे हैं, आसन को सीधा चार्ज कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिपक्ष की मर्यादा नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन पर सीधा आक्षेप लगा रहे हैं, कम से कम आपसे उम्मीद नहीं है ऐसी। आप कई वर्षों तक इस सदन में रहे हैं। आसन सर्वोपरि है, आसन की गरिमा है, आसन का सम्मान करना हम सब का फर्ज है, नियमों और प्रक्रियाओं में प्रावधान है।

श्री सी.डी. देवल : आसन का मतलब यह नहीं है कि ऐसी इकतरफी कार्यवाही करें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हमारे जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है हाउस चलाना।

श्री सी.डी. देवल : आसन न्याय करे।

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये, सुनिये साहब, सी.पी. साहब। जो गरिमा का पाठ आप मुझे पढ़ा रहे हैं वह पाठ मैं उस समय से जानता हूं जब आप पानी को पू कहते थे, पानी को आप पू कहते थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसीलिए मुझे अफसोस है कि आप उस समय से सदन में आ रहे हैं जब पानी को मैं बू कहता था और उसके बाद आसन पर इस तरह का हस्तक्षेप, आसन पर इस तरह का आरोप आपके द्वारा, इसीलिए मुझे अफसोस है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह नेता के सामने खड़े हैं, क्या आरोप दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, खुद ही यह पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, यह पार्लियामेंट्री मिनिस्टर एग्जाम्पल दे रहे हैं, सीएलपी लीडर के सामने खड़े हुए हैं, You want to set an example? पार्टी चला रहे हैं, राज कर रहे हैं आप। आप राज कर रहे हैं हम जो विरोध कर रहे हैं, हमें तो हल्ला करने दो, राज करने के बाद में अक्ल नहीं है, क्या बातें कर रहे हैं आप। (व्यवधान) इसलिए अक्ल नहीं है आपमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करो-करो।

तारांकित-3 मार्च, 2006-प्रश्नोत्तर

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, फिर कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपके चेम्बर में मीटिंग हुई, आपने एक एग्जाम्पल सैट किया और +++ हम कहना चाहते हैं, हमने कल प्रश्न लगाया गृह कर का, आज आपने सात बजे लगा दिया गृह कर का, यह अपोजीशन के प्रति आपका रुख है अध्यक्ष महोदय। जो एक क्वेश्चन डेफर किया, उसको लगा दिया आपने लास्ट में।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप अपने चैम्बर में मीटिंग कराओ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा कराएंगे न आपकी।

डा. सी.पी. जोशी : कब करायेंगे, 8 बजे रात को?

श्री अध्यक्ष : हमेशा रात को होती है।

डा. सी.पी. जोशी : 7 बजे तो हाउस खतम होगा आपका कब चर्चा करायेंगे?

श्री अध्यक्ष : हमेशा बाद में होती है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप फिर याद कर लें स्थगन प्रस्ताव पर हमने आपको कहा था कि मौका देते हैं तब भी आपने कहा कि नहीं होता है। आपकी या तो याददाश्त ठीक नहीं है या आपकी मेमोरी में कोई तकलीफ हो गयी है।

श्री सी.डी. देवल : ... (व्यवधान) ... पक्षपात की उम्मीद नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, लोग बाग आसन से उम्मीद करते हैं।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : लाइसेंस का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात पूछना चाहता हूं सिर्फ।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, 7 बजे क्या इस सदन में तो रात को एक-एक बजे तक चर्चा हुई है मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इतनी गम्भीरता से लेकर पहली बार आधा घंटे की चर्चा दी है और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 7 बजे लगा दी। यहां तक एक-एक बजे तक चर्चा हुई है विधान सभा में। 7 बजे कोई आपका समय बिगड़ रहा है क्या?

डा. सी.पी. जोशी :.....(व्यवधान).... यह कोई नियम है आप उठा कर के देख लीजिये आप नियम को जब चाहें तब यूज कर लें आप। आपको गवर्नर की डिबेट के पहले लगानी चाहिए थी यह और आपने गवर्नर की डिबेट के बाद में लगाया। आप क्या इम्पोर्टेंस करना चाहते हैं?

श्री सांवर लाल : 7 बजे की तकलीफ आपको भी महसूस हो रही है क्या?

डा. सी.पी. जोशी : आपने गवर्नर की डिबेट के बाद लगाया आप उठा कर देख लीजिये कोई भी बात विपक्ष उठाये उस पर आप डिबेट नहीं करना चाहते हैं..(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आसन के प्रति जितने भी आरोप लगाये कृपया आप उनको देख कर विलोपित करें। यह नहीं चलेगा, हम चुपचाप बैठे हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : बंद करिये नहीं चलेगा तो। 6 महीने पहले क्या कर लिया आपने?...(व्यवधान).. बंद करिये हाउस को कोई जरूरी थोड़े ही है हाउस चले यदि हाउस को चलाने की जिम्मेदारी हमारे पर है तो इनकी भी जिम्मेदारी है ...(व्यवधान)

श्री महिपाल सिंह यादव (बानसूर) : सिंचाई मंत्रीजी, 8 बजे रात का समय नजदीक आ जाता है न इसलिए गम्भीरता खतम हो जाती है।

श्री सांवर लाल : मैं तो यह सोच रहा हूं कि आपका भी 8 बजे का समय आता है क्या?

श्री महिपाल सिंह यादव : 8 बजे बाद तो सरकार का ही नहीं पता रहता है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को जो 12 सवाल का आपने कहा है अगर..।

श्री रामनारायण चौधरी : ..(व्यवधान)... आपके सामंत रहे हैं। सामंती परम्परा और नौकरशाही की परम्परा यहां नहीं चलती है। सदन चलाना आपको है अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो मत चलाओ हमें क्या आपत्ति है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके सहयोग से चलायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : चलाओ। हमें क्या धमकी दे रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन.. व्यवधान.. आप नहीं चाहते तो नहीं चलेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है सामान्यतया गवर्नर साहब के एड्रेस पर जब डिबेट होती है तो इस प्रकार के मुद्दे जीरो आवर में ही उठाये जाते हैं। दोनों पक्षों की सहमति से कभी-कभी एकाध उदाहरण के अलावा कोई भी उदाहरण नहीं है। इस प्रकार की चर्चा जिसको आपने नियत किया है वो प्रश्नकाल के बाद तत्काल लेनी चाहिए यह हाउस की परम्परा रही है पहले से। आप उठा कर देख लें रिकार्ड। अब माननीय सदस्यों की जिस तरीके से मांग है उसके आधार पर आपको इसको मंजूर करना चाहिए 7 की जगह जीरो आवर में ही हाउस टैक्स के बारे में डिबेट करानी चाहिए क्योंकि प्रेस भी इसके बाद चली जाती है फिर उसका मतलब ही नहीं रहता है चर्चा का। इसलिए आप इसको इस वक्त में करायें और प्रश्नों के बारे में मंत्री तैयारी करके नहीं आते हैं कम से कम दो-चार सप्लीमेंट्री तो हर प्रश्न में होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हो रही है न सप्लीमेंट्री, कब नहीं हुई सप्लीमेंट्री?

डा. बुलाकीदास कल्ला : कल भी सप्लीमेंट्री नहीं हुई थी।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रेस के बारे में आप कह रहे हैं प्रेस तो रात को दो-दो बजे तक यहां रहती है। आपको जो बोलना है और छपाना है प्रेस बैठी रहती है इसलिए आपको प्रेस की चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

श्री गुलाब चंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस प्रश्न के उत्तर में अगर कहीं आप कोई कमी खामी पायें तो सदन के बाद भी अगर आप मुझे कहेंगे तो सदन जैसा ही मान करके उसके खिलाफ भी कार्यवाही करने में कोई हिचकने का सवाल नहीं करूंगा।......(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं आपसे कि हजारों पशुपालक राज्य से बाहर अन्य राज्यों में जाते हैं..।

श्री सी.डी. देवल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये पहली बार खड़े हुए और आप..(व्यवधान).. तुम विधान सभा के सदस्य नहीं हो, आप यह फैसला कर दें। कोई बात नहीं हम बाहर चले जाएंगे लेकिन आप बोलने ही नहीं देते हैं यह क्या बात हुई? हम भी निर्वाचित होकर आये हैं...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : .. और प्रतिवर्ष उनके साथ में लूट होती है लुटेरे लूट कर चले जाते हैं उनके मवेशियों को और उन्होंने लाइसेंस के लिए एप्लाई कर रखा है उन कितने पशुपालकों को आपने लाइसेंस जारी किये हैं जो प्रदेश से बाहर जा रहे हैं और उन्होंने एप्लाई कर रखा है लाइसेंस के लिए?

श्री सी.डी. देवल : स्पीकर का काम न्याय करना है विधान सभा अध्यक्ष से अपेक्षा की है कि सबके साथ न्याय करें। कल जब शिक्षा का प्रश्न आया था तो आपने आधा घंटा चलाया... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिन लोगों ने एप्लाई कर रखा है, मैं आप सब लोगों को...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : पाली जिले में 20 पशुपालकों ने एप्लाई किया है और मंत्री महोदय उनको लाइसेंस जारी नहीं हुए हैं जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पत्र जारी करके मेरे पास में भी भेजा हे कि इनको लाइसेंस जारी किये जाएंगे।

श्री सी.डी. देवल ...(व्यवधान)..; इस तरह सदन चलता है तो सदन का चलने का कोई मतलब ही नहीं है। बोलना बर्दाश्त नहीं हो तो अध्यक्ष महोदय, आप फैसला कर दो।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में जिन माननीय सदस्यों ने इस विषय में प्रश्न पूछे उनको भी सूचीबद्ध किया है....

श्री अध्यक्ष : हां, अब अंकित किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ... इस विषय में प्रश्न थे प्रमोदजी भाया का, रामनारायणजी मीणा का, वीरेन्द्रजी मीणा का, भरत सिंहजी का इन सबके प्रश्नों को मैंने वापस टटोला और उसके आधार पर मैंने 16 अगस्त के दिन पूरे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

डाइरेक्शन जारी किये हैं कि इस तरीके से आप इसको निपटायेंगे अधिक से अधिक 90 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे चाहे वो कलक्टर तक होगा। अगर आपको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दीजिये आपको स्वीकार करना है तो स्वीकार करिये अगर वापस उसको नवीनीकरण करना है तो उसके लिए भी 60 दिन की समयावधि में पूरा करें। जिनके फादर की डैथ हो गयी और लाइसेंस उनके पास आना है उसमें भी अगर डिले हो रहा है तो उस डिले को भी समाप्त करके जो एक प्रप्रोर्मा है जिसमें उसके परिवार के सब लोगों को उस व्यक्ति के नाम से वो जो शस्त्र ट्रांसफर करना है वो अगर पत्र भरेंगे अगर वो एलिजेबल होगा लाइसेंस के लिए तो निश्चित रूप से उसको 60 दिन में जारी कर दिया जाएगा उसके बाद भी आपको कहीं मैं सोचता हूं, कि प्रश्न के सभी कार्नर से मेरे पास रिकार्ड है पर समय बचाने की दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि आपको कहीं भी कोई कमी लगती है जहां पालना नहीं हो रही है ये डाइरेक्शंस मैंने अभी एक तारीख को और दिये हैं कि इसके लिए कलक्टर स्वयं जिम्मेदार होंगे या तो उसको 90 दिन में इसको डिस्पोज ओफ करना है या रिजेक्ट करना है, जो भी उसके पास कारण हैं मैं सोचता हूं कि आप सब के प्रश्नों के आधार पर ही प्राक्कलन समिति के सुझावों के आधार पर ही मैं सारे के सारे डाइरेक्शंस जारी कर चुका हूं। उसकी पालना हो रही है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि थोड़ी बहुत कमी खामी होगी तो और सुधारेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सवाल मंत्रीजी के उत्तर का नहीं है प्रश्न यह है कि आसन द्वारा जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने से पहले ही आप कह देते हैं कि आप क्या बोलेंगे, यह अच्छी बात नहीं है। हमने आपसे उस दिन सर्वदलीय बैठक में भी निवेदन किया था और आपने स्वयं ने ही डाइरेक्शंस दिये थे कि जब नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर बोलेंगे तो कोई माननीय सदस्य बीच में रोक-टोक नहीं करेंगे वो बोलें जो कुछ बोलें आप बोलने से पहले ही कह देते हैं कि आप क्या बोलेंगे। यह बात ठीक नहीं है हमारा विरोध इस बात को लेकर है माननीय अध्यक्ष महोदय।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप झुंझुनूं की मीटिंग में गये अध्यक्ष की हैसियत से नहीं गये थे आप एक एम.एल.ए. की हैसियत झुंझुनूं की मीटिंग में गये और जिला परिषद की मीटिंग में राजस्थान विधान सभा का

(डा. सी.पी. जोशी)

अध्यक्ष झुंझूनूं की जिला परिषद में वाक आउट करके आ जाए और आपने कहा सदन में कि मैं एम.एल.ए. की हैसियत से गयी थी। यहां भी आप जो बात करते हैं, चेयर के साथ आप एक एम.एल.ए. भी हैं यदि आप एम.एल.ए. की हैसियत से सी.एल.पी. लीडर को टोकते हैं तो फिर क्या एग्जाम्पल सैट करेंगे आप। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह ज्यादा जरूरी है कि एम.एल.ए. की हैसियत से भी और लीडर की हैसियत से भी आपको और अध्यक्ष महोदय, आप ...(व्यवधान)... ढाई साल से...।

श्री अध्यक्ष : आप किस संदर्भ में कह रहे हैं यह सब?

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम चार बार आपके चैम्बर में मिले जब सी.एल.पी. लीडर कल्ला साहब थे तब भी आप इनको टोकते रहते थे हमने बार-बार आपसे यह बात कही है हमारे सी.एल.पी. लीडर हो चाहे पार्टी का लीडर सी.एम. हो जब भी बोलें आप टोके नहीं। आप एक तरफ तो सी.एम. जब बोलती हैं तो आप टोकना नहीं चाहती और सी.एल.पी. लीडर जैसे ही खड़े होते हैं तो आप कहते हैं कि आप क्या बोलेंगे, आपकी क्या बात है, आप बुजुर्ग आदमी हैं। यह अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है एक अध्यक्ष इस तरह कमेंट करे। इसका मतलब यह है कि अध्यक्ष अभी इम्पार्शल नहीं है, अध्यक्ष के मन में भी अपनी पार्टी के प्रति लायल्टी है। इम्पार्शलिटी को रोकिये, अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री सांवर लाल : झुंझुनूं जिला परिषद में एम.एल.ए. की हैसियत से की जा सकती हैं। और माननीय सदस्य यहां पर अध्यक्ष की हैसियत से ही बैठेंगी।

डा. सी.पी. जोशी : जब तक सी.एल.जी. लीडर को सम्मान नहीं दिया जाएगा ..(व्यवधान)... तब तक सदन ...(व्यवधान).. नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं बताइये आप झुंझुनूं जिला परिषद में एम.एल.ए. की हैसियत से मीटिंग में गयी थीं..।

श्री सांवर लाल : झुंझुनूं जिला परिषद में एम.एल.ए. की हैसियत से जाएंगी और राजस्थान के सर्वसम्मत अध्यक्ष हैं इसलिए यहां पर अध्यक्ष की हैसियत से बैठी हैं और चेयर का अपमान करने का आपको अधिकार नहीं है आप भी मंत्री रहे हैं आप भी जाते थे जिला परिषद की बैठकों में। आप एम.एल.ए. की हैसियत से जाते थे।

तारांकित-3 मार्च,2006-प्रश्नोत्तर

डा. सी.पी. जोशी : मान लिया.. (व्यवधान)... ये भारतीय जनता पार्टी की हैसियत से....(व्यवधान)... अध्यक्ष का सम्मान करने की जिम्मेदारी हमारी है अध्यक्ष के सम्मान के साथ..(व्यवधान)..

श्री सांवर लाल : यह कतई जायज नहीं है। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री वासुदेव देवनानी : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय गृह मंत्रीजी आपका सत्ता पक्ष गरिमा का पाठ हमें पढ़ा रहा है और वह लोग पढ़ा रहे हैं जब हम यहां आये उस समय वह पानी को पू कहते थे और सारा सत्ता पक्ष जो आज विराजमान

(श्री रामनारायण चौधरी)

है वह सब मेरे बाद में आया हुआ है, सब मेरे से बाद में जन्मे हुए हैं। मेरे से पहले जन्म लेने वाले तो चले गये दिल्ली या मेरे से पहले जन्म लेने वाले हैं स्पीकर साहब। यह तो अगर मुझे कुछ कहें, यह मुझे गरिमा का पाठा पढ़ायें, गंगारामजी तो इधर के हैं ही नहीं यह तो हमारे यहां से पैदा हुए थे और उधर बहिर्गमन कर गये और फिर इधर आ गये अब वहां हैं कोई जरूरी नहीं कि आपके पास रहे ही क्योंकि आपने इनको कोई सम्मान नहीं दिया। इनको सम्मान नहीं मिलने का कारण भी हम ही हैं क्योंकि यह हमारे थे इसलिए आप लोगों ने नहीं बनने दिया। आप मुझे पाठ पढाये मैं मानता हैं, उम्र में मेरे से छोटी हैं, मेरे से बहुत जूनियर हैं, इनकी शादी मैं करवा कर लाया था फिर भी अगर मुझे कोई गरिमा का पाठ पढाये तो चूंकि यहां है, इस पद पर हैं मैं सम्मान करूंगा और मानूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप कुछ भी ख्याल नहीं रखती हैं, इतना कठोर होती जा रही हैं यह असहनीय होता जा रहा है। जब कल हमने बहिर्गमन किया हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ प्रथम बार हमें ऐसा करना पड़ा जो अक्सर नहीं होता और फिर आप अवसर दे रही हैं कि हम आपके खिलाफ जायें। आपकी नाराजगी है झुंझुनूं की मैं उसका क्या करूं। यहां से बाहर भी आपने फरमाया कल परसों कि झुंझुनूं वालों से मैं बहुत दुखी हूं। आप दुखी हैं यह बात सही है लेकिन मान्यवर आपका निर्वाचन क्षेत्र बिगड़ा है उसमें मेरा कोई बस नहीं है और आज यह हकीकत है अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : इन बातों की रिलीवेंसी क्या है यहां पर।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सभासदों सुन लो मेरी बात यह हकीकत है कि आपका बिगड़ गया और यह हकीकत है कि आप वहां से नहीं जीत सकेंगी यह मैं दावा करता हूं अगर आप जीत जाये और मैं जीत कर आ गया तो मैं छोड़ कर चला जाऊंगा, आप नहीं जीतेंगी। वह फ्रस्ट्रेशन आप यहां मेरे पर क्यों निकल रही हैं। जिला परिषद से आपने बहिर्गमन किया मैं आपको रोक रहा था। आपने बहिर्गमन क्यों किया जबकि हमारा बहुमत था दूसरों का, मेरे को छोडकर भी बहुमत था। मैं अगर आपके साथ भी चला जाता तो भी वह पास होता। आप कहीं की बात यहां पर लाकर इस्तेमाल करती हैं यह दुखदायी है, परम्पराओं के खिलाफ है, आसन के लिये शोभनीय नहीं है, आसन के लिये अशोभनीय है। (व्यवधान)

तारांकित-3 मार्च, 2006-प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : अब इधर से बोलेंगे, श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : xxx

श्री अध्यक्ष : नहीं समाप्त नहीं हो सकता यह मामला ऐसे, ऐसे समाप्त नहीं होगा, गलत बात है। आप चाहे जो कुछ बोल दें और उसे फिर आप कहें कि इसे समाप्त करें, नहीं होगा समाप्त।

डा. सी.पी. जोशी : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

(सदन में नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक 11.38 बजे आधे घण्टे के लिये स्थगित हुई)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

(समय : 12.08 बजे)

(पुन : समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : राम-राम सा। क्या मंशा है आपकी, सदन की?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो दृश्य आज राजस्थान की विधान सभा में हुआ है यह दृश्य कतई उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए और स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.09 पर स्थगित की गई)

(समय : 12.39 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.39 बजे 13.39 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(समय 13.39 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.39 बजे 15.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(समय : 15.00 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.00 बजे 16.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(समय : 16.00 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक पांच बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.00 बजे 17.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय: 17.00 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.00 बजे 17.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय : 17.30 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध

सदन के सुचारू संचालन की अपील

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुख्य मंत्रीजी के कक्ष में सर्वदलीय राजनीतिक दलों की बैठक हुई थी और हम सबने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि आज जो कुछ सदन में हुआ उसके अन्दर हमारी सबकी भावनाओं को सदन से अवगत करा दें और उसके बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज

अनुरोध–3 मार्च, 2006-अनुरोध

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सुबह में सदन में नहीं थी जब कोई घटना यहां घटी थी। मैंने सदन की प्रोसीडिंग्स लेकर उनको पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद मैं समझती हूं कि जो भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। आसन की गरिमा को बचाए रखना हम सबका जो भी सदन में बैठे हैं, उन सबका कर्तव्य है और मैं सब लोग जो भी यहां बैठे हैं उन सबकी ओर से आपसे क्षमा चाहूंगी कि आज सुबह जो भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था, मैं विश्वास करती हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम हम सबका है, हम सब मिलकर सुचारू रूप से सदन को चलाएं यह हमारा कर्तव्य है और मैं विश्वास करती हूं, आपसे क्षमा मांगने के बाद कि हम लोग मिलकर इस काम को कर सकेंगे। मेरा आपसे आग्रह है हम लोग कल से इस सदन को मिलकर सुचारू रूप से चलाएं, कोई भी इस तरीके से घटना हो तो मिल बैठकर इसको सार्ट आउट करने में कोई मुसीबत नहीं होती है और मैं विश्वास करती हूं इस तरह की घटना फिर से सदन में नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं को उपस्थापन। डा. किरोड़ी लाल मीणा... (व्यवधान)

अब क्या कहना चाहते हैं माननीय सदस्य ...

श्री हेमराज मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बात कही है लेकिन जिन्होंने यह सिलसिला चालू किया है उनको कुछ कहना चाहिए था तो ज्यादा ठीक रहता क्योंकि...

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निेवेदन करना चाहूंगा जो पर्ची और 295 है, कल चार तारीख को ग्यारह बजे हाउस शुरू होगा, आज वाला बिजनेस कल शुरू करने के लिए निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई एतराज की बात नहीं है पर एक निवेदन जरूर करूंगा...

श्री अध्यक्ष : पर्ची तो दुबारा से देनी पड़ेगी तो कल दीजिए आप पर्ची। कल प्रश्नकाल तो है नहीं।

डा. सी.पी. जोशी : कल शनिवार को बिजनेस अपन ने रखा है तो क्वेश्चन आवर के टाइम में पर्ची...

श्री अध्यक्ष : कल प्रश्नकाल नहीं है और मैं समझती हूं कि पर्ची और यह भी नहीं हो सीधे ही अपन गवर्नर स्पीच पर आ जाएं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि आप यह 295 और पर्ची कल ले लें 11 से 12 में। आज वाला बिजनेस कल 11 से 12 में हो जाएगा।

एक माननीय सदस्य : आज तक नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : 295 तो पढ़े हुए मान लिए गए हैं। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री प्रभूलाल सैनी।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 2004-05

श्री प्रभूलाल सैनी (कृषि मंत्री) (श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री के स्थान पर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2004-05 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन लाल मीणा ।

(अनुपस्थित)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल ।

याचिकाओं का उपस्थापन

सुई (तहसील-लूणकरणसर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :-

1. ग्राम पंचायत एवं पंचायत मुख्यालय सुई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करवाने बाबत।

लूणकरणसर में रोडवेज बस स्टैण्ड की स्थापना बाबत

2. लूणकरणसर जिला बीकानेर में रोड़वेज बस स्टैण्ड स्थापित करने बाबत।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार प्रारम्भ होगा।..(व्यवधान) नाम मेरे पास कोई है ही नहीं किसका लूं, जिसकी मर्जी आए खड़ा हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मदनजी राठौड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है इस बार सर्वदलीय बैठक और उसके पश्चात आपने समय का बंटवारा किया था। समय के बंटवारे के अनुसार आपने यह भी कहा था उस निश्चित समय में जितने माननीय सदस्यों को जो भी दल बुलाना चाहे उनके सचेतक बुलाना चाहें बुलाएं। हमारे दल के नौ घंटे बाकी हैं और प्रतिपक्ष दल के मात्र दो घंटे। हमारे मैम्बर्स कल तक नहीं बोल पाएंगे इसलिए हमारी तरफ से ओपन कराएं हमें ज्यादा मोका दें बोलने के लिए हमारे कई माननीय सदस्य बाकी हैं। अब समय का बंटवारा आपने ही किया था।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं...

श्री अध्यक्ष : प्लीज स्थान ग्रहण कर लें। मैं सूचना दे रही हूं, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहती हूं कि अब तक जो वाद विवाद में भाग लिया गया है वह शेष समय बचा है भारतीय जनता पार्टी का आठ घंटे उनसठ मिनट, मतलब पूरे नौ घंटे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बचे हैं दो घंटे

(श्री अध्यक्ष)

अड़तीस मिनट,इंडियन नेशनल लोकदल को बीस मिनट जनता दल यूनाईटेड को पन्द्रह मिनट, बहुजन समाज पार्टी के पन्द्रह मिनट, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के सात मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी के सात मिनट राजस्थान सामाजिक न्याय मंच के सात मिनट, और निर्दलीय का एक घंटा चौंतीस मिनट, यह जब था आज सुबह से अपन इसको करते। अब यह भी उस हिसाब से कम हो जाएगा थोड़ा।

सभापति तालिका

श्री राव राजेन्द्र सिंह का सभापति तालिका में मनोनयन

एक और सूचना मैं आपको देना चाहती हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9(1) के अन्तर्गत मैं श्री राव राजेन्द्र सिंह सदस्य को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करती हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस महान सदन में दिए गए अभिभाषण के प्रति माननीय डा. एन.एस. गुर्जर साहब द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इक्कीसवीं सदी का प्रारम्भ देश के लिए तो बहुत शुभ और लाभप्रद रहा। जब वहां राष्ट्रीय जनता गठबंधन सरकार थी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी वहां के प्रधानमंत्री थे लेकिन राजस्थान के लिए 2001-2003, ऐसा लगता है कि शनि की दशा उस समय लगी हुई थी जब इस राजस्थान प्रान्त का मुखिया स्वयं अपने परिवार की धज्जियां उड़ा रहा था, परिवार को बदनाम कर रहा था और खजाना खाली, खजाना खाली का ढोल पीट रहा था, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति राजस्थान में रही। एक स्थिति और थी जब कोई भी विकास के लिए मांग करते तो राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री खजाना खाली की बात कहकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। चारों और हा-हा कार मचा हुआ था। जनता पानी के लिए मांग कर रही थी, डंडे पड़ रहे थे। कर्मचारियों के आंदोलन को कुचला गया इस प्रकार चारों और एक अंधकार का वातावरण था। उस समय आशा की एक किरण थी श्रद्धेय भैरोंसिंहजी शेखावत, लेकिन उनको भी महामहिम उप राष्ट्रपति बनाकर दिल्ली में बुला लिया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संघर्ष कर रहा था,

(श्री मदन राठौड)

प्रयत्नशील था कि राजस्थान की जनता के दु:ख दर्द को मिटाने के लिए प्रयास करें। तब हमारे केन्द्रीय नेतृत्व ने श्रद्धेय वसुन्धरा राजे सिंधिया को राजस्थान की बागडोर पार्टी के अध्यक्ष के नाते सौंपकर राजस्थान में भेजा और श्रद्धेय वसुंधरा राजेजी सिंधिया ने जब राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष का कार्यभार संभाला और पार्टी के सिपाहियों को एकजुट करके परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की और जनता के दु:ख-दर्द, अभाव-अभियोग सुनने के लिए और जब गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जब वह गयी तो उन्होंने जनता के दु:ख-दर्द सुनने के साथ ही जनता को विश्वास दिलाया और कहा दु:खों को दूर करने के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। जनता ने भी श्रद्धेय वसुंधरा राजे सिंधिया पर विश्वास किया और इधर हमारे यहां से शनि की दशा भी उतरी और कहते हैं कि जब शनि की दशा उतरती है तो कुछ लाभ देकर के जाता है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अध्यक्ष महोदय, वसुंधराजी जहां कहीं भी रही पूर्व में दिल्ली में जब रही, जो कोई भी विभाग उनको दिया गया उस विभाग का सफलतापूर्वक संचालन किया और श्रेय प्राप्त किया। जब राज्य की बागडोर उन्होंने संभाली तो सबसे पहले सौ दिवसीय कार्य योजना दी, अधिकारियों की मीटिंग करके उनको लक्ष्य निर्धारित करके जब काम सौंपे और उसमें भी उनको सफलता मिली। इसके बाद 365 दिन की कार्य योजना दी उसमें भी उनको सफलता मिली और उनका कुशल वित्तीय प्रबंधन यह बेमिसाल है ना केवल हम, न केवल राजस्थान की जनता अपितु हिन्दुस्तान में जो इस समय कांग्रेस का शासन था वह भी इसका लोहा माना रहा है और वसंधुराजी के कुशल वित्तीय प्रबंधन की प्रशंसा की और उसका लोहा माना हे।

अध्यक्ष महोदय, वसुंधराजी ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटा कम किया जबकि 2001-02 में 31 प्रतिशत, 2002-03 में 30 प्रतिशत था उसको 2004-05 में घटा कर के 12 प्रतिशत पर ले आयी। वित्तीय घाटे में भी उन्होंने बहुत कमी की है। हमारे पड़ोस की विधान सभा के सदस्य ने मुझसे पूछा कि क्या कारण है कि आपकी यह वसुंधराजी कहां से धन लाती हैं, किस प्रकार से विकास के काम करा देती हैं तो मैंने उनसे कहा कि आपकी आदतें तो खराब हैं, आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, बहुत कुछ इधर-उधर फालूत में खर्च कर देते हैं। थोड़ा-बहुत कुछ ले जाकर अपनी पत्नी को देते हैं वह गृह लक्ष्मी किस प्रकार से आपके बच्चे की फीस

धन्यवाद प्रस्ताव पर-3 मार्च, 2006 -वाद-विवाद

श्री मदन राठौड़

भर देती है और उसके कपड़े भी सिलवा देती है, आपके लिये जूते भी वह लाकर के देती है। यह सारा काम वह कर देती है किस प्रकार से वह संचालन करती है। उन्होंने कहा कि यह तो वास्तव में वही जाने। बहुत अच्छा प्रबंधन, कुशल वित्तीय प्रबंधन है। मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं, आपकी दाढ़ी में तिनका क्यों आ रहा है..(व्यवधान) मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं, मेरे पडोसी यूं ही चितिंत हो रहे हैं, मैं उनके लिये नहीं कह रहा हूं, ताईद कर रहे हैं, ठीक बात है। उन्होंने कहा कि यह तो वही जाने गृह लक्ष्मी, तो ठीक इसी प्रकार से हमारे श्रद्धेय वसुंधराजी भी राजस्थान की जनता की मातृत्व सेवा कर रही हैं। कुशल वित्तीय प्रबंधन करके और चाहे कहीं से भी जुगाड़ करके, व्यवस्था करके राजस्थान की जनता के अभाव-अभियोग दूर करने में किसी भी प्रकार से वह कसर भी नहीं छोड़ती हैं। जहां जरूरत पड़ती है वहां खर्चा भी करती हैं। किसी प्रकार की फिजूलखर्ची भी नहीं करते। यह हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य यह भरतपुर नगर से आने वाले भी कल जोर-जोर से बोल रहे थे कि हाकिम बदल जाते हैं हुक्म नहीं बदलता। लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि जब 1998 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कल भी मैंने एक प्रश्न दिया था कि जयपुर मैटल्स उद्योग के लिये जब वह रूग्ण स्थिति में था तो भैरोसिंह शेखावत की सरकार ने 20 करोड़ रूपये स्वीकृत किये। साढ़े चारे करोड़ रूपये की किस्तें भी उन्होंने जारी कर दी। उसके बाद में दुर्भाग्य से हाकिम बदल गया और भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर कांग्रेस की सरकार आ गयी। कांग्रेस की सरकार आने पर हुक्म भी बदल दिया और वहां पर हजार से अधिक मजदूर जो जयपुर मैटल्स उद्योग में कार्यरत थे जिनको बीस करोड़ की स्वीकृति दे दी थी। साढ़े चार करोड़ तो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले दे दिये। आपके सत्ता में आते ही वह रूपया भी रोक दिया और उनकी किस्तें भी रोक दी और वहां पर तालाबंदी कर दी। उसके बाद में एक हजार से अधिक मजदूर आज वहां कंगाली की स्थिति में जीवन जी रहे हैं। कई लोगों के घरों में भुखमरी की हालत बन गयी है। जब हाकिम बदल गया तो हुक्म भी बदल दिया।

अध्यक्ष महोदय, जहां जरूरत थी वहां तो इन्होंने धन खर्च नहीं किया जहां जरूरत नहीं थी वहां इन्होंने धन खर्च किया। इन्होंने खर्च किया जोधपुर में अशोक उद्यान बनाने में, क्या जरूरत थी अशोक उद्यान बनाने की। सम्राट

(श्री मदन राठौड़)

अशोक नहीं रखा उसका नाम, वहां पर तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को खुश करने के लिए तत्कालीन आवासन मंडल ने अशोक उद्यान स्थापित किया, जहां पर करोड़ों रूपया खर्च किया गया। जमीन को उन्होंने बरबाद कर दिया और अजमेर में भी अशोक उद्यान बनाया है। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्यों से कि अगर किसी में हिम्मत है तो बताये कि बाबू लक्ष्मण सिंह कौन थे? राजस्थान की जनता भी नहीं जानती कि बाबू लक्ष्मणसिंह कौन थे। बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क पर भी आपने करोड़ों रूपया जोधपुर में खर्च किया। हिम्मत है तो बतायें कि कौन है बाबू लक्ष्मण सिंह ... (व्यवधान).. गहलोत के पिताजी होना, कि जिनके नाम से इतना बड़ा पार्क बनाया जाये, यह कोई ठीक बात नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह नगर परिषद, जोधपुर के चेयरमैन थे।

श्री मदन राठौड़ : जोधपुर का नागरिक भी नहीं जानता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मत जानो।

श्री मदन राठौड़ : आप यदि बता सकें..(व्यवधान) जोधपुर नगर परिषद के कभी भी वह चेयरमैन नहीं रहे (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सदस्य, आपसे इतना ही निवेदन है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है कृपया उसको आप अपनी आलोचना का विषय नहीं बनायें।

श्री मदन राठौड़ : मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि वह घटिया आदमी थे।

श्री संयम लोढ़ा : इतनी ही आपसे प्रार्थना है।

श्री मदन राठौड़ : मैं कोई भी गलत शब्द नहीं बोल रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि माननीय सदस्य आपको बुरा लग रहा है, एक तरफ तो उनके नाम से करोड़ों रूपया जोधपुर में खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। वह कोई राष्ट्र पुरुष नहीं थे, कोई महापुरुष वह नहीं थे कि जिनके नाम से इतने रूपये खर्च किये जायें। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि खजाना खाली है। खजाना खाली है। जनता को पानी नहीं पिला रहे हो, जनता के लिए सड़कें नहीं बना पा रहे हो और दूसरी और बाबू लक्ष्मण सिंह के नाम से पार्क बना

रहे हैं। अरबों रूपया खर्च कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। मैं सोचता हूं कि जनता के धन को आपने बरबाद करने का प्रयास किया है। यह ठीक बात नहीं है। बर्हिगमन मत करिये, मेरी पूरी बात सुनिये, बाहर जा रहे हैं माननीय प्रद्युम्न सिंहजी पूरी बात सुन लीजिये और हिम्मत है तो जवाब देने का प्रयास करें... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अरबों रूपया, अब आप झूठ का पुलिंदा बोल रहे हो कि अरबों रूपया खर्च हो गया तो क्या करूं, जाऊं नहीं तो क्या करूं, अरबों रूपया खर्च हुआ है मुझसे यह असत्य बात सुनी नहीं जाती है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने ही फैसला किया था कि टोका-टोकी नहीं होगी। माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य बोलते हैं तो हम बोलते ही नहीं हैं, हम अपनी सीट से खड़े ही नहीं होते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इन्होंने कहा कि आप कहां जा रहे हैं उसी का मैंने जवाब दिया है (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जहां गाढ़े पसीने की कमाई जनता के हितों की रक्षा के लिये खर्च होनी चाहिये। जनता के लिए सड़कें बनायें, पानी की व्यवस्था करो। उसके लिये खर्च करो। यह इस प्रकार से कोई स्वनामधन्य के निमित्त रूपया खर्च करे यह ठीक बात नहीं है। एक तरफ तो आप खजाना खाली की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ इस प्रकार से धन बहा रहे हैं। यह भी ठीक नहीं हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि आपके यहां पर जो रूपया खर्च किया कम से कम भी 63 लाख रूपये लगाकर के ऐसी मास्क लाइटें लगाई। इस तरह से जनता का धन आपने बरबाद किया। आज कहां है वह लाइटें। मैं यह सब भी आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं। आपको आश्चर्य होगा मैंने जोधपुर के कई महानुभावों से पूछा कि यह कहां पर लगी हुई हैं तो वह भी कहने लगे कि इस प्रकार की लाइटें हमने तो नहीं देखी और इलेकट्रानिक ट्री आपने खरीदी और करोड़ रूपये उसमें बरबाद किये। यह ठीक नहीं था। मैं तो केवल यही आपसे निवेदन कर रहा था..(व्यवधान) हां, मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बीच में टोका-टोकी नहीं करें।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत काम किये। आप जानते हैं कि पूर्व सरकार फिस्कल रिफार्म फैसेलिटी के अन्तर्गत 2001-02 में प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं कर सकी थी हमने 2003-04 में 59 करोड़ 77 लाख रूपये प्राप्त किये। यही नहीं 2004-05 में 60 करोड़ 62 लाख रूपये प्राप्त किये हैं। पूर्व में बकाया राशि 146 करोड़ भी हमने प्राप्त की। यह है कुशल वित्तीय प्रबंधन। मैं और लंबी-चौड़ी बात नहीं करूंगा, मिड-डे मील के बारे में बहुत कहा जा चुका है। बच्चों को मुफ्त पुस्तकें दीं और उसके बारे में भी बहुत कहा जा चुका है। आप जानते हैं कि पहले भी जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पांचवीं तक के लड़कों को और आठवीं तक की लड़कियों को मुफ्त में पुस्तकें दिया करते थे। लेकिन फिर से आपकी सरकारी आयी और आपने इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आयी है तो हमने बारहवीं तक की लड़कियां और आठवीं तक के लड़कों को मुफ्त में पुस्तकें वितरित की हैं। यही नहीं जिनके पिताजी इनकम टैक्स नहीं देते हैं उन लड़कों को भी बारहवीं तक मुफ्त में पुस्तकें वितरित की हैं।

इसी प्रकार 1 करोड़ 14 लाख बच्चों को मुफ्त पुस्तकें दी हैं।

हमने एक और योजना तैयार की है। देखिए, धन एकत्रित करने का भी एक तरीका होता है। हमने स्व कर निर्धारण की स्कीम दी ताकि कोई व्यवहारी हो वह प्रोत्साहित हो कि वह टैक्स भरे और इसके अलावा कोई बकाया नहीं, इस प्रकार के व्यवहारियों की सूची हमने वेब साइट पर जारी की ताकि उनको आफिसों के चक्कर नहीं काटना पड़े और वह प्रोत्साहित होते रहे तथा स्व कर निर्धारण करके वह अपने टैक्स जमा कराए। यही नहीं पंजीयन के कई मामले, साढ़े पांच हजार से अधिक मामले लम्बित पड़े थे, रजिस्ट्रेशन की एक टाइम बाउण्ड स्कीम देकर वह भी पूरे कराए। आपको मालूम होगा कि स्टाम्प डयूटी 11 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत की, महिलाओं के लिए साढ़े पांच प्रतिशत की। इसके बावजूद भी हमने राजस्व में वृद्धि की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि योजना का आकार हमने दुगुना किया, पूंजीगत विनियोजन भी हमने दुगुना किया। 20 सूत्री कार्यक्रम में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिन्दुस्तान में नम्बर वन आई

(श्री मदन राठौड़)

है, यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और आप सबको भी इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। राजस्थान राहत कोष स्थापित किया क्योंकि जो लोग आपदा राहत कोष की नियमावली में नहीं आते थे लेकिन जिनको राहत देना बहुत आवश्यक था, उनको राजस्थान राहत कोष के माध्यम से सहयोग देने की योजना हमने बनाई। ओलावृष्टि से प्रभावित जो किसान थे उनके चार महीने के बिजली के बिल हमने माफ किए, यह भी कोई कम बात नहीं है। हमने बी पी एल, ए पी एल और इन सबको भी राशन वितरित करने का हमने प्रयास किया। आप में यदि हिम्मत हो तो जाइए दिल्ली में जहां पर अभी केन्द्र सरकार ने ए पी एल का गेहूं बन्द कर दिया है और बी पी एल का भी आधा कर दिया है। आज गेहूं की कीमत 13 रुपए किलो हो गयी है, थोड़ा विचार कीजिए, केवल राजनीतिक लाभ के लिए काम मत कीजिए, जन हित के लिए कुछ निर्णय लीजिए, जन हित में निर्णय लेकर केन्द्र पर दबाव डालिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर पैसा भी जमा करवा दिया है, अन्न भी आया हुआ पड़ा है एफ सी आई में लेकिन केन्द्र की सरकार ने टेलीफोन करके वहां तार देकर मना कर दिया कि अभी गेहूं मत दीजिए इनको, इस प्रकार के राजनीतिक भेदभाव का काम आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा विचार कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, हमने पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण किया, इण्टर कनेक्टिविटी 'करिश्मा' के माध्यम से 9 दिसम्बर, 2005 को की। यही नहीं फसली ऋण और दीर्घकालीन फसली ऋण 2130 करोड़, का दीर्घकालीन ऋण 195 करोड़ रुपए का हमने दिया।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमने सरसों खरीद की, रिकार्ड खरीद हुई 1700 रुपए के हिसाब से हमने सरसों की 14 लाख टन खरीद की, यह व्यवस्था पहली बार ऐसी हो पाई है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के बारे में बताना चाहूंगा कि 6 लाख किसानों को 220 करोड़ रुपए हमने वितरित किए। हम तब भी आते थे तो तत्कालीन मुख्य मंत्री से हमने कहा कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू कीजिए, वह कहते थे हम लागू नहीं करेंगे जबकि हिन्दुस्तान के 19 प्रान्तों में यह योजना लागू थी। आपने राजस्थान में लागू नहीं की केवल एक कारण था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार उस समय थी और आप प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उसका श्रेय नहीं

(श्री मदन राठौड़)

देना चाहते थे। इसलिए आपने लागू नहीं की। श्रेय के चक्कर में आपने गरीबों के मुंह का निवाला छीन लिया, आपको शर्म आने की बात है, विचार करना चाहिए। यह राजनीतिक काम मत कीजिए और मैं अब भी कहना चाहता हूं कि यदि दिल्ली में चलती है तो वहां जाकर कहिए कृषि बीमा योजना है और इसमें आपने तहसील को इकाई मान रखा है, यह ठीक बात नहीं है और इसमें इकाई होनी चाहिए खुद किसान का खेत और यदि खेत भी नहीं कर सके तो एक ग्राम पंचायत को इकाई करवाने में आप हमारा सहयोग कीजिए। श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी ने भी मांग कर रखी है, आप भी जाइए यदि आपकी चलती है। मैं मानता हूं कि आपकी बात वहां कोई सुनने वाला नहीं है लेकिन फिर भी आप थोड़ा प्रयास तो कीजिए कोई सकारात्मक प्रयास आप कीजिए, जनता आपको धन्यवाद देने के लिए तैयार हो जाएगी।

हमने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। आप जानते हैं कि कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव कराने का हमने निर्णय लिया है, 30 वर्ष हो गए चुनाव नहीं हुए, हम चुनाव करवाना चाहते हैं। आपको जानकारी होगी अध्यक्ष महोदय के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चुनाव हमने करवा दिए। जिला दुग्ध उत्पादक संघ के चुनाव हमने करवा दिए। आपने चुनाव कभी नहीं कराए आप तो चुनाव से सदैव डरते रहे, यह विपक्ष घबराता रहा, चुनाव से दूर भागता रहा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा समय दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया कनक्लूड कीजिए।

श्री मदन राठौड़ : हमने सहकारी सोसायटी के चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन प्राधिकारी नियुक्त कर दिए, उन नियमों में हमने संशोधन कर लिया, हम चुनाव करवाना चाहते हैं। आप चुनाव से हमेशा भागते रहे।

जल संसाधन विभाग के निमित्त मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से काम किए हैं हमारी सरकार ने। मैं आपको बताऊं की ऐसी 20 लघु सिंचाई योजनाएं तो हमने पूरी कर ली और 25 पर प्रगति हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे वहां पर एक से ही बांध है जो पहाड़ों के बीच में स्थित है, पहाड़ों में

(श्री मदन राठौड़)

पानी जल्दी आ जाता है, पौने सात किलोमीटर सुरंग से पानी हमारे जवाई बांध में आता है, वह पानी इकट्ठा होकर पहाड़ में आकर और बहकर गुजरात में जाता था। गुजरात सरकार ने वहां पर टावर लगा रखा है, एक अधिकारी वहां नियुक्त कर रखा है जो यह सूचना देता है कि पानी आ रहा है, गांव के गांव खाली करवा दो। एक तरफ गुजरात के गांव के गांव खाली करवाने पड़ रहे हैं दूसरी तरफ राजस्थान में पीने के लिए पानी नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि श्रद्धेय वसुन्धराजी को, उस बान्ध को अपग्रेड करने के लिए इन्होंने रुपए तुरन्त स्वीकृत कर दिए। अभी उसका शिलान्यास भी हो गया, वह बांध अपग्रेड हो जाएगा और वह पानी जवाई बांध में आएगा हमारे इस क्षेत्र में जहां रेलों से पानी पिलाया जाता था वहां पर पीने के लिए पानी उपलब्ध रहेगा। नर्मदा का पानी आप जानते हैं कि माही नदी का पानी गुजरात को दिया जाता था और बदले में गुजरात की नर्मदा का पानी देने के लिए तैयार था और गुजरात कह रहा था कि राजस्थान अपने हिस्से का पैसा जमा कराए। पिछली सरकार ने एक धेला भी जमा नहीं कराया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्रद्धेय वसुन्धराजी को जिन्होंने सत्ता में आते ही 335 करोड़ रुपए जमा कराए और अभी तक 646 करोड़ रुपए गुजरात सरकार को जमा करवा दिए। नर्मदा का पानी जालौर तक पहुंच चुका है, बहुत जल्द राजस्थान को पानी मिलने लगेगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी मैं अपनी बात पूरी करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, हमारा समय बाकी है इसलिए बोलने दें।

श्री मदन राठौड़ : मैं धन्यवाद दूंगा सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को जिन्होंने समय तो दिलवाया ही साथ में मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि इन्होंने प्रधान मंत्री सड़क योजना के लिए जितना काम किया, ऐतिहासिक काम किया, 500 की आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ा है और यही नहीं अब तो इन्होंने और निर्णय लिया है कि हम 250 की आबादी की ढाणियों को भी सड़क मार्ग से जोड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने चुनाव लड़ा था तो वहां खिदारा गांव है और वहां पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय जोशीजी, अब आप वहां पर आएंगे,

(श्री मदन राठौड़)

120 की स्पीड से आप कार लेकर आ सकते हैं, 120 की स्पीड से, वहां पर पेवर रोड़ बन चुकी है। आप कार लेकर फालना से सुमेरपुर आ सकते हैं। इतनी बढिया सड़क इन्होंने बना दी। सालासर महादेव की सड़क इन्होंने बना दी। सड़कों का जाल इन्होंने बिछा दिया। विकास के काम इन्होंने कर लिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी की प्रशंसा करना चाहता हूं। अब आपने समय कम कर दिया इसलिए मैं अपनी बात पूरी नहीं बता पा रहा हूं। अपराधों में कमी की है। कई इनामी डकैतों को पकड़ने का काम किया है, आप कोई इनामी डकैत नहीं पकड़ पाए। आप आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाए, आपने किसी को पकड़ा है तो एक धार्मिक नेता को पकड़ा तोगडियाजी को पकड़कर आप खूब ढोल पीट रहे थे। आपने तो यह सब कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बांग्लादेशियों को चिन्हित करके बाहर निकालने का, खदेड़ने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे गृह मंत्रीजी को, हमारी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिसकर्मियों की भर्ती की है।

रोप वे कनक वृन्दावन से जयगढ़, यह निर्माण करने का भी काम किया है। मैं आवासन मण्डल को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, स्वायत्त शासन मंत्रीजी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने किसी एक उद्यान को बनाने में खर्चा नहीं किया। घरोन्दा आवासीय योजना तैयार की और वह योजना एक ऐसी योजना है, बेमिसाल योजना है, ऐतिहासिक योजना है, 76 हजार की लागत से मकान बनाकर और 18 रुपए रोज की किस्त पर गरीब को मकान मिलेगा, ऐसी योजना दी है। निश्चित रूप से इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की जानी चाहिए।

शिक्षा मंत्रीजी ने भी कोई कम काम नहीं किए हैं। बहुत कमाल किया है, 54284 लोगों को इन्होंने नौकरी दी है। कई स्कलों को इन्होंने क्रमोन्नत कर दिया, 1705 राजीव गांधी पाठशालाओं, मैं आपको क्या गिनाऊ, गिनाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय की कमी है।

चिकित्सा मंत्रीजी ने भी बहुत काम किए हैं। उन्होंने टेलीफोन मेडिसन की एक नवीन स्कीम दी है जिसके द्वारा दिल्ली में बैठा हुआ डाक्टर पाली में बैठे हुए व्यक्ति का आपरेशन कर सकता है। यही नहीं इन्होंने ऐसे-ऐसे काम

(श्री मदन राठौड़)

किए हैं कि कई स्थानों पर सीटी स्केन की मशीनें दी हैं, जोधपुर में कैथलेब, उदयपुर में कार्डियोथोरोसिक सेण्टर, जयपुर और कोटा में मेमोग्राफी मशीन, बीकानेर में लीनियर एक्सीलेटर मशीन, जयपुर, पाली और उदयपुर में सीटी स्केन मशीन, इसी प्रकार से इन्होंने बहुत से विकास के काम किए हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पहली बार चिंता की है अनाथ बच्चों की। अनाथ बच्चों के बारे में पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कभी भी चिंता नहीं की। अनाथ बच्चों को 675 रुपये प्रतिमाह और दो हजार रुपये प्रतिवर्ष कपड़े लेने के लिए दिया है। अनाथ बच्चों की भी चिन्ता इन्होंने की है। यही नहीं एस.सी., एस.टी. और सहरिया लड़कियों को कालेज जाने के लिए 12297 साइकिलें वितरित की हैं, यह कोई कम काम नहीं किया है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मन ही मन तो आप प्रशंसा करना चाहते हो, लेकिन सदन में आप बोलना नहीं चाहते क्योंकि आप जानते हैं कि श्रेय इनको मिल जाएगा। अच्छे काम की तो मुक्त कंठ से प्रशंसा करें। श्रेय देंगे तो और प्रोत्साहित होंगे, और उत्साहित होंगे और विकास के काम करेंगे।

26 हजार सहयोगिनियों को इन्होंने लगाया है, यह कोई कम काम नहीं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं आज कोई भी प्रोजेक्ट चालू करें तो 5-10 वर्ष बाद में बिजली मिलती है, लेकिन इन्होंने पांच वर्ष में कोई ऐसा काम नहीं किया। आज बिजली की समस्या खड़ी है वह इसी कारण खड़ी है कि इन्होंने उसके बारे में कतई चिन्ता नहीं की। ये तो टाइम पास जाब कर रहे थे, समय गुजार रहे थे। मैंने सुना है कि इनके एक मंत्रीजी हैं नाथद्वारा वाले, उनका एक भाषण मैंने सुना था, यहां पर सुरेन्द्र सिंहजी मंत्री बैठे हैं वे भी वहां बैठे थे, इन्होंने कहा कि मेरी सरकार दुबारा आने वाली नहीं है, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। ये खुद जब मंत्री थे और अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार का भाषण दिया, इसका गवाह भी मौजूद है, ये जातने थे कि इन्होंने काले कारनामे किये हें, घटिया काम किया है, जनता की चिन्ता नहीं की तो दुबारा सदन में ये किस प्रकार से आ सकते हैं?

हमने यहां पर छबड़ा तापीय विद्युत गृह तैयार किया, 1750 करोड़ रुपये से 500 मेगावाट क्षमता का तैयार किया। यही नहीं गिराल, धौलपुर,

(श्री मदन राठौड़)

कोटा, बरसिंहसुर, इस प्रकार से बिजली पैदा करने के लिए भी हमने कई प्रोजेक्ट तैयार किये हैं जिसका लाभ भी जनता को मिलने वाला है। दिसम्बर, 2003 से जनवरी, 06 तक 87600 नये कनेक्शन किसानों को दिये। यही नहीं चालू वर्ष में हम 40 हजार कनेक्शन और देना चाहते हैं और इस प्रकार की हमने व्यवस्था कर रखी है। अध्यक्ष महोदय, 220 केवी के 2 ग्रिड सब स्टेशन, 132 केवी के 12 और 33 केवी के 180 ग्रिड सब स्टेशन लगाये हैं। इस प्रकार से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किये। इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो और निवेदन आपको करना चाहूंगा। पहले की सरकार ने कोई वसूली नहीं की। जो वसूली इनको करनी थी, आपको भी आश्चर्य होगा एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बताया है कि इन्होंने 674 अवैध खनन के मामले पकड़े थे, लेकिन मुकदमा केवल 55 के खिलाफ दर्ज कराये। बाकी के खिलाफ क्यों नहीं कराये, इसका जवाब तो ये ही दे सकते हैं। इन्होंने 2001 में 566 अवैध खनन के मामले पकड़े, लेकिन एफ.आई.आर. दर्ज करायी केवल 33 के खिलाफ। यह आश्चर्य की बात है कि इन्होंने ऐसा किया। 2000 में 401 मामले पकड़े, लेकिन एफ.आई.आर. दर्ज करायी केवल 10 में और चालन पेश किया केवल 9 में। अब विचार करो कैसे आप स्थिति सुधारोगे, राजस्व कैसे प्राप्त करोगे। आपने क्या किया? क्या मिलीभगत से काम चला लिया, यह तो आप ही जानें, मैं तो कोई आरोप लगाउंगा तो आप सब एक साथ खड़े होकर हंगामा करने लग जाएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष : अब कनक्लूड कर दो आप।

श्री मदन राठौड़ : इन्होंने वित्तीय प्रबंधन में लापरवाही बरती है। मैं धन्यवाद देना चाहता था आदरणीय राजेन्द्रजी को। इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा 2000 से 2003 तक ये विपक्षी लोग चिल्लाते थे कि हमने एक गांव प्रतिदिन सड़क से जोड़ा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी चार गांव रोज सड़क से जोड़ रहे हैं, 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बना रहे हैं। यही नहीं 700 करोड़ रुपये व्यय करके 8 हजार किलोमीटर मुख्य सड़कों का नवीनीकरण किया है। यही नहीं 100 करोड़ रुपये व्यय करके

महतवूपर्ण पुलों का निर्माण किया है। हांगकांग स्टाइल में फ्लार्इओवर ब्रिजेज, यह पहली बार राजस्थान में देखने को मिल रहा है। राजस्थान में आप जाएं किशनगढ़ मार्ग पर सिक्स लाइन रोड़। आपने क्या किया? आपने दिल्ली में आते ही इसका नाम परिवर्तन करके अब ताल ठौंक रहे हैं, खुश हो रहे हो, नाम बदल दिया। यह तो कोई काम नहीं हुआ, केवल नाम बदलने से काम चलने वाला नहीं है। यही नहीं 750 करोड़ रुपये खर्च करके 12 से 15 वर्ष पुरानी 18 हजार किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण करने का कार्य किया है। इसके लिए इनकी भी भूरि-भूरि प्रशंसा की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसका समर्थन करता हूं, पुरजोर शब्दों में उसका समर्थन करता हूं। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : देखिए अब केवल 25 मिनट बचे हैं, क्योंकि 6.30 बजे आधा घण्टे की चर्चा आएगी। इसलिए इस 25 मिनट के अंदर आप कहें तो तीन को बुलवा दें, आप कहें तो दो को बुलवा दें।

श्री रणवीर सिंह गुढा : एक मुझे भी बुला दो।

श्री अध्यक्ष : आपकी तो पर्ची काफी पीछे आयी है, माफ करना। माहिर आजाद, आप कितना समय लेंगे?

मोहम्मद माहिर आजाद : आधा घण्टा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, 25 मिनट हैं, बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, समय के बंटवारे में हमारा ज्यादा समय है। ये कल बोल लें, अभी हमारे मैम्बर्स को बुला लें।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, 7-7 मिनट में दो को बुलवा दो।

श्री अध्यक्ष : नहीं, श्री जोगाराम पटेल।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में इस सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण पर डा. एन.एस. गुर्जर द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-

(मोहम्मद माहिर आजाद)

विवाद और चर्चा कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े जोर-शोर से इस अभिभाषण में सबसे ज्यादा जोर जो दिया गया वह इस बात पर दिया गया कि हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है, ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ, हमारे पास विकास के काम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, खजाना पूरा भरा हुआ है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछली सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का काम किया था। जब यह सरकार सत्ता में आयी इसने वापस 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का काम कर दिया। यहां सरकार के वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री तो नहीं बैठे हैं बाकी जो मंत्री बैठे हैं वे भी गुफ्तगू में लगे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपको जानकारी है कि एक साल में जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं उनको सरकारी कोष से कितने पैसे का भुगतान विभिन्न मदों में किया जाता है?

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : जितनी जानकारी आपको है उतनी ही जानकारी इनको है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको तो नहीं है, आप बैठ जाइए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं आपका छोटा भाई हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो धीमी गति के समाचार हो, आप तो बैठ जाओ, इनको बोलने दो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं तो आपका छोटा भाई हूं, जितना सिखाओगे उतना ही तो सीखूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक वर्ष में 12 अरब रुपये के करीब भुगतान सरकारी कर्मचारियों को किया जाता है। दो वर्ष का पैसा आपके पास बच गया। उस पैसे के ऊपर उछल रहे हो, अगली साल जब कर्मचारी रिटायर होंगे तब आपकी वित्तीय स्थिति क्या होगी उसका अंदाजा लगा लें। यहां 2400 करोड़ रुपये आपके पास बच गया। जौहरी बाजार से आने वाले सदस्य यहां नहीं हैं कल वे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे, बड़े जोर-जोर से कह रहे थे कि केन्द्र सरकार ने हमारे 190 करोड़ रुपये रोक रखे हैं। 190 करोड़ रुपये रोका तो आप रो रहे थे। केन्द्र सरकार ने विभिन्न मदों में आपको कितना पैसा दिया। आप हमसे ही यह अपेक्षा करते हो कि कोई काम आपकी सरकार

अच्छा करे तो हम उसकी यहां प्रशंसा करें। आपमें से एक के मुंह से भी निकला कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यू.पी.ए. की सरकार ने विभिन्न मदों में सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में हमको जितना मांगा था ज्यादा पैसा दिया है, उसके लिए हम आभारी हैं? एक शब्द भी ऐसा आपके मुंह से निकला? इतने +++ से आप केन्द्रीय सहायता भी ले लेंगे और उनके लिए धन्यवाद नाम का शब्द भी आपकी डिक्शनरी में नहीं होगा, ऐसी अपेक्षा आपसे नहीं की जा सकती।

श्री अध्यक्ष : यह +++ शब्द निकाल देना।

मोहम्म्द माहिर आजाद : अहसान फरामोश अब आप कहोगे, यह अहसान फरामोश क्या होता है, डिक्शनरी ले आना, समझ लेना, नहीं माननीय अध्यक्ष को सारी भाषाओं का ज्ञान है उनसे पूछ लेना।

श्री हीरालाल : वित्तीय प्रबंधन के लिए बहुत तारीफ की थी मैंने आप कैसे कह रहे हो कि नाम ही नहीं लिया?

मोहम्म्द माहिर आजाद : वाह साहब, बहुत बढिया काम किया आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यहां पर जोर शोर से कही और यह जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र है जिसमें माननीय अटलजी और वसुंधराजी की और आडवाणीजी की फोटो छापकर के आपने राजस्थान की जनता को गुमराह किया है, इसमें आपने कहा हम एक लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। मैं पहले तो आपसे यह सफाई भी चाहता हूं कि आपका सरकारी नौकरी देने का अभिप्राय था रोजगार से या रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे निजी सैक्टर में और प्राइवेट सैक्टर में और पब्लिक सैक्टर में भी वह जो नौकरी मिलेगी, अगर यहां झुंझुनूं का कोई सेठ आकर के फैक्ट्री लगाता है और वह 20 आदमियों को नौकरी देता है वह भी क्या अपने खाते में गिनोगे? क्या था यह आप अपने उत्तर में क्लेरीफाई करने का काम करेंगे? 51 हजार शिक्षा विभाग में आपने नौकरी उपलब्ध कराई, आपने 32 हजार साथिनों को काम दिया, इसकी हम प्रशंसा करते हैं लेकिन यहां इतना असत्य कथन कहा जाएगा कि उद्योग विभाग में 83 हजार लोगों को आपने रोजगार उपलब्ध कराया है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन को अवगत कराइए कि आपने कहां-कहां किन-किन

(मोहम्म्द माहिर आजाद)

उद्योगों के अन्दर, किस तरीके से, 83 हजार लोगों को केवल एक लिख देने या बोल देने से काम चलने वाला नहीं है।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, बडे जोर शोर से कहा गया कि हमारी योजना का आकार हमने बढ़ा दिया, हमारी योजना का आकार हमने पहले से बढ़ाकर और 8350 करोड़ का कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में यही हुआ था और पिछली सरकार को फिर जब हमने बजट पर सप्लीमेंटरी ग्रांटस और डिमाण्डस पर चर्चा की थी तब नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरों ने यह बताया था कि किस विभाग के अन्दर आपने बजट आबंटित किया था उसका कितना प्रतिशत खर्च किया है। 20 प्रतिशत से लेकर और 60 प्रतिशत के बीच में खर्च किया था। योजना का आकार बढ़ा देना कोई वाहवाही का काम है? उस पर वास्तविक व्यय आप कितना कर पाएंगे तब जाकर आपकी स्थिति का पता चलेगा। क्या आपने इतना किया था? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नई सरकार आई तो बड़े जोर शोर से हमारे इन विपक्षी साथियों ने कहा कि अशोक और अकाल और वसुंधरा और वर्षा की राशि एक है। राजस्थान अब सरसब्ज हो जाएगा, राजस्थान में खूब वर्षा हो जाएगी, प्यासी धरती माता की प्यास बुझ जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज 22 जिलों में 15778 गांव अकालग्रस्त नहीं है? क्या हुआ आपके इस दावे का? क्या अशोक और अकाल और वसुंधरा और वर्षा एक राशि है? ऐसे ख्याली पुलाव बनाने से राजस्थान के किसान का और राजस्थान के गांवों का भला होने वाला नहीं है। आप तुलना कीजिए ईमानदारी से कि पिछली सरकार थी उस सरकार ने अगस्त महीने के अन्दर अकाल राहत कार्य शुरू कर दिये थे और आपकी अब क्या स्थिति है? आपने दो लाख सवा दो लाख लेबर सीलिंग जनवरी के लिए बनाई है उसको बढ़ाकर तीन साढ़े तीन लाख आपने फरवरी में की थी। लेकिन इतना मंत्री महोदय आप लगा नहीं पाओगे, अकाल राहत कार्य कब जाकर आपने खोले हैं, यह स्थिति आपकी अकाल की थी।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : भरतपुर की स्थिति बता दें।

मोहम्मद माहिर आजाद : भरतपुर की स्थिति पर अभी चर्चा करूंगा, पहले अकाल की स्थिति हो जाय, इन दिगम्बर सिंहजी ने कानाफूसी की होगी

(मोहम्म्द माहिर आजाद)

शायद आपसे। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं के आज बिजाई है, मैं स्वर्गीय मुख्य मंत्री हीरालालजी देवपुरा की अध्यक्षता में प्राक्कलन समिति 'ख' समिति के रूप में राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने गया था 2003 के अन्त में, इन क्षेत्रों में गये, लोग कहते थे कि हमारे यहां अच्छा जमाना होता है तब भी हमको बाजरी और मक्का खाने को मिलती है, भला हो इस अशोक गहलोत का और कांग्रेस सरकार का कि इतना अच्छा अकाल का प्रबंधन किया है, हमारे घर गोदाम जो है गेहूं की बोरियों से भरे हुए हैं और हमको गेहूं खाने को मिल रह है, आज भी कई जगह बचे हुए रखे होंगे। यह स्थिति पिछले साल अकाल की थी आज आपकी स्थिति यह है कि आप सही तरीके से पहले अकालराहत कार्य खोल नहीं पा रहे हैं। अभी भरतपुर का जिक्र किया, भरतपुर में अकाल नहीं पड़ता है, भरतपुर में अतिवृष्टि होती है लेकिन इस बार भरतपुर के अन्दर पाला पड़ गया और जो अगेती सरसों थी, उस सरसों में नुकसान हुआ है, हमारे भरतपुर से आने वाले सदस्य बैठे हैं यहां डा. दिगम्बर सिंहजी मेरी बात से सहत होंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग : भरतपुर गये हो क्या आप?

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो 8 साल से गया हुआ हूं, रेल में तो नहीं गया आपकी तरह मलकानी जी की तरह कोई भी तो मुझे नहीं मिला, आप तो अपनी बात करो, भरतपुर गया हूं, कोई बुरा काम नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन से प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपकी तरह तो नहीं कहा है मैंने।

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर मैं कोई गलत बात कहूं तो माननीय विपक्षी सदस्यों को बोलने का अधिकार है, बोल देंगे। मैंने किसी को टोकने का काम नहीं किया, मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुन लो, आपके शब्द मेरे मुंह में आप नहीं रख सकते, कोई भी नहीं रख सकता, सब मिल कर भी नहीं रख सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी तक उसकी गिरदावरी नहीं हुई भरतपुर में और पूर्वी राजस्थान में चाहे अलवर हो, चाहे धौलपुर हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे करौली हो, चाहे दौसा हो वहां पर...

डा. किरोड़ी लाल : आप गहलोत साहब की प्रशंसा कर रहे हैं, राजग की सरकार ने 32.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं दिया था।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो डाक्टर साहब, कल वह जो चिट्ठी पेश कर रहे थे, शरद पवारजी को लिखी है आपने।

डा. किरोड़ी लाल : मेरी सुन लो।

मोहम्मद माहिर आजाद : ए.पी.एल. के गेहूं की जरा वह प्रोडयूस कर दें सदन में। आपने कल कहा था कि मैं कल रख दूंगा, आज कल भी हो गया।

डा. किरोड़ी लाल : मैं वह भी रख दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह रख दीजिए, आप तो जो कहा है सदन में वह पूरा कर दीजिए।

डा. किरोडी लाल : मैं वह भी रख दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कहा हम छात्रों को केरोसिन देंगे, कितना छात्रों को केरोसिन दिया वह बता दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : आप जितना भी अनाज के भण्डार भरने की बात कह रहे हैं न उस पर मैं बोल रहा हूं। 32.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं 968 करोड़ रुपये 3200 करोड़ रुपये राजग की सरकार ने दिया है जो जब से अब तक अकाल पड़ रहे हैं जो भी कोई राजस्थान में आया उतनी मदद आज तक दिल्ली की किसी सरकार ने नहीं की, जो राजग सरकार ने की।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो यह भी बता दें अकाल अब ज्यादा है या पिछली बार ज्यादा था? आपका अकाल पिछले 4 वर्षों में ज्यादा था तो ज्यादा सहायता मिलेगी तो सीधी सी गणित की बात है, इसमें क्या बात हो गई? पिछली बार 23 हजार गांव प्रभावित थे, अब 15 हजार गांव प्रभावित हैं।

डा. किरोड़ी लाल : 2059 को छोड़कर कांग्रेस के राज में कभी भी समय पर अकाल के काम चालू नहीं हुए, कभी समय पर अकाल के काम चालू नहीं हुए हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : दिसम्बर में?

डा. किरोड़ी लाल : हां।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपका समय शुरू होता है दिसम्बर में क्योंकि मुख्य मंत्रीजी ने 8 दिसम्बर को शपथ ली थी इसलिए हमारे टाइम में अगस्त के अन्दर अकाल राहत कार्य शुरू हो गये थे। गलत है क्या बात?

डा. किरोड़ी लाल : भारत सरकार ने जो कोड बना रखा है जो फैमिन कोड है, रामनारायणजी आप बैठ जाओ।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय मंत्रीजी आप सिर्फ बहस नहीं करें, यह परिपाटी नहीं डालें, देखिए, ढंग से बहस चल रही है, जो कुछ कहना था कह दिया।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, नहीं ये कह रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : आप जवाब दे रहे हो क्या सरकार की तरफ से?

डा. किरोड़ी लाल : हां, हां, बिलकुल दे रहा हूं न, मैं दूंगा।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्षजी, आप सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हो, कनक्लूड कर रहे हो?

डा. किरोड़ी लाल : क्यों नहीं दूंगा? मेरी जिम्मेदारी बनती है।

श्री रामनारायण मीणा : कनक्लूड कर रहे हो, इनकी गलती है, आप भी कहिए।

डा. किरोडी लाल मीणा : आप अकाल की बात करो, हमको अभी तक एक लाख मैट्रिक टन गेहूं दिया है।

श्री रामनारायण मीणा : आप तो एक बात बताइए।

डा. किरोड़ी लाल : यूपीए सरकार ने अभी तक एक लाख मैट्रिक टन गेहूं दिया है।

श्री रामनारायण मीणा : आप तो एक बात बताइये, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि ढाई सौ की जनसंख्या पर सड़क बना रहे हैं और अपनी मुख्य मंत्री सड़क बना रहे हैं, पैसा प्रधानमंत्री सड़क योजना से या आपके माध्यम से हो रहा है इसलिए बहस...(व्यवधान)

डा. किरोडी लाल : मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा : कृपया बैठ जाइए।

डा. किरोड़ी लाल : आप बिराज जाओ, अब तक अकाल के कामों की...

श्री रामनारायण मीणा : आप हर जवाब मत दीजिए और आप जवाब दोगे तो यह नहीं हो पाएगा।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, अब तक अकाल के काम चालू करने के लिए मात्र एक लाख मैट्रिक टन गेहूं हमको मिला है और यह श्रीमान जी भाषण दे रहे हैं, बगल में रामनारायणजी खड़े हो रहे हैं, आप दिल्ली की सरकार से क्यों नहीं कहते? हां, हमने ज्ञापन भेजा है 13 लाख मैट्रिक टन गेहूं, वहां से गेहूं क्यों नहीं दिलाते? गेहूं दिलाइए वहां से।

डा. किरोड़ी लाल : आप जब चाहे जब फोटो खिंचवा लेते हो, जब चाहो जब पैसा ले आते हो, जब चाहे बोनस ले आते हो, आप चाहते क्या हो? हमसे बचा क्या है? सब कुछ तो लग रहे हो फोटो खिंचा खिंचा कर।

मोहम्मद माहिर आजाद : डा. साहब, मेरे पास आज के लेटेस्ट आंकड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी तक संवत 2062 में कराये जा रहे अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों के भुगतान की स्थिति आपने केवल मात्र अजमेर में 1503 टन गेहूं का आपने भुगतान किया है बाकी आपने जयपुर में 92.925 किया है, जालौर में किया है, आपके बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़ यह पाली, नागौर, जोधपुर यहां कोई भुगतान नहीं किया गया है। आज ही के एक प्रश्न में आपने उत्तर दिया है तो आप तो गेहूं भुगतान कर ही नहीं रहे हो, श्रमिक जो लगे हुए हैं वह अभी तक आपके पूरे लगे हुए नहीं हैं, यह आज ही के आपके आंकड़े हैं लेटेस्ट इन्फार्मेशन है।

इसलिये मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि हमने अकाल राहत कार्य अगस्त में शुरू किये और आपने दिसम्बर में जाकर केवल ऊंट के मुहं में जीरा आपने दो लाख की लेबर सिलिंग निर्धारित, दो लाख 23 हजार की, यह आप खुद इससे सेटिस्फाइड हो क्या कि राजस्थान के 22 जिलों में 15778 गांव और उसके प्रभावित लोग और केवल 2 लाख लोगों की तय की और उसमें वास्तवितक कितने लाख लगे और उनको कितना रोजगार दिया, जरा आप अपनी छाती पर हाथ रख कर देख लेना,

धन्यवाद प्रस्ताव पर-3 मार्च, 2006 -वाद-विवाद

(मोहम्म्द माहिर आजाद)

आपको पता पड़ जाएगा कि आप राजस्थान की अकाल प्रभावित जनता के साथ न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की यह स्थिति है कि आज आप कहीं भी निकल जाएं राजस्थान के गांवों में शहरों में कहीं भी आपको पीने के पानी के लिए के फिर भी नहीं भटकना पड़ेगा लेकिन दारू की दुकानें इतनी खोल दीं कि हर तीसरी दुकान शराब की खोलने का काम किया है। आपने आबकारी नीति की धज्जियां उड़ा दीं। आपने जो सूखा दिवस थे उनकी संख्या कम कर दी, आपने धार्मिक त्यौहारों को भी नहीं बख्शा और गंगानगर शुगर मिल का जो बेड़ा गर्क किया है, वह राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। जितनी शराब दुखान्तिकाएं आपके राज में हुई हैं, जितने लोग राजस्थान के अन्दर मरे हैं उतने राजस्थान के 50 साल के इतिहास में नहीं मरे होंगे। यह आपने कीर्तिमान स्थापित किया है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे शुद्ध करने का काम कर दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में क्या कहा गया है कि अपराधों में कमी आई है, महिला अपराधों में कमी आई है, अनुसूचित जाति, जनजाति के अपराधों में कमी आई है। कमी तो इसलिए आई है कि पिछले साल अपराध 7.5 प्रतिशत बढ़ गये थे, आपका चालानी का प्रतिशत 50 घट गया था और आपने मौखिक निर्देश दे दिये कि आदमी, पीडित लोग रोते रहें, मुकदमें दर्ज ही मत करो ताकि यह अपराधों की संख्या कम विधान सभा में सही दिखा सकें। यह वास्तविकता है। आप कह रहे हो कि महिला अत्याचारों में कमी आई है, आज राजस्थान की स्थिति यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि आज 6 साल से लेकर के 60 साल तक की औरत सुरक्षित नहीं है और बलात्कार के जो कीर्तिमान आपके राज में हुए हैं, अस्पताल में बलात्कार, थानों में बलात्कार। और तो और जोधपुर के रणछोड़दास मन्दिर तक के अन्दर महिला के साथ बलात्कार किया गया है। इससे ज्यादा और क्या घटना होगी और आप क्या करना चाहते हो। इस महिला सशक्तिकरण के वर्ष में आप महिलाओं को यही सम्मान देना चाहते हो? अपराधों में बढ़ोत्तरी क्यों नहीं हो जब अपराधों की हालत यह है कि थानों से हथियार लूटे जा रहे हैं, जेलों से कैदी फरार हो गये हैं, सामप्रदायिकता की घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस संरक्षण के अन्दर दंगे कराये जा रहे हैं। वेलेंटाइन डे के मैं पक्ष में नहीं हूं लेकिन यहां अभी राजाखेड़ा

से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, आपके बजरंग दल और शिवसेना के सदस्य वेलेंटाइन डे के ऊपर पुलिस को साथ लेकर सैण्ट्रल पार्क में पति और पत्नी भी बैठे थे तो उनके साथ ही बदतमीजी करने का काम कर रहे थे। इस तरीके की इजाजत सत्ता के संरक्षण में मिले, लोगों को सही तरीके से जीने का हक नहीं मिले इससे ज्यादा बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। आपके बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता, राज्य सभा में विरोधी दल के नेता माननीय जसवंत सिंहजी, मैं उनका आदर करता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी अजहर मसूद को अपने साथ हवाई जहाज में बिठाकर के कंधार कौन ले गये थे? आदमी से एक बार गलती हो जाए, भूल हो जाए, सुधर जाए, अब पाकिस्तान की यात्रा की, वह प्रख्यात तस्कर, गृह मंत्रीजी स्वीकार कर रहे हैं कि वह तस्कर गया कैसे?

श्री अध्यक्ष : पार्टी का पदाधिकारी है। उस तस्कर को कैसे.. (व्यवधान) आप शांत रहिये।

श्री मदन राठौड़ : ... यह पंचायत समिति का सदस्य, सरपंच, कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष आपकी कांग्रेस पार्टी का रहा है। वही व्यक्ति जब आपके पास रहे तो खरा सोना और इधर आ जाए तो बदमाश, आतंकवादी। आपके पास रहे तो खरा सोना, गले लगाकर के रखा। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक।

मोहम्मद माहिर आजाद : अजहर मसूद पंचायत समिति का सदस्य?

श्री मदन राठौड़ : वह जेल में गया। आप भाषण भी दो तो सही तथ्यों पर दो तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप मनगढंत बात करते हो। वही व्यक्ति जब आपके पास रहे तो बहुत अच्छा, मालाएं पहनाते हो, स्वागत करवाते हो, उसका अभिनन्दन करते हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर मेरी बात गलत हो अध्यक्ष महोदय...

श्री रामनारायण मीणा : इन्होंने कब कहा कि हम संस्कारित हैं? आप तो कहते हो कि संस्कारित हैं। ऐसा धंधा क्यों करते हैं?

श्री मदन राठौड़ : ये संस्कारित नहीं है यह बात कह दो। यह बात भी ठीक है। ये कह दें कि ये संस्कारित नहीं हैं। वैसे भी ये कई बार पार्टी बदलते

रहे हैं। कभी हमारे साथ ही रहे हैं, कभी उधर भी रहे हैं, फिर कोई भरोसा भी नहीं है, कभी इधर भी आ सकते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अब यह देखो आप। राजेन्द्रजी भी हमारे साथ रहे हैं, आप तो कल आये हो। माननीय अध्यक्ष भी रही हैं, ये रामनारायणजी डूडी कहां थे? ये गंगारामजी कहां थे? आप फालतू की बात मत करिये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : आपका इरादा क्या है वह बता दो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अजहर मसूद को कंधार लेकर के गये, क्या सही है क्या यह काम? आप प्रशंसा कर सकते हो इसकी, माहिर आजाद नहीं कर सकता, कांग्रेस नहीं कर सकती। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : उस समय उन यात्रियों को छुड़ाने के लिए आप छाती पीटकर रो रहे थे, आप हल्ला मचा रहे थे कि इनको छुड़ाओ, इनको छुड़ाओ तब फिर छुड़ाने के लिए जाना भी पड़ा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो दाउद इब्राहिम के लिए भी रोयेंगे, उसको भी ले आओ न। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : रोयेंगे तो खतरनाक बात है। यदि दाऊद के लिए रोयेंगे तो बहुत खतरनाक बात है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या बात करते हो आप? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : दाऊद इब्राहिम के लिए रोओगे तो सलमान खान की तरह अंदर रहोगे। (व्यवधान) दाउद इब्राहिम के लिए रोओगे तो सलमान खान की तरह अंदर रहोगे। (व्यवधान) अब आपका असली रूप सामने आ गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप माननीय सदस्य को बोलने दें। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, दाऊद इब्राहिम की चर्चा नहीं होने देंगे। नाम कैसे लिया? (व्यवधान) ऐसे खूंखार आतंकवादी का नाम भी इस पवित्र सदन में कैसे लिया। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : .... दुश्मन का नाम लिया है। (व्यवधान) दुश्मन का नाम लिया है। (व्यवधान) उसके समर्थक हैं ये। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : इन्होंने भारत के दुश्मन का नाम यहां कैसे ले लिया?

श्री मोहन लाल गुप्ता : भारत के दुश्मन का नाम लिया है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : ऐसे पवित्र सदन में उसका नाम कैसे ले लिया, इनको माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान) ऐसे धूर्त, हत्यारे, कसाई का नाम पवित्र सदन में नहीं लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बंशीलाल खटीक : दाऊद इब्राहिम हमारे हिन्दुस्तान का दुश्मन है। और उसका यहां पवित्र सदन में नाम लेना अन्याय है, इनको माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, बोलने दो उन्हें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पता नहीं पेट में क्या मरोड़ हो जाता है। (व्यवधान) अजहर मसूद को ले गये, वो दोस्त था क्या? (व्यवधान) हम तो उसकी भी आलोचना कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : ... माननीय सदस्य, सुनिये, यह बात हमारे राष्ट्र भक्ति के लिए ठीक नहीं है, आप भी राष्ट्र भक्त हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके पास जितने...(व्यवधान) कम नहीं हैं।

श्री महिपाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इसी तरह से व्यवधान किया गया तो हम भी माननीय सदस्यों के खिलाफ बोलेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनकी पार्टी में तो सारे ही लोग ऐसे हैं। (व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव पर-3 मार्च, 2006 -वाद-विवाद

श्री महिपाल सिंह यादव : आपके निर्देश के बाद भी ये कर रहे हैं। (व्यवधान) ऐसा लगता है कि दंगा पार्टी साबित हो रही है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार :.... बहुत अच्छा बोल रहे हैं फिर इनको तकलीफ किस बात की है? क्या तकलीफ हो रही है आपके? (व्यवधान) क्या तकलीफ हो रही है जब बोल रहे हैं तो। (व्यवधान) White is this? क्या सदन है यह?

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप जैसे समझदार सदस्यों से, आप जैसे राष्ट्र भक्तों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि दाऊद इब्राहिम को लाने की आप सिफारिश करेंगे। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : दाउद इब्राहिम के हिमायती नहीं बनने देंगे इस पवित्र सदन में।

श्री अध्यक्ष : राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप भी कोई ऐसी बात नहीं करें कि लोग ख्वाहमख्वाह में उत्तेजित हों। (व्यवधान)

श्री महिपाल सिंह यादव : जिन्ना का क्या हुआ? कहां गये आडवाणी? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : दाउद इब्राहिम हमारे देश का दुश्मन है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अजहर मसूद दोस्त है क्या?

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह किसने कहा?

मोहम्मद माहिर आजाद : अजहर मसूद दोस्त है क्या? क्यों ले गये उसे हवाई जहाज में बिठाकर के? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : जिन्ना साहब की कब्र पर धोक देकर के आये हो और राष्ट्रवादी बनते हो। बोलने दो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कानून और व्यवस्था की स्थिति पर आपसे चर्चा कर रहा था।

श्री अध्यक्ष : आप भी कहां पांच वर्ष पहले की बात पर आ गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : उसको तस्कर को तो अभी ही ले गये हैं, एक महीना ही हुआ है। उस पर हुई थी इनके तो चुरौंटी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में तो बता दिया है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, यह सदन में क्या हो रहा है यह देखकर मेरी आत्मा अन्दर ही अन्दर कचोट रही है मुझे।

श्री अध्यक्ष : वह तो बता दिया न कि वो कांग्रेस पार्टी का है, वह कह रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : लेकर ये क्यों गये थे? इनको क्या जरूरत पड़ रही थी? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, मैं मेरी बात कर रहा हूं, गलत हो तो आप उसको निकाल दें, ये उसका जवाब दे दे, प्रतिवाद कर दें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : पांच साल की बात पर पीड़ा हुई है और लालकृष्ण आडवाणी ने जब पाकिस्तान में जाकर के कह दी छोटी सी बात तो इन्होंने अध्यक्ष को हटा दिया, इस बात पर शर्म आने लग गई कि हमारे देश के खिलाफ कैसे बोलकर के आये हो और यह छोटी सी बात की तकलीफ हो गई। आडवाणी को हटा दिया और उनकी फोटो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लगाते थे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बहुत अच्छा। आप बोलें।

श्री बंशीलाल खटीक : पर दाऊद इब्राहिम के हिमायती तो नहीं बनने देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम हिमायती नहीं हैं, तुम वक्त बदलते ही पाला बदल लेते हो।

श्री मोहन लाल गुप्ता : ... तो स्वागत है आपका। आपने बोला कि नहीं हैं, ठीक है, यह बोलिये आप, धन्यवाद आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं हैं, कतई नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आपके केवल दो मिनट रह गये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : पांच मिनट बोला हूं और दो मिनट ही रह गये।

श्री अध्यक्ष : देखिये, यह व्यवस्था पहले दी जा चुकी है कि साढ़े छह बजे आधा घंटे की चर्चा होगी और 7 बजे के बाद समय नहीं बढ़ाया जाएगा। यह बात पहले तय हो चुकी है इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आपके दो मिनट रह गये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, कल भी राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उनके बोलने तक आपने समय बढ़ाया था। यह तो कोई बात नहीं हुई कि दो मिनट में बात खतम हो।

श्री अध्यक्ष : वह आधे घंटे की चर्चा है, उसका समय है इसलिए कह रही हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह 10 मिनट बाद हो जाएगी, उसमें क्या हो गया।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपने 25 मिनट पहले बोलना शुरू किया था, मैं यह मान लूं कि आपका 4 मिनट चला गया व्यवधान में तो...

मोहम्मद माहिर आजाद : चार मिनट, आप देख लें, आपके पास तो रिकार्ड है।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट मान लीजिये तो भी 20 मिनट बोल चुके आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में पेज 43 पर कहा गया है, इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हम बिजली का उत्पादन बढ़ायेंगे, बिजली की बढ़ी हुई दरों को व्यावहारिक बनायेंगे और इलेक्ट्रोनिक मीटरों की समीक्षा करके हटायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक भी इलेक्ट्रोनिक मीटर आपने हटाया? आपने बेतहाशा उपभोक्ताओं और कृषकों की रेट बढ़ा दी, एक मेगावाट बिजली का उत्पादन आप कर नहीं पाये। आज आप मजे में इसलिए हो कि पिछली कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार 1750 मेगावाट बिजली का रिकार्ड उत्पादन करके छोड़कर गई थी जिसकी प्रशंसा तत्कालीन प्रधान

मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी जब कोटा में आये थे तो उन्होंने भी की थी। आज उसके मजे मार रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 20 साल से राजेन्द्रजी, आप और हम इस सदन में हैं...

श्री अध्यक्ष : पूछो मत आप, कहते जाओ। पूछो मत कुछ, आप कहते जाओ। जवाब देने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए कह रही हूं, आप कहते जाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा कह देता हूं साहब, चलिये। (व्यवधान) कभी कांग्रेस के शासन में जुलाई के अन्दर पावर कट नहीं हुआ। नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी में जब गेहूं की फसल को पानी के लिए बिजली की जरूरत ज्यादा होती थी तब भले ही कटौती हो जाती थी। आपके राज में दो साल से जुलाई में पावर कट हो रहा है। आप शहरों में कर रहे हैं, गांवों में कर रहे हैं। सिंगल फेस भी आप स्टूडेंटस को दे नहीं पा रहे हैं और स्थिति यहां तक हो गई कि आपने बिजली के अन्दर राजस्थान के हिस्से की बिजली मध्य प्रदेश को दे दी। आज भी मुख्य मंत्री का मध्य प्रदेश से मोह भंग नहीं हो रहा है। राजस्थान के हिस्से का पानी आप मध्य प्रदेश को देकर राजस्थान की अनदेखी कर रहे हैं और आप इसमें कह रहे हैं कि हम 2011-12 तक 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर लेंगे। यह मुंगेरीलाल के सपने क्यों देख रहे हो? मैं भी कह दूं कि साहब, मैं अगले जन्म में मुख्य मंत्री होऊंगा, प्रधान मंत्री होऊंग 2011-12 में आप कहां होंगे, कुछ आपका कोई ठिकाना, अता-पता रहेगा कि नहीं रहेगा?

श्री अध्यक्ष : बन सकते हो प्रधान मंत्री भी। ऐसी कोई बात नहीं है, बन सकते हो, मुख्य मंत्री तो आप बन सकते हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान का कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप कनक्लूड करें।

धन्यवाद प्रस्ताव पर-3 मार्च, 2006 -वाद-विवाद

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं दो मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सेज पर एम.ओ.यू. साइन हुआ है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन यह साइन हुआ, उस दिन से अब तक यानी 4 जुलाई, 2005 से अब तक इसके अन्दर 27 संशोधन हो चुके हैं। ऐसा कभी हुआ है? एक एम.ओ.यू. आप साइन कर रहे हो और उसके ऊपर 27 संशोधन आप 4 जुलाई से अब तक कर चुके हैं और ये सारे संशोधन किसलिए कर रहे हो, महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा को आप फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हो। आपने अभी लेटेस्ट में 16 फरवरी को जब इनके अरुण नन्दा मुम्बई से यहां आये थे। आपने एक ऐसा भयंकर संशोधन किया है कि जो जमीन प्लाट काटने के बाद जायेगी, उस पर भी महेन्द्रा एण्ड महिन्दा जब चाहे टाउनशिप डवलप कर सकती है। एम.ओ.यू. साइन होता है एक टाइम पीरियड के लिए, यह सारा आप किसलिए कर रहे हो? आपने अजमेर रोड की जमीन 40-50 हजार, एक लाख रुपये बीघा की थी, इनको आपने 7-8 हजार रुपये बीघा पर दे दी। आप मारने वाले का लट्ठ पकड़ सकते हो लेकिन आप कहने वाले की जुबान नहीं पकड़ सकते। आपके दो मंत्रियों ने सेज का विरोध किया, केबिनेट का बहिष्कार किया और उसके बाद में चुपचाप में समझौता कर लिया। लोग यह कहते हैं, मुझे नहीं पता वास्तविकता क्या है लेकिन जनता मिलती है, वह कहती है कि इन दोनों मंत्रियों की और इनके चहेतों की जमीन भी सेज में आ रही थीं इसलिए विरोध किया और जब उस जमीन को उससे निकाल दिया गया, अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया तो ये राजी हो गये। इस तरीके का भ्रष्टाचार आज इस सेज के नाम पर कर रहे हो।

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात की है और जो आरोप लगाया है, या तो उसके तथ्य सदन के पटल पर रखे और उन आरोप को साबित करे अन्यथा यह मानेंगे कि...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये आरोप लगाना चाहते हैं तो नियमों में आ जाये। ये नोटिस देते 273 में।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना तथ्यों के आधार पर माननीय मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाया है।

श्री अध्यक्ष : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, कौनसा खसरा नम्बर है इनका, वह तो बता दीजिये आप..(व्यवधान) क्या इनकी खातेदारी है, वह तो बता दो।

श्री बंशीलाल खटीक : सदन में माननीय मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाना...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आज इस सरकार के अन्दर जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उतना भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं हुआ।

श्री बंशीलाल खटीक : यह कार्यवाही में से निकालना चाहिए। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आजादी के बाद से लेकर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उससे भ्रष्टाचार की क्या चर्चा करें। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : ये भ्रष्टाचार के अन्नदाता हैं, ये भ्रष्टाचार के जन्मदाता हैं। आप अपने गिरहबान में झांककर देखो। 45 साल तक इस देश को लूट-लूटकर खा गये और इस देश को कंगाल बना दिया और...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, क्यों उत्तेजित हो जाते हैं, आप बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : हमारे मंत्रियों पर बिना तथ्यों के आधार पर आरोप लगाये जाते हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री मौजूद हैं। उनकी जमीन कहां है, या तो खसरा नम्बर ये बता दे या मंत्रीजी खुद कह दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये नोटिस देकर आते, नोटिस देते ये, 273 में नोटिस देते, हम जवाब देते। यह क्या बात हुई अध्यक्ष महोदय। मर्जी से अनर्गल आरोप लगा दिया, बिना किसी आधार पर लगा दिया, हम बैठे-बैठे सुनते रहे। ये मंत्रीजी को नोटिस देते।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे....

श्री अध्यक्ष : छह बजकर 34 मिनट हो गये हैं। पांच मिनट जो आपने लिये थे, वह आपने ले लिये हैं। अब तो कनक्लूड कर दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, मैं खतम कर रहा हूं, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार फैल रहा है, मुझे यह कहते हुए...

श्री बंशीलाल खटीक : इन्होंने जो कहा है, वह कार्यवाही से निकाला जाये। (व्यवधान) अभी आरोप जो लगाया है, वह कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जितना भ्रष्टाचार इस राज में फैल रहा है, उस भ्रष्टाचार के नाम गिनाने की बजाय मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है। गालिब ने सही कहा था कि ''बरबाद-ए-गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, अब हाल-ए-गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है''। आज चारों तरफ भ्रष्टाचार है, सर्वत्र भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बासी शेर है। यह शेर आप 15वीं बार सुना है हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और उस भ्रष्टाचार ने आपको भगाया है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : ... उन पर तो प्रमाणित मुकदमे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त प्रमाणित मुकदमे हैं। भ्रष्टाचारी मंत्रियों के नाम बतायें कि उनके ऊपर मुकदमे है। बात कर लो आप इस पर एक बार। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आज ही वन मंत्रीजी ने मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दिया है। शेरों की, बाघों की और बघेरें की संख्या घटी है, मुझे खुशी है यह कहते हुए कि बीजेपी का राज जब से आया है, गीदड़ों और लूंगरों की संख्या बढ़ रही है, आप यह जवाब देख लो। यह जवाब में कहा गया है। कहा या नहीं कहा है आपने? यह स्थिति है आपकी, आप क्या बात करना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया कन्क्लूड कर दें। आपने शेर पढ़ दिया, हर शाख में उल्लू बता दिया, अब तो बैठ जाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद : आधा मिनट, आधा मिनट।

श्री मदन राठौड़ : बहुत पुराना शेर है, पुराना शेर पढ़ा है। यह गीदड़ से भी कम हुआ।

श्री विजय बंसल : बरबाद-ए-गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था।

श्री मदन राठौड़ : हां, इनको मालूम ही नहीं है। आपने गलत शेर पढ़ा है, सही शेर इन्होंने बताया है...(व्यवधान) आपने शेर भी गलत पढ़ा है। यह संसारचन्द्र कौन था?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं अल्पसंख्यकों का नाम तक भी लेना इस सरकार ने उचित नहीं समझा। दलितों के बारे में कोई बात नहीं कहीं गई है। यह सब असत्य है। इसलिए मैं इस महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना समर्थन व्यक्त करने में असमर्थ हूं इसलिए मैं इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आधा घंटे की चर्चा होगी अब। हां, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, में धन्यवाद दूंगा माननीय माहिर आजाद साहब को कि उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा अवसर दे दिया है। इतनी सी बात उन्होंने कही है, कि दो मंत्रियों को उन्होंने, मेरा नाम तो नहीं लिया लेकिन मैं समझता हूं कि मेरा नाम है उन दो मंत्रियों में, मैं उस मीटिंग में नहीं आया था। उन्होंने कहा कि सेज में उनकी जमीन है और इसलिए पहले तो इन्होंने विरोध किया, फिर सेज से जमीन छोड़ दी इसलिए उन्होंने इसका समर्थन कर दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान भर में एक तो मेरी जमीन है सीकर में, जो मेरी सम्पत्ति है। एक मेरी जमीन है सिरसी जयपुर में जो 15 वर्ष से मेरे पास है। इसके अलावा यह सेज का इलाका या कोई भी इलाका है जिसमें एक इंच भी जमीन हो तो मैं सारी मोहम्मद माहिर आजाद को समर्पित करता हूं, वह ले लें। इसके अलावा और किसी को मिल जाये तो वह ले लें। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, यह व्हिसपरिंग कैम्पेन चला था कि इस बात का प्रचार किया जाये कि किसानों के हित के संरक्षण की बात नहीं करता, इसकी खुद की जमीन है वहां। सेज के इलाके में मेरी, मेरे परिवार की, मेरे सम्बन्धियों की, मेरे किसी के मिलने-जुलने वाले की भी एक इंच जमीन नहीं है और इसलिए इस प्रकार का आरोप लगाना मिथ्या है, गलत है, बेबुनियाद है और अनैतिकतापूर्ण है। (व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव पर-3 मार्च, 2006 -वाद-विवाद

श्री ओम बिरला : जवाब दो, जवाब दो।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

मोहम्मद माहिर आजाद : खुद माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि मेरे क्षेत्र के लोगों की है। आप प्रोसीडिंग निकालकर देख लें, उन्होंने कहा कि उनकी या उनके चहेतों की। इनके क्षेत्र के लोग चहेते नहीं हैं क्या? आप प्रोसीडिंग निकालकर देख लीजिये। आप उठाकर देख लीजिये प्रोसीडिंग। मैं क्या शब्द बोलता हूं, मैं इसको जानता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, गलत बात, गलत बात नहीं, नहीं नहीं। यह गलत बात है आपकी। (व्यवधान) नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने कोई क्षेत्र की बात नहीं की थी। आपने केवल यह कहा था कि दो मंत्री जिन्होंने सेज का विरोध किया, उनकी चूकिं वहां जमीन है, वह जमीन जब छूट गई तो उन्होंने इसका समर्थन किया।

मोहम्मद माहिर आजाद : 'चहेते' वर्ड्स यूज किया है, आप देख लेना प्रोसीडिंग। नहीं हो तो आपकी इच्छा हो वह कर लेना।

श्री अध्यक्ष : मैं जो कह रही हूं, मेरा देखा हुआ है, वह का वह है। देखा हुआ है मेरा तो, और क्या देखूंगी?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप देख लेना। आपके कहने से क्या है? आपके कहने से क्या है? मैंने 'चहेते' शब्द बोला है।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा । आधे घंटे की चर्चा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की मौजूदा सरकार ने...

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपको तो केवल एक मिनट में अपनी बात कहनी है, केवल यह कहना है। हां, आप पूछ लीजिये।

श्री संयम लोढ़ा : मैं पूछ ही रहा हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप पहले ध्यान आकर्षित कर दें, फिर मंत्रीजी अपनी बात कह दें, आप फिर पूछ लेना जो पूछना हो।

श्री अध्यक्ष : वह तो ध्यानाकर्षण में होता है, आधे घंटे में नहीं होता है, यह भी नहीं होता, आंधे घंटे में तो सीधे मंत्री ही बोलते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : अब आपकी आज्ञा क्या है, मैं बोलूं या मंत्रीजी बोलें।

श्री अध्यक्ष : आपको मैंने याद दिलाया है कि आपकी आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ हो रही है।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोल लेने दो।

श्री संयम लोढ़ा : मैं पूछ लूं, फिर फरमा देना आप।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : मेरे को ही सुनना चाहते हो तो मुझे सुन लो न।

श्री अध्यक्ष : आप पहले बोल लें।

श्री संयम लोढ़ा : उस समय आपने तो अपना वाचन किया था, मैं पूरक प्रश्न नहीं कर पाया था न।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : उस वक्त मेरी..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं पूछ लेता हूं, आप जवाब दे देना (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, बोल दीजिये। (व्यवधान) बोलने दीजिये उनको एक सैकण्ड में कह देंगे।

आधे घंटे की चर्चा

प्रदेश में गृहकर हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर से उत्पन्न मुद्दे

श्री संयम लोढ़ा : मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 150 करोड़ रुपये का लक्ष्य गृह कर के अंदर राजस्थान की तमाम स्थानीय निकायों को दिया और झालरापाटन जहां से राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री निर्वाचित होकर आती हैं, आपने 30 लाख रूपये का टारगेट दिया, पूरा साल गुजर गया, आप सिर्फ दो हजार रुपये

(श्री संयम लोढ़ा)

वसूल कर पाये। और माननीय मंत्रीजी, जिस छबड़ा से आप चुनकर आते हैं, आपने वह छबड़ा नगर पालिका को 15 लाख रुपये का टारगेट दिया और आप अपने खुद की नगर पालिका से पूरे एक साल में एक हजार रुपया मात्र वसूल कर पाये। इसके अलावा बाकी सारे आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता। आपने जब राजस्थान की जनता से जनादेश मांगा तो जिन 69 प्राथमिकताओं को राज्य की जनता के सामने रखा था उनमें बहुत स्पष्ट लिखा यह 51 नम्बर पर, गृह कर समाप्त। लेकिन सत्ता में आने के बाद में 73वें संविधान संशोधन के आधार पर जिन स्थानीय निकायों का कार्य सम्पादित किया जाना था...

श्री अध्यक्ष : अब हो गई बात आपकी, हो गया।

श्री संयम लोढ़ा : आपने 26 अप्रैल, 2005 को राजस्थान की तमाम नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों को एक चिट्ठी भेजी की अगर आपने पैसा वसूल नहीं किया तो आपका अनुदान रोक दिया जायेगा। मैं इसका यह अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जिन नगरीय निकायों द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना करते हुए गृह कर निर्धारण व प्रभावी वसूली की कार्यवाही नहीं की जायेगी, उनको राज्य सरकार की ओर से देय अनुदान हस्तांतरित किया जाना सम्भव नहीं होगा। साथ ही सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : हो गया। अब इनको जवाब देने दीजिये न आप।

श्री संयम लोढ़ा : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस तरह का आदेश जारी करके राजस्थान सरकार..

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : बस हो गया अब तो।

श्री संयम लोढ़ा : उन स्थानीय निकायों की स्वायत्ता में हस्तक्षेप कर रही है और भारत की पार्लियामेंट ने जिस 73वें संविधान संशोधन के बाद में इन स्थानीय निकायों का जो स्वरूप निर्धारित किया है, राजस्थान की मौजूदा सरकार न केवल उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है बल्कि उनकी स्वायत्तता पर हमला करने का प्रयास कर रही है और पूरे राजस्थान में इस तरीके से एक-एक मोहल्ले के अन्दर शिविर लगाकर के जो आपने लोगों का जुलूस निकाला है...

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे में आपको केवल प्रश्न पूछने का अधिकार है, उनके वक्तव्य के बाद में, भाषण देने का नहीं है, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : प्रश्न पूछ लिया साहब, उन्होंने। आप भाषण दे रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : मैं, अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं तो संवैधानिक व्यवस्था की और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं जिस संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन....

श्री अध्यक्ष : सरकार का ध्यान है तभी तो आधे घंटे की चर्चा हुई है।

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की मौजूदा सरकार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा इसीलिए यहां नियत है कि वो अपना वक्तव्य दें, फिर कोई प्रश्न पूछना हो, वह आप पूछ लें।

श्री संयम लोढ़ा : आप जवाब दो, मैं फिर पूछ लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आधे-आधे घंटे का भाषण दे रहे हैं...

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी जवाब दे दें, मैं बाद में पूछ लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आधे घंटे का भाषण दे दिया, अब क्या बचा है।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : माननीय महोदय, दिनांक 01 मार्च को सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य संयमजी लोढ़ा ने एक प्रश्न लगाया था गृह कर के बारे में। हालांकि उसका समुचित जवाब मैंने समय पर ही दे दिया था पर कुछ माननीय सदस्यों की और हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन माननीय सी.पी. जोशी साहब की थोड़ी नाराजगी थी कि मंत्री बहुत धीरे-धीरे पढ़ रहा है और ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। मेरी मंशा उस समय यह थी कि मैं इसकी पूरे विस्तार में जानकारी दे दूं ताकि कोई शंका माननीय सदस्य के मन में नहीं रहे। फिर जैसा आप सब जानते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आप सब के, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के निवेदन पर उन्होंने आधे घंटे की चर्चा को, जैसा उन्होंने कहा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा कि आधे घंटे की चर्चा रखवा दीजिये, हमको कोई आपत्ति नहीं है और मान्यवर, आपने इस बात को

सहर्ष स्वीकार किया और यह आधे घंटे की चर्चा आपने रखी। मैं कोशिश करूंगा कि जो माननीय सदस्यों की शंका है उनका पूरा जवाब दे सकूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगर पालिका का जो एक्ट 1959 में बना था उसमें यह प्रोवीजन मेंडेटरी था कि तीन प्रकार के टैक्स राजस्थान की जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, उनमें लिया जाय। उसमें एक गृह कर था, एक चुंगी थी और तीसरा व्यवसाय कर था। व्यवसाय कर जब से नगर पालिकाएं अस्तित्व में आई, व्यवसाय कर राजस्थान में किसी भी नगर पालिका में नहीं लगा। चुंगी कर की काफी डिमाण्ड उठती रही और बीच में चुंगी कर भी माफ कर दिया गया। अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें यह बात सही है कि राजस्थान में जितनी भी नगर पालिकाएं है उनमें गृह कर लिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि गृह कर एक तो 1959 का जो कानून है उसके तहत भी मेंडेटरी है और भारत सरकार की वह जो पुराने समय पर, आज से साल भर पहले जो यूरिफ की योजना बनी थी उसमें भी उन्होंने हमको जो गाइड लाइन दी थी उमसें यह कहा था कि यह जो यूरिफ का पैसा राजस्थान सरकार का आयेगा, उसमें भी यह मेंडेटरी कर दिया था कि आपको किसी न किसी प्रकार का टैक्स नगर पालिकाओं में वसूल करना पड़ेगा, गृह कर के लिए, सम्पत्ति कर के लिए उन्होंने विशेष आग्रह किया था। मेरा मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि यूरिफ योजना तो खतम हो गई और अभी भारत सरकार ने तीन योजनाएं नई प्रस्तावित की हैं। बजट में उनका उल्लेख भारत के जो माननीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात का हवाला दिया है। तीन जो स्कीमें हैं, मैं उसके बारे में आपको निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन है, इसमें हमको भारत सरकार से काफी पैसा आयेगा। दूसरी, लघु-मध्यम कस्बों का शहरी आधारभूत सुविधाओं के लिए विकास योजना है। जिसको यूआईडीएसएसएमटी के नाम से जानते हैं। तीसरी एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती, यह स्लम डवलपमेंट का कार्यक्रम है, आईएसएसडीपी। इन तीनों योजनाओं में भारत सरकार से हमको काफी पैसा मिलने वाला है और इन्होंने भी, भारत सरकार ने भी हमको यह गाइड लाइन दी है, भारत सरकार ने हमको कहा है कि आप हाउस टैक्स लें, तभी हम आपको इस प्रकार की ग्रांट देंगे। हम अगर हाउस टैक्स नहीं लेते हैं तो इस

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

प्रकार की ग्रांट जिससे राज्य के शहरों का नक्शा बदलेगा, जिस प्रकार की आज शहरों में जरूरत है, जिस प्रकार से आज शहरों में ट्रेफिक कंजेशन बढ़ रहा है, जो दूसरी प्रकार की स्थिति शहरों की हो रही है, जिस प्रकार जनसंख्या का दवाब शहरों में बढ़ रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार अपने बूते पर तो यह सब कुछ नहीं कर सकती, इसमें भारत सरकार का सहयोग भी हमको चाहिए। इसलिए हम यह गृह कर चालू रख रहे हैं। फिर भी मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात सही है कि सन् 2000 का जो चुनाव हुआ, सन् 2004 का चुनाव हुआ, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हम सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, इन्होंने जो मेनिफेस्टो डिक्लेयर किया, उसमें यह बात साफ तौर पर कही गई थी कि भारतीय जनता पार्टी शासन में आती है तो निश्चित रूप से हम गृह कर समाप्त करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी सरकार में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो, चाहे और कोई पार्टी सरकार में हो, जिसकी भी सरकार बनती है, जो भी मेनिफेस्टो लेकर जनता के बीच में चुनाव के समय पार्टी जाती है, जो सरकार सत्ता में आ जाती है, जिसकी पार्टी सत्ता में आ जाती है, वह पांच साल का मेंडेट होता है, पांच साल में उन चीजों को पूरा करने के लिए हमारा जो कार्यक्रम है, हम आज भी यह नहीं कह रहे हैं, हम यह जरूर कह रहे हैं कि हम परीक्षण करवा रहे हैं, परीक्षण के बतौर क्या किस प्रकार से राजस्थान की नगर पालिकाओं की माली हालत ठीक करवाई जा सकती है, हम परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण के बाद जिस प्रकार का भी हमारा निर्णय होगा, निश्चित प्रकार से हम आपको अवगत करायेंगे। माननीय आज हमारा पांच साल के लिए है, सवा दो साल गुजरे हैं। अभी तीन साल बाकी है। निश्चित रूप से अब यह गृह कर हैं, हमने मेनिफेस्टो में जो बातें डिक्लेयर करीं, वह भी काफी पूरी कर दी हैं, अभी पांच साल का समय है, इस पर भी विचार किया जायेगा। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको एक निवेदन (व्यवधान) एक मिनट भाई साहब

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं।

आधे घंटे की - 3 मार्च, 2006 - चर्चा

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अरबन डवलपमेंट के मामले में पिछली सरकार, जो गहलोत साहब मुख्य मंत्री बने थे उन्होंने भी कुछ घोषणाएं की थी। उन्होंने 1998 के चुनाव में घोषण-पत्र में यह कहा था कि आवास नीति बनायी जाएगी और आवास नीति में जो घोषणा की थी लोगों के समाधान के लिए आवास नीति बनायी जाएगी। मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने पांच साल पूरे निकाल दिये, सवा दो साल अब ये विपक्ष में भी बैठ लिए और इन्होंने आज दिन तक कभी भी मैंने तो नहीं सुना इस हाउस में आवास नीति की बात की हो। दूसरा इन्होंने यह कहा कि जो कृषि भूमि पर जो कालोनियां बनी हैं इनका जब नियमन किया जायेगा तो हम स्टाम्प ड्यूटी फ्री कर देंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये हमको तो कह रहे हैं हमको तो शिक्षा दे रहे हैं कि आपने घोषणा-पत्र में जो बातें कही हैं पूरी करो पर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहूंगा प्रतिपक्ष के नेता से कहना चाहूंगा कि आपने जो ये घोषणाएं की कम से कम इसके बारे में तो जिक्र करते। तीसरा अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य श्री संयमजी लोढ़ा ने निवेदन किया कि आपने इस प्रकार की चिट्ठियां लिखी हैं। यह बात सही है कि ये रूटीन की चिट्ठियां है रूटीन में इस प्रकार की चिट्ठियां विभाग लिखता रहता है क्योंकि आज की तारीख में हमने गृहकर समाप्त नहीं किया है इसलिए यह हमारे अधिकारियों का काम है और उसको फालो अप कर रहे हैं। कोई भी सरकार बनती है तो प्रत्येक वर्ष टारगेट बढ़ा कर देती है हमने भी टारगेट बढ़ा कर दिया है। रहा जहां तक सवाल छबड़ा और झालरापाटन का आपने जो जिक्र किया। वहां भी आप ये नहीं कह सकते कि हमने वसूली के लिए चिट्ठी नहीं लिखी है। कोई पत्र नहीं लिखा है। अगर जो चिट्ठी मान लो किसी और नगर पालिका ने या किसी निगम ने इस प्रकार की स्थिति नहीं की है तो उनको भी उसी प्रकार के पत्र लिखे हैं और उनके लिए भी वो ही कहा है जो सम्बन्धित दूसरी नगर पालिकाओं के लिए कहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय हाउस टैक्स से 11-12 करोड़ रुपये मिलते थे, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आज की तारीख में हमने 26 करोड़ रुपये से ज्यादा 15 फरवरी तक वसूल कर लिया है और आपको ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले समय में नगर पालिकाओं में गृहकर मात्र 80 नगर पालिकाओं में इकटठा

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

किया जाता था जो आज बढ़कर 170 नगर पालिकाओं में गृहकर अपने आप वसूल करने लगे हैं। उसमें कांग्रेस की भी नगर पालिकाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की भी नगर पालिकाएं हैं। अगर आपको गृहकर का विरोध करना था तो आपके जो चेयरमैन हैं जहां आपकी नगर पालिकाएं हैं कम से कम उनके चेयरमैनों को तो कहते कि आप गृह कर मत लीजिये। उन्होंने किस आधार पर गृहकर लिया मुझे आप इसका भी जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरी बात जितनी थी गृहकर के मामले में माननीय सदस्य की जितनी आशंका थी वो दूर कर दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले उन्हें कंपलीट करने दें उसके बाद।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : केन्द्र सरकार की भी योजनाएं जो हमारे अरबन डवलपमेंट के लिए उन्होंने बनाई हैं उनमें भी गृहकर मेंडेटरी किया है इसलिए फिर भी हम इस पर विचार कर रहे हैं और जैसा भी फैसला होगा उससे जनता को अवगत करा दिया जायेगा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा में जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है उसने प्रस्ताव पारित करके इसका विरोध किया है कोटा में।

श्री विजय बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान में 182 नगर पालिका, परिषद् और निगम हैं..।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं जान सकते हैं पहले संयम लोढ़ा जानेंगे। आप नहीं जानेंगे पहले संयम लोढ़ा जानेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी ने यह कहा है कि कांग्रेस के बोर्ड इसका विरोध करें तो कांग्रेस के बोर्डस् ने तो किया ही है पर आपके अपने भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने कोटा के नगर निगम ने प्रस्ताव पारित करके इसका विरोध किया है और आपका यह उत्तर इस बात की जानकारी देता है कि आप कोटा में एक फूटी कौड़ी भी वसूली नहीं कर पाये और झालारपाटन की जनता ने आपके और आपके मुख्य मंत्री के इस आह्वान को मात्र एक हजार रुपये जमा करके साफ ठुकरा दिया है। आपके छबड़ा के लोगों ने ठुकरा

(श्री संयम लोढ़ा)

दिया है और आपको और आपकी मुख्य मंत्री को इस बात का संदेश दिया है कि जो वादा चुनाव के समय आपने जनता के साथ किया है उसको तुरंत पूरा करें इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता में आने के बाद अपने तौर तरीके बदलो मत। जिन वादों के आधार पर आप राजस्थान की जनता से जनादेश लेकर हुकूमत में बैठे हो, केन्द्र सरकार की चिट्ठियों के आधार पर राजस्थान की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो और आपकी इस 26 अप्रैल की चिट्ठी के आधार पर आपके अधीनस्थ अधिकारी और आपके कर्मचारी मौहल्लों में जाकर जिस तरह से कैम्प लगाकर लोगों की इज्जत का जुलूस निकाल रहे हैं। मेहरबानी करके सत्ता के अहंकार में आप मत रहो और माननीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को आप सदबुद्धि दो। यह झालरापाटन की जनता का संदेश है कि 15 लाख 30 लाख का टारगेट देने के बाद उसने एक हजार रुपये जमा कराये और लोकतंत्र के अन्दर जनता के आदेश से बड़ा कोई नहीं होता है इसलिए मेहरबानी करके जनता की भावनाओं का सम्मान करें और इसी सदन में और आज ही के दिन गृहकर समाप्त करने की घोषणा करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : वैसे तो आधा घंटे की चर्चा में केवल जो माननीय सदस्य जिसका प्रश्न होता है उसी को इजाजत दी जाती है फिर भी...।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, दो और दो सात होते हैं क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपने एडमिट किया था यह आधे घंटे की चर्चा का उस टाइम फोरमल नोटिस नहीं दिया गया था इसलिए आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि एक-दो माननीय सदस्यों को स्पेसिफिक सवाल पूछने की अनुमति प्रदान कर दें।

श्री अध्यक्ष : एक-दो को दे दूंगी इजाजत, मैं बात बता रही हूं कि वैसे दी नहीं जाती है। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में मेरी बात कहना चाहती हूं। दो मिनट में कह दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1997 में बी.जे.पी. का जोधपुर नगर निगम में बोर्ड था तो उस समय माननीय

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

अशोकजी गहलोत ने वहां पर धरना दिया था नगर निगम के बाहर और कहा था कि हाउस टैक्स नहीं लगना चाहिए और उन्होंने खुद सरकार में आते ही हाउस टैक्स लगाया था। यह क्या बात हो गयी जब तुम करते हो तब अच्छा है और हम करते हैं तब खराब हो जाता है। यह कोई बात हुई क्या। आपकी सरकार ने आते ही हाउस टैक्स लगाया था..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बृजकिशोर शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में यह कहा था कि उनके चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक करीब 75 प्रतिशत वादे पूरे कर दिये हैं और बड़े गर्व से कहा था। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब 75 प्रतिशत वादे पूरे कर लिये तो एक प्रतिशत वादा इस गृह कर को समाप्त करके क्यों नहीं पूरा कर देते? जिस गृह कर की वजह से जयपुर शहर के अन्दर 19 जगह धरने लगे हैं 19 जगह लोगों को परेशानियां हुईं। आपने इस 150 करोड़ की एवज में कुल 26 लाख रुपये वसूल किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी जो कह रहे थे यह बात बिलकुल सरासर गलत है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें प्रश्न, भाषण नहीं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं माननीय मंत्रीजी क्या यह सही नहीं है?...

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, टाइम बढ़ाइये। चर्चा समाप्त होने तक टाइम बढ़ाइये।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न श्री बी.डी. कल्ला को भी पूछने की अनुमति दे रही हूं।

श्री संयम लोढ़ा : टाइम तो बढ़ायें।

डा. सी.पी. जोशी : पहले आप सदन की चर्चा के लिए समय बढ़ाइये।

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य में और आप में कोई अन्तर तो है नहीं इसलिए मैं श्री बी.डी. कल्ला को इजाजत देती हूं।

श्री संयम लोढ़ा : समय बढ़ाइये अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाइये। एक मिनट बचा है समय बढ़ाइये।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, सात बजे तक का समय बढ़ाइये पहले आप उसके बाद चर्चा के लिए बात करिये।

आधे घंटे की - 3 मार्च, 2006 - चर्चा

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं कोई समय नहीं बढ़ेगा।

डा. सी.पी. जोशी : कोई समय नहीं बढ़ेगा, यह क्या मतलब है? क्या आप सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं? यह अध्यक्ष महोदय, रोज-रोज का धंधा नहीं है। ये पार्लियामेंट मिनिस्टर बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा।

श्री सांवरलाल : गृहकर आपकी सरकार ने लगाया है अब आप क्या चाहते हैं? समझ में नहीं आता है।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है पार्लियामेंट मिनिस्टर कह रहे हैं कि समय नहीं बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष : सुनिये तो पहले। आप आसन को सुनना नहीं चाहते। चूंकि पांच मिनट पीछे प्रारम्भ हुआ था समय इसलिए मैं 7 बज कर 5 मिनट पर सदन को एडजोर्न कर दूंगी।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, बंद कर दीजिये हमें चर्चा ही नहीं करनी है। बंद करिेये। चर्चा को जिस कांटेक्स्ट में आपने अलाउ किया है उसकी सैंक्टिटी भी नहीं रखना चाहते। Half an hour, it is no sacrosanct. अध्यक्ष महोदय, It is not sacrosanct half an hour. It is not sacrosanct half an hour.

श्री अध्यक्ष : क्यों? आधा घंटा है। शुरू में कम था तो पांच मिनट और दे दिये। क्या हुआ?

डा. सी.पी. जोशी : It is not sacrosanct half an hour. हाफ एंड आवर का मतलब यह है कि हाफ एंड आवर चर्चा का मतलब चर्चा होगी It is not the deadline of half an hour. आप, अध्यक्ष महोदय, नाराजगी रखिये लेकिन Half an hour is not a sacrosanct half an hour. It can be extended 10 minutes this way or that way. (जारी)

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य। आप हर समय आसन को डिक्टेट करना चाहते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, डिक्टेट नहीं करना चाहते,आप हमारी भावनाओं को समझना नहीं चाहती, हम कभी डिक्टेट नहीं करना चाहते, यह डिबेट कर लें।

श्री अध्यक्ष : आपकी भावनाओं को समझा तब 5 मिनट और बढ़ा रही हूं।

आधे घंटे की - 3 मार्च, 2006 - चर्चा

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय या तो आप डिमाण्ड पर रख देतीं, पिन पाइंट प्रश्न तो पूछने पड़ेंगे। आपने पहले ही कह दिया कि एक माननीय सदस्य ने पूछा है उनको मैं अलाउ करुंगी, फिर आपने कहा कि दो को अलाउ करूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह तो आपकी हमारे प्रति ज्यादती है। आप चाहते हैं कि डिबेट नहीं हो तो डिबेट नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं है। +++

श्री बृजकिशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं क्योंकि आपने कहा कि मैं प्रश्न पूछूं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान की जनता और खास कर जयपुर में हाउस टैक्स को वसूल करने के लिये बिना नोटिस दिये ढोल नगाड़े नहीं बजाये हैं। मेरे पास ढोल नगाड़े बजाने का सबूत है, इसका जवाब दे दें।

श्री भवानी सिंह राजावत : ... राजस्थान की जनता पर से करों का बोझ हमारी सरकार ने कम किया है। राजस्थान की जनता पर जो करों का बोझ आपने लगाया था उसको हमने कम किया है। चुंगी किसने लगाई थी, चुंगी आपने लगाई थी जिसको हमने समाप्त किया था।

श्री बृजकिशोर शर्मा : यह कह कर आप पूरा नहीं कर सकते, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दें (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है आपके चुनाव घोषणा पत्र में आपने हाउस टैक्स माफ करने का वादा किया था।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : किया था।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यदि वादा किया था तो आप कब हाउस टैक्स माफ कर रहे हैं? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कोटा संभाग में आप जान-बूझकर सख्ती नहीं कर रहे हैं इसलिये वहां पर वसूली नहीं हो रही है और आपने कहा कि जहां कांग्रेस की नगरपालिकाएं हैं वहां वसूली हो रही है, वहां आप एड रोक रहे हो। जो सरकार की तरफ से एड मिलती है उसको आप नहीं दे रहे हैं इसके कारण वहां पर वसूली हो रही है। इन बातों का आप खुलासा करें और आप यह स्पष्ट बतायें कि कब तक हाउस टैक्स माफ करेंगे और नहीं तो यह जो वादाखिलाफी आप कर रहे हैं, जैसे आप

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

नगाड़े बजा रहे हैं चुनाव के वक्त यही लोग नगाड़े बजाकर यह कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो, बीजेपी को वोट मत दो।

श्री बृजकिशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या यह सरकार अगर हाउस टैक्स माफ करती है तो कोई दूसरा टैक्स उसके एवज में तो नहीं लगायेगी।

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्रश्न थोड़े ही हुआ आपका, इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय मंत्रीजी बोलिये।

श्री श्रवण कुमार : मंत्रीजी एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में यह हुआ, बी.जे.पी. के समय में हम करेंगे। मैं मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि एक मामले में मैंने कहा था कि मंत्रीजी अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा की बीजेपी के लोगों को फायदा नहीं देंगे तो क्या आपको फायदा देंगे। तो मैंने कहा मंत्रीजी अवैध कब्जा कराना न बीजेपी का दायित्व है न कांग्रेस का दायित्व है।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, दोषी तो भारत सरकार है। भारत सरकार हमको कह रही है कि टैक्स लगाइये और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने हमको जो गाइड लाइन दी है, जो हमको इंस्ट्रक्शन दिये हैं उसमें कहा है कि 7 सालों में इसकी वसूली 85 प्रतिशत तक हो जाना जरूरी है।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह गाइड लाइन पालिसी से ऊपर है क्या। आप संविधान के अन्तर्गत चल रहे हैं या गाइड लाइन की बातें कर रहे हैं। जो कानून की व्यवस्था लिखी हुई हैं उसके अन्तर्गत राजस्थान को काम करना है। गाइड लाइन आपको बाउंड नहीं कर सकती।

श्री श्रवण कुमार : आपने चुनाव घोषणा पत्र में क्यों कह दिया था।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से कल्ला साहब ने कहा कि आप कोटा संभाग में तो सख्ती नहीं बरत रहे हो और पूरे राजस्थान में सख्ती बरत रहे हो। कल्ला साहब इस क्षेत्रवाद के कारण ही आप उधर बैठे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सरकार वादाखिलाफी कर रही है, जनता के साथ धोखा कर रही है इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ सदन से वाकआउट करती है और राजस्थान की जनता को बताना चाहती है कि आपकी वादाखिलाफी नहीं चलेगी, हाउस टैक्स को माफ करना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा।

(कांग्रेस विधायक दल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी :..(व्यवधान) हम क्षेत्रवाद नहीं करते, हम पूरे राजस्थान को एक मानते हैं, पूरे हिन्दुस्तान को एक मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रश्न जो उन्होंने आधे घंटे की चर्चा के दौरान पूछना चाहा था उनका मैंने सबका जवाब दिया है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की जितनी भी शंकाएं गृह कर के बारे में थीं उनका अक्षरशः मैंने जवाब दिया है और उनकी सभी आशंकाएं पूरी कर दी हैं। यह गृह कर पर राजनीति करना जानते हैं, राजस्थान की जनता इनको अच्छी तरह पहचानती है, इनकी कथनी और करनी मैं बहुत फर्क है इसलिये इनकी यह हालत हुई है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आसन के खिलाफ इन्होंने बहिगर्मन किया। आज भी संसदीय परम्पराओं को बिलकुल ताक में रखकर लगातार यह जो व्यवहार कर रहे हैं, मैं समझता हूं, उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि एक सी.पी. जोशी साहब नहीं बोल पाये इसलिए सी.पी. जोशी. साहब ने प्रतिपक्ष के नेता को कहकर बहिर्गमन करवा दिया। इस प्रकार धमका कर बहिर्गमन कराना उचित नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं संसदीय गरिमा के लिये ही वह वापस हाउस में बैठें।

श्री अध्यक्ष : बहिर्गमन उनका विषय है आप उस पर क्यों बोल रहे हैं, यह उनका विषय है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक शनिवार दिनांक 4 मार्च, 2006 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.05 बजे शनिवार, दिनांक 4 मार्च, 2006 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

वन्य-जीवों के अवैध शिकार पर रोक हेतु कार्य योजना

40. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों व पार्कों में पाये जाने वाले जानवरों की गणना कराई जाती है? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में कराई गई गणना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में जंगली जानवरों की संख्या में लगातार कमी हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जंगली जानवरों की अवैध शिकार पर प्रतिबंध के कानूनों को और अधिक कठोर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, विगत दो वर्षों की गणना की विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) वन्य जीवों की गणना में कुछ वन्य जीव प्रजातियों की संख्या में कमी की गणना हुई है। कम गणना के मुख्य कारण निम्न रहे हैं :-

1. गत गणना पद्धति की विश्वसनीयता असंदिग्ध नहीं रही है।

2. शिकार की घटनाएं।

3. बढ़ता जैविक दबाव।

(3) राज्य में जंगली जानवरों के अवैध शिकार हेतु वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 प्रभावी है जिसमें वर्ष 2003 में संशोधन कर इसे और कठोर और प्रभावी बनाया गया है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में राज्य के 10 अति संकटापन्न वन्य प्रजातियों की एक नयी अनुसूची बनाने

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

(वन मंत्री)

तथा इस प्रस्तावित अति संकटापन्न अनुसूची के वन्य प्राणियों के शिकार से सम्बन्धित अपराधों में वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में भारत सरकार द्वारा निम्न संशोधन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है :-

1. न्यूनतम सजा 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष तक की जाना तथा कम से कम 25000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित करना।
2. इस प्रकार के वन्य जीवों के शिकार के अपराध को गैर जमानती अपराध बनाया जाना।
3. इन अपराधों को गम्भीर किस्म के अपराध मानते हुए प्राथमिकता के आधार पर ट्रायल किया जाना।

परिशिष्ट - 'क'

राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों में वन्य जीव गणना वर्ष 2003 एवं 2004 का विवरण

क्र.सं.	नाम वन्य जीव	वर्ष 2003	वर्ष 2004
1.	बाघ	72	63
2.	बघेरा	590	470
3.	चीतल	16146	15559
4.	सांभर	15244	11446
5.	चिंकारा	3994	3501
6.	रोजड़ा	17146	15195
7.	जंगली सूअर	9492	7269
8.	भालू	599	539
9.	जरख	1305	1472
10.	गीदड़/सियार	4385	5534

क्र.सं.	नाम वन्य जीव	वर्ष 2003	वर्ष 2004
11.	भेडिया	511	476
12.	लोमड़ी	992	908
13.	मगरमच्छ	331	220
14.	लंगूर	20922	32057
15.	काला हिरण	1569	1698
16.	जंगली बिल्ली	888	925
17.	मोर	17869	29856
18.	सारस	109	111
19.	गोडावण	84	110
20.	गिध्द	9732	1400
	योग	**116980**	**128807**

मई 2005 में सरिस्का एवं रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्रों में श्री वी.पी. सिंह, सांसद की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से गणना कराई गई थी जिसके अनुसार रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में 26 बाघ तथा सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में शून्य बाघ पाये गये।

जैसलमेर जिले में अकाल राहत कार्यान्तर्गत नहरी विकास कार्य

41. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार इस वर्ष भी अकाल राहत कार्यों के तहत जैसलमेर जिले में नहरी क्षेत्र में डिग्गियों के निर्माण और खालों की कवरिंग का काम करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्तमान राहत कार्य डावटेल नीति में डिग्गी निर्माण एवं खाला

(अकाल राहत मंत्री)

कवरिंग के कार्य कराये जा सकते है। डावटेल नीति के अनुसार सामग्री मद पर व्यय होने वाली राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी एवं श्रम मद पर होने वाला व्यय राहत मद से दिया जायेगा। इच्छुक किसानों के प्रस्ताव आने पर सरकार इस प्रकार के कार्यों की स्वीकृति देती है। कार्य अकाल राहत की अवधि तक करवाये जा सकते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या-42

(स्थगित)

डी.पी.आई.पी. योजनान्तर्गत प्राप्त केन्द्रीय सहायता

43. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2004 से अब तक डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि आबंटित की गई? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत जिलेवार कितनी राशि व्यय की गई? माहवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार डी.पी.आई.पी. योजना का विस्तार कर राज्य के अन्य जिलों को शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस बाबत केन्द्र सरकार से पत्राचार किया गया है? यदि हां, तो सम्बन्धित पत्राचार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार कुडम्ब श्री मिशन पर आधारित राजस्थान पावर्टी एलिवेशन मिशन प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व किन-किन जिलों में?

उत्तर

(1) जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) विश्व बैंक की बाह्य सहायता (Externally Aided project) से संचालित परियोजना है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के मार्फत विश्व बैंक से माह जनवरी, 2004 से प्राप्त पुनर्भरण राशि का विवरण (परिशिष्ट 'अ') पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) इस परियोजना के अन्तर्गत की गई व्यय की राशि जनवरी, 2004 से जनवरी-2006 तक की माहवार सूचना (परिशिष्ट- 'ब') पर संलग्न है।

(3) जी हां। पत्रों की प्रतियां (परिशिष्ट – 'स') पर संलग्न है।

(4) कुडम्ब श्री मिशन का विवरण राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। विवरण उपलब्ध होने पर गुण-अवगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ जिले की नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियां

44. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं? इन समितियों के गठन व उनकी स्वीकृति के लिए क्या मानदण्ड हैं? समितियों की सूची व गठन की तिथि सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गत 3 वर्षों में जिला चित्तौड़गढ़ में कितनी ग्राम सेवा सहकारी, समितियों के गठन को मान्यता दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में 38 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं। समितियों के गठन के मापदण्ड परिशिष्ट-"1" पर एवं समितियों की सूची परिशिष्ट–दो पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में जिलों चित्तौडगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति नहीं दी गई है।

परिशिष्ट- "1"

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु मापदण्ड

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के डिप्टी गवर्नर डा. सी.डी. दांते की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर प्राथमिक कृषि

ऋणदात्री सहकारी समितियों का पुनर्गठन वर्ष 1976 में किया गया था, उस समय इन समितियों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से गठन के मापदण्ड निम्नानुसार रखे गये :-

(1) रेगिस्तानी/अर्द्धरेगिस्तानी क्षेत्र में प्रत्येक समिति के कार्यक्षेत्र में 5000 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। अन्य क्षेत्रों में 2000 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो।

(2) समिति कम से कम 2.00 लाख रुपये (वर्ष 1976 में) का ऋण वितरण करें एवं अपने सदस्यों को अन्य दैनिक उपभोग में आने वाली वस्तुएं खाद, बीज आदि उपलब्ध कराए।

(3) जनजाति क्षेत्र में लैम्पस के गठन की सिफारिश की गई थी, जिसमें 4000 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि एवं 10,000 की आबादी का होना अनिवार्य समझा गया।

परिशिष्ट - "2"

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में पंजीकृत पैक्स की सूची : पंचायत समितिवार

क्र.सं.	पंचायत समिति क्षेत्र निम्बाहेड़ा में पंजीकृत ग्राम सेवा सहकारी समिति
1.	बाडी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,
2.	रानीखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
3.	कोटडीकला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
4.	जावदा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
5.	लसड़ावन ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
6.	बडोली माधोसिंह ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
7.	गादोला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र.सं.	पंचायत समिति क्ष्ोत्र निम्बाहेड़ा में पंजीकृत ग्राम सेवा सहकारी समिति
8.	केली ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
9.	कनेरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
10.	बागेंडाघाटा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
11.	बड़ोलीघाटा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
12.	भगवानपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
13.	मिण्डाना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
14.	बांगरेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
15.	अरनोदा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
16.	अरनियाजोशी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
17.	उंखलिया ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
18.	मांगरोल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
19.	सतखण्ड ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
20.	फलवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
21.	कारूण्ड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.

क्र.सं.	पंचायत समिति छोटी सादड़ी में पंजीकृत ग्राम सेवा
1.	केसुन्दा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
2.	नाराणी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र.सं.	पंचायत समिति छोटी सादड़ी में पंजीकृत ग्राम सेवा
3.	जलोदियाकेलूखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
4.	सूबी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
5.	अम्बावली ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
6.	धोलापानी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
7.	स्वरूपगंज ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
8.	गोमाना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
9.	गणेशपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
10.	गांगरोल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
11.	कारूण्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
12.	लसेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
13.	पीथलवडी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
14.	जलोदाजागीर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
15.	बम्बोरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
16.	सेमरथली ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
17.	करजू ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.

सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

कोटा संभाग में अफीम की खेती पर प्रतिबन्ध

45. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2005-06 में नारकोटिक्स व स्मैक से सम्बन्धित कुल कितने प्रकरण प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज किये गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कोटा संभाग के जिलों व खासकर कोटा जिले में स्मैक से सम्बन्धित अपराध करने वालों की एक गंभीर सम्स्या है?

(3) क्या यह सही है कि स्मैक का सीधा सम्बन्ध अफीम की खेती से है? यदि हां, तो क्या सरकार युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने हेतु प्रदेश में अफीम की खेती पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2005-06 में (दिनांक 1.4.2005 से 15.2.2006 तक) नारकोटिक्स व स्मैक से सम्बन्धित कुल 932 प्रकरण प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज किये गये है। दर्ज प्रकरणों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। अफीम की खेती का विषय केन्द्र सरकार के अधीन है।

परिशिष्ट ''अ''

वर्ष 2005-06 में नारकोटिक्स एवं स्मैक से सम्बन्धित दर्ज प्रकरणों की सूचना

क्र.सं.	जिला	दर्ज कुल प्रकरण 1.4.2005 से फरवरी 2006 तक
1.	अजमेर	11
2.	भीलवाड़ा	43
3.	नागौर	07
4.	टौंक	Nil

क्र.सं.	जिला	दर्ज कुल प्रकरण 1.4.2005 से फरवरी 2006 तक
5.	जयपुर (उत्तर)	18
6.	जयपुर (दक्षिण)	12
7.	जयपुर (ग्रामीण)	07
8.	जयपुर (पूर्व)	15
9.	झुन्झुनूं	18
10.	सीकर	07
11.	दौसा	02
12.	बीकानेर	08
13.	चूरू	14
14.	गंगानगर	82
15.	हनुमानगढ़	75
16.	भरतपुर	04
17.	अलवर	11
18.	सवाई माधोपुर	05
19.	धौलपुर	05
20.	करौली	02
21.	जोधपुर (शहर)	01
22.	जोधपुर (ग्रामीण)	19
23.	जालौर	39
24.	जैसलमेर	02
25.	बाड़मेर	32
26.	पाली	33

क्र.सं.	जिला	दर्ज कुल प्रकरण 1.4.2005 से फरवरी 2006 तक
27.	सिरोही	18
28.	कोटा (शहर)	54
29.	कोटा (ग्रामीण)	18
30.	बूंदी	10
31.	झालावाड़	76
32.	बारां	102
33.	उदयपुर	34
34.	बांसवाड़ा	01
35.	चित्तौड़गढ़	98
36.	डूंगरपुर	02
37.	राजसमंद	13
38.	जीआरपी, अजमेर	29
39.	जीआरपी, जोधपुर	05
	कुल योग :-	**932**

खनन क्षेत्र से प्राप्त राजस्व का खनन क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं पर व्यय

46. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत वर्ष खनन कार्यों से कितना राजस्व प्राप्त किया गया और इस वर्ष कितनी राजस्व प्राप्ति अनुमानित है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त राजस्व में जिप्सम, लाइम-स्टोन, राक फास्फेट आदि खनिजों के विकास शुल्क व अन्य शुल्क की राशि भी सम्मिलित है? यदि हां, तो कितनी?

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(3) क्या सरकार द्वारा वसूली गई विकास शुल्क की राशि से खनन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु कोई राशि व्यय की गई है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा गत वर्ष 2004-05 में 645.34 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया। वित्तीय वर्ष 2005-06 में रुपये 728 करोड़ का निर्धारित राजस्व प्राप्ति अनुमानित है।

(2) जी हां। यह सही है कि विभाग द्वारा राजस्व प्राप्ति में जिप्सम विकास शुल्क से वर्ष 2004-05 में रुपये 1803.44 लाख, खनिज लाइम स्टोन (स्टील ग्रेड) से विकास शुल्क 480.27 लाख रुपये एवं राक फास्फेट से लीज मनी रुपये 1070.05 लाख प्राप्त हुई है।

(3) खनिज जिप्सम से प्राप्त होने वाला विकास शुल्क राज्य के राजस्व मद में जमा किया जाता है। राज्य विकास एवं जनहित के कार्यों में अलग से राज्य सरकार आवश्यकतानुसार राशि मुहैया कराती है। इसके अतिरिक्त खनिज क्षेत्रों में सड़क निर्माण व अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के कार्य भी कराये जाते हैं।

कोटा संभाग में अकाल राहत कार्यों हेतु स्वीकृत श्रमिक संख्या

47. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2005 में कोटा संभाग में जिलेवार कितने ग्राम अकाल ग्रस्त घोषित किए गए? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा कोटा संभाग में अकाल राहत कार्य कब शुरू किये गये तथा इसमें कितने लोगों को कार्यों पर लगाया गया?

(3) अकाल राहत हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राज्य को कितनी सहायता दी गई?

उत्तर

(1) वर्ष 2005 में कोटा संभाग के जिला बारां की तहसील किशनगंज

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

(सहायता मंत्री)

के 24 ग्रामों व शाहबाद के 30 ग्रामों, कुल 54 ग्रामों को दिनांक 7.12.05 को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। सूची संलग्न है। जिला कोटा, बूंदी व झालावाड़ अकालग्रस्त घोषित नहीं है।

(2) बारां जिले में 2.1.06 से अकाल राहत कार्य शुरू किये गये हैं। वर्तमान में 283 श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार दिया जा रहा है। दिनांक 2.1.06 से 20.2.06 तक कुल 6677 मानव दिवस सृजित किये गये हैं।

(3) वर्ष 2004-05 में अकाल राहत हेतु केन्द्र सरकार से अपने हिस्से की राशि 188.71 रुपये की सी.आर.एफ. मद से सहायता उपलब्ध करवाई व एन.सी.सी.एफ. में 216.79 करोड़ रुपये नगद तथा 13.49 लाख मैट्रिक टन गेहूं की सहायता प्रदान की गई थी।

खरीफ फसल खराबा सम्वत 2062 पेरा-7डी ग्रामवार सूचना जिला बारां

क्र.सं.	तहसील	नाम ग्राम	खराबा 75 प्रतिशत से अधिक	खराबा 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत	वि. विवरण
1.	शहाबाद	खटका	-	52	
2.		भावतीपुरा	-	54	
3.		कमलावदा	-	52	
4.		गहादरा	-	50	
5.		सिरसाद खुर्द	-	56	
6.		सिरसाद कला	-	53	
7.		रातई खुर्द	-	51	
8.		हरला वीरान	-	52	
9.		परला वीरान	-	53	
10.		चन्दनहेडा	-	56	
11.		खरदा	-	52	

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र.सं.	तहसील	नाम ग्राम	खराबा 75 प्रतिशत से अधिक	खराबा 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत	वि. विवरण
12.	शाहबाद	हडियाई वीरान	-	55	
13.		गणेशपुरा	-	55	
14.		खेरुनी वीरान	-	52	
15.		कमल खेडा	-	53	
16.		खैराई	-	51	
17.		धतुरिया	-	52	
18.		डाबरी वीरान	-	51	
19.		समरा	-	51	
20.		जखोनी	-	51	
21.		बहराई	-	51	
22.		पहाड़ीजागीर	-	51	
23.		कलानियां	-	54	
24.		पापलखेडा	-	51	
25.		खिरिया	-	52	
26.		हतवारी	-	51	
27.		पठावीरान	-	52	
28.		बालदा	-	51	
29.		पैनावदा	-	52	
30.		चिन्डालिया	-	51	
31.	किशनगंज	ब्रहमपुरा	-	58	

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र.सं.	तहसील	नाम ग्राम	खराबा 75 प्रतिशत से अधिक	खराबा 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत	वि. विवरण
32.	किशनगंज	सुवास	-	57	
33.		लहरुनी	-	52	
34.		वामनदेह	-	54	
35.		चन्द्रपुरा उर्फ नया गांव	-	54	
36.		जगतपुरा रुण्डी	-	55	
37.		करेरिया	-	50	
38.		करवरा खुर्द	-	54	
39.		खेडली (बादीपुरा)	-	55	
40.		मातीपुरा	-	60	
41.		सिमलाद	-	57	
42.		पीजना	-	57	
43.		रामपुर टाडिया	-	57	
44.		जनकपुर	-	58	
45.		माधोपुरा	-	55	
46.		जैतपुरा	-	56	
47.		कालीमाटी	-	56	
48.		रावना	-	58	
49.		मदनपुरा	-	55	
50.		पगारा	-	53	

क्र.सं.	तहसील	नाम ग्राम	खराबा 75 प्रतिशत से अधिक	खराबा 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत	वि. विवरण
51.	किशनगंज	जैसवा	-	54	
52.		पदमपुरा	-	51	
53.		मायथा	-	57	
54.		करवरी कलां	-	51	

राजस्थान-हरियाणा अन्तर्राज्यीय बस सेवा हेतु अनुज्ञा-पत्र

48. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान एवं हरियाणा प्रदेश के मध्य पूर्व में यात्री मार्गों के लिए कोई समझौता हुआ था? यदि हां, तो कब-कब व कौन कौन से मार्गों के लिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार यात्री भार बढ़ने के कारण उक्त मार्गों पर अनुज्ञा पत्र जारी कर हरियाणा से समझौता करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान एवं हरियाणा राज्य के मध्य पूर्व में वर्ष 1968 में और वर्ष 1997 में दिनांक 15.7.1997 को पारस्परिक परिवहन करार हुआ है। इस समझौते में शामिल मार्गों का विवरण परिशिष्ट '1' पर है।

(2) जी हां। राजस्थान एवं हरियाणा के मध्य नये पारस्परिक करार के आयोजन हेतु दिनांक 7.4.03 को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 88(5) के अन्तर्गत करार का प्रारूप हरियाणा सरकार को भेजा गया है। हरियाणा राज्य की ओर से इस सम्बन्ध में अभी तक कार्यवाही अपेक्षित है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अपने पत्र सं. प 5/याता./सामा./03/243 दिनांक 12.12.03 द्वारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

(यातायात मंत्री)

तथा चण्डीगढ़ राज्यों के साथ नवीन पारस्परिक करार हो जाने के उपरान्त ही हरियाणा राज्य में होकर जाने वाले मार्गों के प्रस्ताव हरियाणा के साथ प्रस्तावित करार में समावेश करने का इच्छुक है। तत्पश्चात नवीन प्रस्ताव प्रेषित किये जाने बाबत आग्रह किया गया है इस आशय की सूचना से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प. 9(23)परि./आर.टी.ए./2000/431 दिनांक 20.01.04 द्वारा परिवहन आयुक्त, हरियाणा को अवगत कराया जा चुका है।

अभी केवल हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ पारस्परिक करार पारित हो पाया है जिस पर धारा 88(6) के तहत कार्यवाही की जा रही है। पंजाब, जम्मू कश्मीर तथा चण्डीगढ़ के साथ समझौते की कार्यवाही चल रही है। इन्हीं कारणों से हरियाणा राज्य के साथ समझौते का मामला लम्बित है।

परिशिष्ट - '1'

वर्ष 1968 में राजस्थान और हरियाणा प्रदेश के मध्य हुए समझौते में सम्मिलित मार्गों का विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम
1.	सादुलगढ़ - सिरसा
2.	नोहर– सिरसा वाया रामसर– जामल– रामगढ़ी
3.	भादरा– हिसार वाया आदमपुर
4.	हिसार– राजगढ़ वाया झुंपा
5.	तिजारा– बावल वाया टपूकड़ा– बेरी– रेवाड़ी
6.	कोटपूतली– रेवाड़ी वाया बहरोड़
7.	तिजारा– रेवाड़ी वाया कोटकासिम– बावल
8.	बहरोड– रेवाडी वाया नीमराना - शाहजहांपुर– बावल
9.	पिलानी– लुहारू
10.	बहरोड– रेवाडी वाया कुन्द

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र.सं.	मार्ग का नाम
11.	खेतड़ी– निजामापुर
12.	प्रागपुरा– निजामपुर
13.	कोटपूतली– अटेली
14.	कोटपूतली– नारनोल
15.	सिंघाना– नारनोल वाया भांकरी
16.	बहरोड़– नारनोल
17.	सतनेली- खेतड़ी
18.	चिड़ावा– महेन्द्रगढ़
19.	झुन्झुनूं– नारनोल
20.	भादरा– फतेहाबाद
21.	हनुमानगढ़– डबवाली वाया संगारियां
22.	झुन्झुनूं– लुहारू वाया चिड़ावा
23.	बीसाउ– लुहारू
24.	कामा– फिरोजपुर– झिरका
25.	हनुमानगढ़ - सिरसा
26.	डीग– पुनहाना वाया जुरेरा
27.	भादरा– हिसार वाया बालसमन्द
28.	सादुलशहर– डबवाली
29.	भादरा– सिवानी वाया राजोहेन
30.	सिधमुख-हिसार
31.	जयपुर– लुहारू
32.	तिजारा– सोना वाया भिवाड़ी

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र.सं.	मार्ग का नाम
33.	तिजारा- फिरोजपुर– झिरका वाया निमली
34.	पचेरी– नारनोल वाया निजामपुर
35.	भादरा– सिरसा
36.	सिधमुख - तोसम वाया सिवानी
37.	बहरोड़ - नारनोल वाया हमीदपुर
38.	पचेरी– बहरोड़ वाया निजामपुर
39.	सूरजगढ़ - नारनोल
40.	भादरा- भटटुकलां
41.	सोना– रेवाड़ी
42.	गुडगांव– न– गांव वाया फिरोजपुर– रेवाड़ी
43.	अलवर–झुन्झुनूं वाया बहरोड– नारनोल-सिंगाना-चिडावा
44.	नूह– जुरेरा वाया पुनहाना
45.	सीकरी-पुनहाना वाया जुरेरा
46.	खेतड़ी– लुहारू वाया पिलानी– चिड़ावा– नारनोल– रेवाड़ी
47.	रोहतक– जयपुर वाया झज्जर– रेवाड़ी– बहरोड़– कोटपूतली
48.	भरतपुर– गुडगांव वाया डीग– जुरेना– पुनहाना– बेरकली- नूह
49.	दिल्ली– अलवर
50.	दिल्ली– जयपुर
51.	दिल्ली- ग्वालियर
52.	दिल्ली- खेतड़ी
53.	दिल्ली– झुन्झुनूं
54.	दिल्ली- भरतपुर

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों के मध्य वर्ष 1997 में हुए समझौते में सम्मिलित मार्गों की सूची-राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व हरियाणा रोड़वेज के संचालन हेतु

क्र. सं.	मार्ग का नाम
1.	जयपुर-चण्डीगढ़ वाया कोटपूतली-दिल्ली-अम्बाला
2.	जयपुर-शिमला वाया कोटपूतली-दिल्ली अम्बाला-चण्डीगढ़-कालका-सोलन
3.	उदयपुर-दिल्ली वाया नाथद्वारा-कांकरोली-गोमती-चोराहा-भीम-ब्यावर-अजमेर जयपुर-कोटपूतली-बहरोड़-शाहपुरा
4.	दिल्ली-जोधपुर वाया कोटपूतली-जयपुर-अजमेर-ब्यावर-वर-जयतारण-बिलाड़ा
5.	दिल्ली-अजमेर वाया कोटपूतली-जयपुर-दूदू-किशनगढ़
6.	दिल्ली-पुष्कर वाया कोटपूतली-जयपुर-अजमेर
7.	दिल्ली-कोटा वाया कोटपूतली जयपुर-टोंक-देयोली-बूंदी
8.	जयपुर-दिल्ली वाया कोटपूतली-बहरोड़-शाहजहांपुर
9.	कोटपूतली-दिल्ली वाया बहरोड़-शाहजहांपुर-धारुहेड़ा-मानेसर-गुड़गांव
10.	जयपुर-दिल्ली वाया शाहपुरा-थानागाजी-अलवर-रामगढ़-नोगांव-फिरोजपुर झिरका-सोहना-गुडगांव
11.	अलवर-दिल्ली वाया रामगढ़ नोगांव-फिरोजपुर-झिरका-सोहना-गुडगांव
12.	बालाजी-दिल्ली वाया सिकन्दरा-बांदीकुई-राजगढ़-अलवर-रामगढ-नोगावं फिरोज-पुर-झिरका-सोहना- गुडगांव
13.	बांदीकुई-दिल्ली वाया अलवर-रामगढ़-नोगांव-फिरोजपुर-झिरका-सोहना गुडगांव
14.	महावीरजी-दिल्ली वाया महुआ-लक्ष्मणगढ़-जालुकी-नोगांव-फिरोजपुर-झिरका सोहना-गुडगांव
15.	बौंली-दिल्ली वाया अलवर

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र. सं.	मार्ग का नाम
16.	गंगापुर-दिल्ली वाया सिकन्दरा-बांदीकुई-राजगढ़-अलवर-सोहना
17.	अलवर-फरीदाबाद वाया रामगढ़-नोगांव-फिरोजपुर-झिरका-तावडू-सोहना पलवल
18.	हिसार-महावीरजी वाया नारनोल-बहरोड़-अलवर-राजगढ़-महुआ-हिंडौन
19.	दादरी-भरतपुर वाया नारनोल-जाखरना-बहरोड़-अलवर-डींग
20.	दिल्ली-महावीरजी वाया गुडगांव-सोहना-फिरोजपुर-झिरका-नोगांव-रामगढ़ अलवर-राजगढ़
21.	नारनोल-अलवर वाया जाखरना-बहरोड़-तातडपुर चौराहा
22.	भीवाड़ी-बालाजी वाया दादरी-नारनोल-जाखरना-बहरोड़-अलवर-राजगढ़-बांदीकुई सिकन्दरा
23.	अलवर-बीकानेर वाया बहरोड़-जाखरना-नारनोल-निजामपुर-खेतड़ी
24.	अलवर-गंगानगर वाया बहरोड़– जाखरना-नारनोल-निजामपुर-खेतड़ी-पिलानी राजगढ़-हनुमानगढ़
25.	नारनोल-बहरोड़ वाया हमीदपुर
26.	जयपुर-नारनोल वाया कोटपूतली-रायपुर
27.	कोटपूतली-नारनोल वाया कोटपूतली-रायपुर
28.	हिसार-अजमेर वाया भिवाणी-दादरी-महेन्द्रगढ़-नारनोल-रायपुर-कोटपूतली शाहपुरा-जयपुर
29.	फतेहबाद-कोटपूतली वाया हिसार-भिवाणी-नारनोल-जाखरना-बहरोड़
30.	फतेहबाद-जयपुर वाया हिसार-भिवानी जाखरना-बहरोड़-कोटपूतली
31.	अजमेर-भिवानी वाया जयपुर-कोटपूतली-रायपुर-नारनोल-महेन्द्रगढ़-दादरी
32.	कोटपूतली-रोहतक वाया रायपुर-नारनोल-महेन्द्रगढ़-दादरी-कलनौर

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र. सं.	मार्ग का नाम
33.	कोटपूतली-भिवानी वाया रायपुर-नारनोल– दादरी
34.	जयपुर-रोहतक वाया कोटपूतली-बहरोड़-शाहजहांपुरा-रेवारी
35.	जयपुर-फरीदाबाद वाया कोटपूतली-बहरोड़-शाहजहांपुरा-रेवारी-भिवानी-सोहना
36.	रोहतक-अजमेर वाया रेवाडी-शाहजहांपुर-बहरोड़-कोटपूतली-शाहपुरा
37.	रेवाड़ी-कोटपूतली वाया बावलमोड़-शाहजहांपुर-बहरोड़
38.	भरतपुर-चण्डीगढ़ वाया दिल्ली-अम्बाला
39.	भरतपुर-दिल्ली वाया डींग-कामां-कोसी-होडल-पलवल-वल्लभगढ़-फरीदाबाद
40.	रेवाड़ी-जयपुर वाया वावलमोड़-शाहजहांपुर-कोटपूतली
41.	दिल्ली-बयाना वाया बल्लभगढ-पलवल-होडल-कोसी-कामां-डींग-भरतपुर-उच्चैन
42.	दिल्ली-महावीरजी वाया बल्लभगढ-पलवल-होडल-कोसी-कामां-डींग-भरतपुर उचीन– बयाना -हिण्डौन
43.	रेवाड़ी-कोटपूतली वाया शाहजहांपुर-जाटबहरोड़-बरडोड
44.	दिल्ली-ग्वालियर वाया फरीदाबाद-बल्लभगढ़-पलवल-होडल-कोसी-मथुरा-आगरा धौलपुर-मुरेना
45.	सोनीपत-शिवपुरी वाया फरीदाबाद-बल्लभगढ़-पलवल-मोडल-कोसी-मथुरा आगरा-धौलपुर-मुरेना
46.	हिण्डौन-दिल्ली वाया भरतपुर-मथुरा-बजना
47.	धोलपुर-दिल्ली वाया सरमथुरा-खैरगढ़-आगरा-मथुरा-कोसी-होडल
48.	भरतपुर-दिल्ली वाया कुमेर-गोवर्धन-कोसी-होडल-पलवल-फरीदाबाद
49.	भरतपुर-दिल्ली वाया मथुरा-कोसी-होडल-पलवल-फरीदाबाद
50.	भुसावर-दिल्ली वाया नगर-पहाडी-फिरोजपुर-झिरका-सोहना-गुडगांव

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र. सं.	मार्ग का नाम
51.	केलादवी-दिल्ली वाया पहाड़ी-फिरोजपुर-झिरका-सोहना-गुडगांव
52.	नदबई-दिल्ली वाया फिरोजपुर-झिरका-सोहना-गुडगांव
53.	भरतपुर-रेवाडी वाया डीग-कामा-कोसी-होडल-पलवल-सोहना-तावडू-धारुहेड़ा
54.	भरतपुर-दिल्ली-पानीपत-करनाल-कैथल
55.	बालाजी-दिल्ली वाया पहाड़ी– फिरोजपुर-झिरका-सोहना-गुडगांव
56.	गंगापुर-दिल्ली वाया महुआ-पहाड़ी-फिरोजपुर-झिरका-सोहना-गुडगांव
57.	बालाजी-दिल्ली वाया महुआ-भरतपुर-कामां-कोसी-होडल-पलवल-फरीदाबाद
58.	गुडगांव-भरतपुर वाया सोहना-फिरोजपुर-झिरका-पहाड़ी-नगर-डींग
59.	सोनीपत-महावीरजी वाया दिल्ली-फरीदाबाद-पलवल-होडल-कोसी
60.	सोनीपत-भरतपुर वाया दिल्ली-फरीदाबाद-पलवल-होड़ल-कोसी-कांमा-डीग
61.	अलवर-दिल्ली वाया किशनगढ़बास-तिजारा-टपूकड़ा-भिवाड़ी-तावडू-सोहना गुडगांव
62.	अलवर-दिल्ली वाया तिजारा-भिवाड़ी-धारूहेड़ा-मानेसर-गुडगांव
63.	दिल्ली-भरतपुर वाया गुडगांव-फिरोजपुर-झिरका-पहाड़ी-नगर-डीग
64.	दिल्ली-डींग वाया फिरोजपुर-झिरका-पहाड़ी-कांमा
65.	फिरोजपुर-झिरका तिजारा वाया-नीमली-हसनपुर
66.	रेवाडी-अवलर वाया धारूहेड़ा-भिवाड़ी-तिजारा-किशनगढ़बास
67.	फिरोजपुर-झिरका-खेतड़ी वाया निमली-हसनपुर-तिजारा-टपूकड़ा-भिवाड़ी धारूहेड़ा-रेवाड़ी-अटेली-नारनोल-निजामपुर
68.	रेवाड़ी-तिजारा वाया बावल- धारूहेड़ा-भिवाड़ी
69.	रेवाड़ी-तिजारा वाया धारूहेड़ा-भिवाड़ी

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र. सं.	मार्ग का नाम
70.	रेवाड़ी-अलवर वाया बोलानी-आलमपुर-कोटकासिम-बीबीरानी-किशनगढ़बास
71.	रेवाड़ी-खैरथल वाया बोलनी-आलमपुर-कोटकासिम-बीबीरानी
72.	खैरथल-दिल्ली वाया हरसोली-बीबीरानी-कोटकासिम-बोलानी-धारूहेड़ा मानेसर-गुडगांव
73.	खैरथल-दिल्ली वाया तिजारा-भिवाड़ी-धारूहेड़ा-गुडगांव
74.	रेवाड़ी-तिजारा वाया बोलानी-कोटकासिम
75.	तिजारा-दिल्ली वाया भिवाड़ी-धारूहेड़ा, गुडगांव
76.	तिजारा-फरीदाबाद वाया भिवाड़ी-तावडू-सोहना
77.	दिल्ली-जयपुर वाया बहादुरगढ़-रोहतक-भिवानी-लुहारू-पीपली-पिलानी-चिड़ावा झुन्झुनूं-सीकर-रींगस-चौंमू
78.	दिल्ली-झुन्झुनूं वाया बहादुरगढ़-रोहतक-भिवानी-लुहारू-पीपली-पिलानी चिड़ावा
79.	दिल्ली-चूरू वाया बहादुरगढ़-रोहतक-भिवानी-लुहारू-पीपली-पिलानी-चिड़ावा झुन्झुनूं-विसाउ
80.	लुहारू-जयपुर– वाया पिलानी
81.	जयपुर-भिवानी वाया रींगस-सीकर-झुन्झुनू-पिपली-लुहारू
82.	झुन्झुनूं-चण्डीगढ़ वाया चिढ़ावा-पिलानी-लुहारू-भिवानी-कालनूर-रोहतक पानीपत-करनाल-अम्बाला
83.	सीकर-दिल्ली वाया झुन्झुनूं-चिड़ावा-पिलानी-लुहारू-भिवानी-रोहतक-बहादुरगढ़
84.	झुन्झुनूं-भिवानी वाया चिड़ावा-पिलानी-लुहारू.
85.	सरदारशहर– दिल्ली वाया चूरू-झुन्झुनूं-पिलानी-लुहारू-रोहतक
86.	खेतड़ी-दिल्ली वाया मेहरा-निजामपुर-नारनोल-रेवाड़ी-धारूहेड़ा-गुडगांव

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र. सं.	मार्ग का नाम
87.	नीमकाथाना-भटिण्डा वाया राजगढ़-हिसार
88.	नागौर-दिल्ली वाया डीडवाना-सीकर-नीमकाथाना-नारनोल-रेवाड़ी-धारूहेड़ा गुडगांव
89.	लाडनूं-दिल्ली वाया सुजानगढ़-नीमकाथाना-नारनोल-रेवाड़ी-धारूहेड़ा-गुडगांव
90.	झुन्झुनूं-दिल्ली वाया चिड़ावा-सिंघाना-खेतड़ी-निजामपुर-नारनोल-रेवाडी धारूहेड़ा-गुडगांव
91.	रींगस-दिल्ली वाया श्रीमाधोपुर-कावट-चाला-सिरोही-नीमकाथाना-डाबला निजामपुर-नारनोल-रेवाड़ी-धारूहेड़ा-गुडगांव
92.	लाडनूं-दिल्ली वाया सुजानगढ़-लक्ष्मणगढ़-झुन्झुनूं-खेतड़ी-निजामपुर-नारनोल रेवाडी-धारूहेड़ा-गुडगांव
93.	सीकर-दिल्ली वाया नारनोल-रेवाडी-धारूहेड़ा-गुडगांव
94.	रींगस-दिल्ली वाया श्रीमाधोपुर-नीमकाथाना-कोटपूतली-बहरोड़-शाहजहांपुर धारूहेड़ा-गुडगांव
95.	नीमकाथाना-दिल्ली वाया कोटपूतली-बहरोड़-शाहजहांपुर-धारूहेड़ा-गुडगांव
96.	रेवाड़ी-झुन्झुनूं वाया नारनोल-निजामपुर-मेहरा-खेतड़ी-सिंघाना-चिड़ावा
97.	चण्डीगढ़-श्रीमाधोपुर वाया नारनोल निजामपुर-नयागांव-बायल-सालेदियामोड़ डाबला-मनवाणाकलां-नीमकाथाना-सिरोही-चाला-कांवट
98.	नारनोल-खाटूश्यामजी वाया निजामपुर-नयागांव-बायल-सालेदियामोड़ डाबलामनवाणाकलां-नीमकाथाना-सिरोही-कांवट-श्रीमाधोपुर-रिंगस
99.	दादरी-झुन्झुनूं वाया लुहारू-सूरजगढ़-चिड़ावा
100.	झुन्झुनूं-अलवर वाया सिंघाना-खेतड़ी-निजामपुर-नारनोल-बहरोड़
101.	नारनौल-सालासर वाया निजामपुर-नयागांव-बायल-सालेदियामोड़-डाबला मंगवाणा कलां-नीमकाथाना-सिरोही-चाला-उदयपुरवाटी-चिड़ावा-रघुनाथगढ़ सीकर-निछावा

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र. सं.	मार्ग का नाम
102.	दिल्ली-सरदारशहर वाया रोहतक-मेहम-हांसी-हिसार-सिवानी-झुंपा-राजगढ़ तारानगर-बालेरी
103.	हिसार-खाटूश्यामजी वाया राजगढ़-झुन्झुनूं-सीकर-रींगस
104.	दिल्ली-सीकर वाया गुडगांव-धारूहेड़ा-शाहजहांपुर-बहरोड़-कोटपूतली-पाटन नीमकाथाना-चाला-उदयपुरवाटी-चिरान-रघुनाथगढ़
105.	दिल्ली-बीकानेर वाया हिसार-रोहतक-मेहाम-हांसी-हिसार-सिवानी-झुंपा राजगढ़-तारानगर-भालेरी-सरदारशहर-टोलियासर-डूंगरगढ़
106.	बीकानेर-दिल्ली वाया रेवाड़ी
107.	बीकानेर-हरिद्वारा वाया-राजगढ़-हिसार-पानीपत-श्यामली
108.	चूरू-हिसार वाया राजगढ़-झुंपा
109.	हिसार-नोखा (मुकाम) वाया राजगढ़-तारानगर-सरदारशहर-डूंगरगढ़-जस्सार
110.	जैतपुर-झुन्झुनूं-हिसार वाया पिलानी-राजगढ़-झुंपा
111.	चूरू-सिरसा वाया तारानगर-साहवा-चोप्टा
112.	झुन्झुनूं-सिरसा वाया पिलानी-राजगढ़-हिसार
113.	दिल्ली-गंगानगर वाया रोहतक-भिवाणी-हिसार-फतेहाबाद-ऐलनाबाद मसीतावाली-हनुमानगढ़-लालगढ़
114.	हिसार-करनपुर वाया फतेहाबाद-सिरसा-ऐलनाबाद-मसीतावाली
115.	तोहना-गंगानगर वाया ऐलनाबाद-मसीतावाली-हनुमानगढ़-लालगढ़
116.	हिसार-गंगानगर वाया फतेहाबाद-सिरसा-ऐलनाबाद-मसीतावाली-हनुमानगढ लालगढ़
117.	जिन्द-गंगानगर वाया हिसार-सिरसा-देबावली-चोटाला-सांगरियां-हनुमानगढ़ लालगढ़

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र. सं.	मार्ग का नाम
118.	दिल्ली-गंगानगर वाया रोहतक-हिसार-भाद्रा-नोहर-रावतसर-हनुमानगढ़ लालगढ़
119.	दिल्ली-गंगानगर वाया रोहतक-हिसार-सिरसा देबावली-सांगरियां-हनुमानगढ़ लालगढ़
120.	हिसार-हनुमानगढ़ वाया फतेहाबाद-सिरसा-ऐलनाबाद-मसीतावाली
121.	सिरसा-गंगानगर वाया देबावली-चोटाला-सांगरियां-शार्दुलशहर
122.	ऐलनाबाद-बुधाजोर वाया नीमला-मसीतावाली-हैड-शेरगढ़-किशनपुरा हनुमानगढ़-सूरतगढ़-जैतसुर
123.	रोहतक-करनपुर वाया हांसी-हिसार-फतेहाबाद– हनुमानगढ़-लालगढ़-गंगानगर मिर्जावली
124.	ऐलनाबाद-गंगानगर वाया नीमला-मसीतावाली-हैड-शेरगढ़-किशनपुरा हनुमानगढ़-लालगढ़
125.	गंगानगर-भटिण्डा वाया हनुमानगढ़-देबावाली
126.	सूरतगढ़-भिवाणी वाया हनुमानगढ़-देबावाली-सिरसा-हिसार
127.	करनाल-गंगानगर वाया कुरूक्षेत्र-पहवा-कैथल-फतेहाबाद-सिरवा-ऐलनाबाद नीमला-मसीतावाली-हेड-शेरगढ़-किशनपुरा-हनुमानगढ़-लालगढ़
128.	सिरसा-गंगानगर वाया देबावाली-सांगरियां-हनुमानगढ़-लालगढ़
129.	हनुमानगढ़-भिवाणी वाया सांगरियां-देबावाली-सिरसा-फतेहाबाद-हिसार भवानीखेड़ा
130.	करणपुर-दिल्ली वाया नोहर-भाद्रा
131.	गंगानगर-भिवाणी वाया हनुमानगढ़-मसीतावाली-हैड-ऐलनाबाद-सिरसा फतेहाबाद-हिसार-हांसी-भवानीखेड़ा
132.	सालासर-हिसार वाया राजगढ़-झुंपा

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र. सं.	मार्ग का नाम
133.	सूरतगढ़-लुधियाणा वाया हनुमानगढ़-देबावाली-भटिण्डा-बरनाला
134.	बीकानेर-लुधियाणा वाया सूरतगढ़-हनुमानगढ़-देबावाली-भटिण्डा
135.	गंगानगर-यमुनानगर वाया हनुमानगढ़-देबावाली-सिरसा-फतेहाबाद-नरनावा कैथल-पहेवा-कुरूक्षेत्र
136.	अनूपगढ़-चण्डीगढ़ वाया सूरतगढ़ा-हनुमानगढ़-देबावाली-भटिण्डा-बरनाला
137.	हनुमानगढ़-नारनोल वाया भाद्रा-दाबड़ी-सिवानी-भिवाणी-दादरी-महेन्द्रगढ़
138.	गंगानगर-हरिद्वार वाया भाद्रा-हिसार-पानीपत
139.	गंगानगर-सिरसा वाया ऐलनाबाद
140.	सूरतगढ़-दिल्ली वाया हनुमानगढ़-मसीतावाली-हैड-ऐलनाबाद-सिरसा-हिसार रोहतक
141.	तोहना-बीकानेर वाया एैलनाबाद-हनुमानगढ़-सूरतगढ़-अर्जुनसर-लूणकरणसर जामसर
142.	हिसार-सूरतगढ़ वाया भाद्रा-नोहर-हनुमानगढ़
143.	सिरसा-सूरतगढ़ वाया ऐलनाबाद-मसीतावाली-हैड-हनुमानगढ़
144.	दिल्ली-रायसिंहनगर वाया सिरसा-देबावाली-हनुमानगढ़
145.	दादरी-जयपुर वाया नारनौल-कोटपूतली
146.	हिसार-जोधपुर वाया राजगढ़-चूरू-तारानगर
147.	फरीदाबाद-कोटा वाया पलवल-होडल-कोसी-कामां-डींग-भरतपुर-बयाना हिण्डोन-गंगापुर-सवाईमाधोपुर-इन्द्रगढ़-केशोरायपाटन
148.	नारनौल-उदयपुर वाया कोटपूतली-जयपुर-टोंक-देवली-बेगूं-चित्तौडगढ़ मांगलवाड़
149.	भिवाणी-नागौर वाया पिलानी-झुन्झुनूं-सीकर-डीडवाणा

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों के मध्य वर्ष 1997 में हुए समझौते में सम्मिलित मार्गों की सूची-राजस्थान के निजी आपरेटर्स एवं हरियाणा रोड़वेज के संचालन हेतु

क्र.सं.	मार्ग का नाम
1.	अलसीसर-लुहारू
2.	चिड़ावा-लुहारू वाया सांभकला
3.	खेतड़ी-निजामपुर
4.	खेतड़ी-नारनौल वाया निजामपुर
5.	खेतड़ी-सतानाली वाया सिंघाना
6.	खेतड़ी-नारनौल वाया राजोटा
7.	खेतड़ी-नगर-सताली
8.	खेतड़ी-भगवारी वाया निजामपुर मोड़
9.	कुहारावास-नारनौल
10.	खेतड़ी-कापर वाया सानू
11.	पिलानी-लुहारू
12.	सूरजगढ़-नारनौल
13.	पिलानी-दिल्ली
14.	सिंघाना-नारनौल
15.	कोटपूतली-नारनौल वाया गोपालपुरा
16.	कोटपूतली-नारनौल वाया बनेठी
17.	पाटन-नारनौल
18.	पिलानी-बहल
19.	चिड़ावा-महेन्द्रगढ़ वाया बुहाना

क्र.सं.	मार्ग का नाम
20.	बुहाना-महेन्द्रगढ़
21.	चिढ़ावा-लुहारू वाया सेंकला-भावथड़ी
22.	झुन्झुनूं-दिल्ली वाया नरसिंहपुरा
23.	खेतड़ी-दिल्ली
24.	पिलानी-चण्डीगढ़
25.	झुन्झुनूं-दादरी
26.	गुगलकोटा-रेवाड़ी वाया बरडोड
27.	गुगलकोटा-रेवाड़ी वाया बेवल
28.	मंथान-रेवाड़ी वाया कुन्द
29.	कानावास-महेन्द्रगढ़ वाया अटेली
30.	भागवाड़ी-महेन्द्रगढ़ वाया जखराना
31.	विजोरवास-नारनौल वाया हमीरपुर
32.	भागवाड़ी-नारनौल वाया जखराना
33.	कानावास-अटेली
34.	निमराना – नारनौल
35.	तिजारा-फिरोजपुर-झिरका-निमाली-पड़ासली-दैका
36.	तिजारा-रेवाड़ी वाया चावण्डी-भोंकर
37.	तिजारा-सोना वाया चावण्डी-भोंकर
38.	तिजारा-दिल्ली वाया बूंदी-बावल-भिवाड़ी-तौरूड-सोना-गुडगांव
39.	तिजारा-रेवाड़ी वाया मजरा-मंडाणा-कोटकासिम
40.	टपूकड़ा-नूह वाया खोरी-ग्वाल्डा
41.	साजनपुर-रेवाड़ी वाया बावल-तालवा

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र.सं.	मार्ग का नाम
42.	बहरोड़-नारनौल वाया गांधाला-मानवाडी-मंडावा कला खुर्द-दसोद-रेवाना के
43.	बडोड-रेवाडी वाया जाट बहरोड़-सोनाली-मोटावास-भोजपुरा
44.	अलवर-फिरोजपुर-झिरका वाया बहला-थेगड़ा-नैका-पिपरोली-भैसडोली बिजावा-नौगांव
45.	ससेरगाम-धारूहेड़ा वाया खेड़ी-भोगीपुरा-तावरू शहर
46.	मंजरा-कानावास-रेवाड़ी वाया बसाई-नांगल-कुथिना
47.	बहरोड़-नारनौल वाया हमीदपुर खोरी-बग्गड़-अटेली
48.	नगर-गुलपाडा-पहाड़ी-फिरोजपुर-झिरका
49.	छुरेना– नूह वाया पुनाहाना
50.	अमरूका-पहाड़ी वाया सोनका-सेसन-वामनवाडी-छुरेंना-पुनाहाना
51.	कामा-पुनाहाना-सिकरी वाया केथवाड़ा-अमरूका
52.	अमरूका-गुडगांव वाया छुरेला पनाहाना-बड़कली-नूह-सोना
53.	नोहर-सिरसा
54.	सादुलशहर-डबवाली
55.	भादरा-हिसार वाया बालसमन्द
56.	भादरा-सिरसा
57.	भादरा-हिसार वाया आदमपुर
58.	भादरा-भाटुकलां
59.	भादरा-सिवानी
60.	सिधमुख-हिसार वाया गोरची
61.	सादुलपुर-वहल
62.	सिधमुख-तोषाम वाया सिवानी

क्र.सं.	मार्ग का नाम
63.	सिधमुख-भिवानी वाया तोषम
64.	नोहर-फातियाबाद
65.	राजगढ़-हिसार वाया झुंपा
66.	सादुलपुर-रोहतक
67.	हनुमानगढ़-ऐलनाबाद
68.	भादरा-हिसार वाया बगल
69.	भादरा-फातियाबाद वाया महराना-रामसर
70.	हनुमानगढ़-हिसार वाया सुरेवाला
71.	भादरा-फातियाबाद वाया मोड़खेड़ा
72.	खेतड़ी-रेवाड़ी वाया निजामपुर-नारनोल
73.	कोटपूतली-हिसार वाया गोपालपुरा-रायपुर-नारनोल-महेन्द्रगढ़-दादरी
74.	खेतड़ी-रोहतक वाया निजामपुर-नारनौल-महेन्द्रगढ़
75.	कोटपूतली-खेतडी वाया गोपालपुरा-नांगल-चौधरी-निजामपुर
76.	कोटपूतली-दादरी वाया गोपालपुरा-रायपुर-नारनोल-महेन्द्रगढ़
77.	भिवानी-दिल्ली वाया लुहारू-सतनाली-महेन्द्रगढ़-रेवाड़ी-गुडगांव
78.	नारनोल-कोटपूतली
79.	भिवानी-राजगढ़ वाया वेहल
80.	सिरसा-सांगरियां
81.	सिरसा-भादरा वाया मोडाखेडा
82.	रेवाड़ी-कोटकासिम
83.	चण्डीगढ़-गंगानगर वाया भटिण्डा-अबोहर

क्र.सं.	मार्ग का नाम
84.	नूह-तिजारा वाया भादरा
85.	रेवाड़ी-कुधिना
86.	भरतपुर-मथुरा-कोसा-होड़ल-पलवल-फरीदाबाद-दिल्ली
87.	हनुमानगढ़-डबावाली वाया सांगरिया

पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों हेतु अनुदान

49. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्य हेतु नगर पालिकाओं, नगर परिषदों की भांति अनुदान एवं साधन देने का विचार रखती है यदि हां, तो कैसे तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पंचायती राज संस्थाओं को नगर पालिकाओं/नगर परिषदों की भांति स्वायत्त शाषी संस्थाएं बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायती राज संस्थाओं का कार्यक्षेत्र राज्य का ग्रामीण भाग है जबकि नगर पालिकाएं, नगर परिषदें आदि शहरी निकायों का कार्यक्षेत्र राज्य का शहरी भाग है अतः इन दोनों के कार्यक्षेत्र में एक आधारभूत अन्तर सुस्पष्ट है तथापि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं को जिन संसाधनों एवं अनुदान की आवश्यकता है, वह राज्य सरकार द्वारा इन पंचायती राज संस्थाओं को नियमित रूप से अंतरित किये जा रहे हैं। इस हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान का वितरण तथा समय-समय पर गठित होने वाले केन्द्रीय वित्त आयोगों एवं राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसरण में अनुदान एवं साधन का अंतरण किया जाता है। चूंकि शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती

(पंचायती राज मंत्री)

राज संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में आधारभूत भिन्नता होने के कारण इन संस्थाओं से सम्बन्धित योजनाओं में भिन्नता आना सहज एवं स्वाभाविक है।

(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य की पंचायती राज संस्थाएं, स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप में पूर्व से ही स्थापित हैं।

विधवा/असहाय महिलाओं की पुत्री की शादी हेतु दी गई सहायता

50. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) एवं **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा असहाय विधवा महिलाओं की पुत्री की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सहायता हेतु आवेदन विचाराधीन है? यदि हां, तो कितने? जिलेवार लम्बित प्रकरणों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार लम्बित प्रकरणों का कब तक निस्तारण करने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में विधवा महिलाओं की लड़कियों को विवाह हेतु आर्थिक सहायता दी गई? यदि हां, तो कुल कितनी लड़कियों को सहायता दी गई? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा असहाय विधवा महिलाओं की पुत्री की शादी के लिए दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(2) जी हां। जिलेवार लंबित प्रकरणों की संख्या सूची परिशिष्ट ''अ'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वित्तीय वर्ष 2005-06 में अब तक सहायता हेतु प्राप्त 2763 प्रकरणों में से 947 को निस्तारित किया जा चुका है, शेष में से 1250 को

(समाज कल्याण मंत्री)

निस्तारित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा शेष 566 प्रकरणों को अगले वित्तीय वर्ष में निस्तारित कर दिया जावेगा।

(4) विगत दो वर्ष में विधवा महिलाओं की लड़कियों को विवाह हेतु प्रदान की गई सहायता की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट ''अ'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

परिशिष्ट - ''अ''

जिले का नाम	विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या सूची	लाभांवितों की संख्या वर्ष 2003-04	लाभांवितों की संख्या वर्ष 2004-05
अलवर	177	103	71
बांसवाड़ा	35	30	20
बारां	63	66	48
बाड़मेर	48	14	15
भरतपुर	134	62	40
भीलवाड़ा	36	16	19
बीकानेर	15	11	17
बूंदी	32	13	19
चित्तौडगढ़	25	17	27
चूरू	41	15	20
दौसा	95	89	60
धौलपुर	5	10	8
डूंगरपुर	30	27	18

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

जिले का नाम	विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या सूची	लाभांवितों की संख्या वर्ष 2003-04	लाभांवितों की संख्या वर्ष 2004-05
श्रीगंगानगर	75	48	42
जयपुर	150	103	79
जैसलमेर	18	16	15
जालौर	45	21	20
झालावाड	10	23	15
झुन्झुनू	70	20	35
जोधपुर	42	38	40
कोटा	11	20	34
नागौर	52	19	20
पाली	34	15	16
राजसमंद	12	1	6
सवाईमाधोपुर	37	25	20
सीकर	130	32	15
सिरोही	6	29	31
टोंक	15	22	13
उदयपुर	32	25	33
करौली	98	105	62
हनुमानगढ़	83	23	21
अजमेर	13	17	20
योग	**1669**	**1075**	**919**

विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा हेतु प्रस्तावित कार्य योजना

51. **श्री जीतराम** (मालपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विदेशी पर्यटकों के साथ छेड़छाड एवं लूट की घटनायें पर्यटक सहायता बल एवं ''आपरेशन स्वागतम'' के उपरान्त भी बढ़ी हैं? यदि हां, तो क्यों? भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न हो इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

राज्य में विदेशी पर्यटकों के साथ वर्ष 2003, 2004 व 2005 में लूट की क्रमशः- शून्य, तीन व एक घटना तथा इन्हीं वर्षों में छेड़छाड़ की क्रमशः चार, पांच व नौ घटनायें घटी। लूट की घटनाओं में कमी आई है परन्तु छेड़छाड की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है। छेड़छाड़ की वर्ष 2005 की 9 घटनाओं में से 6 जयपुर शहर (दक्षिण) में घटी जो आटोरिक्शा चालक या मनचले व्यक्तियों द्वारा अचानक घटना घटित की गई। उक्त घटनायें इत्तफाक से ही बढ़ी हैं मगर सभी वारदातों में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाकर मुल्जिमों को गिरफ्तार करके चालान न्यायालय में पेश किया गया है। विदेशी पर्यटकों के साथ छेड़छाड़ एवं लूट की घटनाएं न हों इसके लिए समस्त वृत्ताधिकारी एवं थानाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गये हैं कि जिले के पर्यटन अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क रखा जावे। इसके अलावा सभी पर्यटक स्थलों पर पर्यटन विभाग द्वारा सहायता बल एवं पर्यटक सूचना केन्द्रों की स्थापना की गयी है। पुलिस द्वारा पर्यटक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस सटैण्ड, टैक्सी स्टेण्ड एवं होटलों आदि में विशेष निगरानी रखी जाती है।

खनिज अभियंता करौली द्वारा वसूली जा रही रायल्टी राशि

52. **श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खनिज अभियंता करौली द्वारा एक ट्रक के लिए जारी रवन्ना पर 15.3 टन से 27 टन तक लोडिंग मानते हुए रायल्टी पेशगी वसूल की जाती है? यदि हां, तो क्यों व किस आधार पर?

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

(2) क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रकों में ओवर लोडिंग माल भरने पर नवम्बर, 2005 से रोक लगा रखी है? यदि हां, तो खनिज अभियंता करौली द्वारा ओवर लोडिंग ट्रक मानते हुऐ रवन्ना को जारी करने का क्या कारण है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खनि अभियंता, करौली द्वारा पट्टेधारियों को खनिज निकासी हेतु जारी किये जाने वाले रवन्ना पर निदेशालय के परिपत्र क्रमांक निदे/प. 13/ग्रुप-1/आय/81-82/1266-1303 दिनांक 17.10.1987 के अनुसार अधिकतम सुरक्षित अक्षभार को डेढ़ गुणा जो खनन पट्टे के अधिशुल्क के समय समायोजन योग्य है के आधार पर चार टायर वाले वाहन का 27 टन मानकर अग्रिम रायल्टी जमा कर जारी किये जाते हैं, वास्तविक निर्धारण पर राशि का समायोजन कर लिया जाता है।

(2) जी हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परमजीत भसीन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के प्रकरण में रिट याचिका संख्या 136/2003 में पारित निर्णय दिनांक 9.11.2005 से रोक लगाई है जिसके परिपेक्ष्य में राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग के आदेश 47/05 जारी किये हैं जिसमें अधिक भार लदे वाहन को आने जाने की अनुमति देने से पहले अधिक भार का उतारा जाना आवश्यक है (प्रति संलग्न है) । परिशिष्ट-1 खनि अभियंता द्वारा रायल्टी की चोरी नहीं हो, के कारण अनुमानित अधिकतम रायल्टी परिपत्र के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करानी पड़ती है जिसका वक्त, निर्धारण वास्तविक रायल्टी से समायोजन कर लिया जाता है। इस प्रकार पूर्व में प्राप्त राशि केवल अनुमानित राशि होती थी, वास्तविक रायल्टी नहीं है।

वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 9.11.2005 को ध्यान में रखकर ही खनि अभियंता, करौली द्वारा 9 टन व 10 टन अधिकतम निकासी मानकर ही रवन्ना जारी की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले की पंजीकृत गौशालाओं को दी जा रही सहायता/ अनुदान राशि में वृद्धि

53. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डैगाना) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला नागौर की पंजीकृत गौशालाओं को वर्ष 2004-05 में कितना अनुदान प्रति पशु प्रतिमाह दिया गया? सूची गौशालावार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंजीकृत गौशालाओं को सरकार द्वारा अनुदान केवल अकाल ग्रस्त घोषित ग्रामों में ही दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनुदान की स्वीकृति हमेशा लागू करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अनुदान राशि स्वीकृत करने के क्या मानदण्ड हैं? क्या सरकार चारा आदि की मंहगाई को मद्देनजर रखते हुए प्रति पशु प्रतिदिन देने वाले अनुदान में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से स्वीकृत किये जाने के निर्देश हैं ना कि प्रति माह। नागौर जिले में 2004-05 में गौशालावार स्वीकृत अनुदान राशि का विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। भारत सरकार से प्राप्त प्राकृतिक आपदाओं के मापदण्ड के अनुसार केवल अभाव स्थिति की घोषणा की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त परिस्थितियों को देखते हुए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। जी नहीं, क्योंकि यह निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिया जाता है।

(3) गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं को अभाव स्थिति की घोषणा होने के उपरान्त चारे के भावों में अप्रत्याशित वृद्धि होने तथा गौशाला संचालकों की क्रय शक्ति कमजोर हो जाने के कारण पशुओं के भरण-पोषण के लिए राज्य

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

(अकाल राहत मंत्री)

सरकार द्वारा क्रमश: 18 रुपये बड़े पशु के लिए तथा 9 रुपये छोटे प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान स्वीकृत किया जाता है। अनुदान राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही उपलब्ध कराया जाता है। चारे के भावों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने माह अगस्त, 2005 से नार्मस में संशोधन कर राशि बड़े पशु 12 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये तथा छोटे पशु की राशि 6 रुपये से बढ़ाकर 9 रुपये प्रति पशु किया गया है।

गौशालाओं की सूची   जिला नागौर   वर्ष 2004-05

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
1.	श्री गौशाला सेवा समिति, खखोली	खाखोली	डीडवाना	140	40	180	492234
2.	मौलासर गौ सदन एवं शोध संस्थान, मौलासर	मौलासर	डीडवाना	191	68	259	741888
3.	गोपाल गौ सेवा समिति, जोधियासी	जोधियासी	नागौर	47	33	80	204243
4.	सांईजी महाराज गौ सेवा समिति, उंटवालिया	उंटवालिया	नागौर	13	8	21	52428
5.	प्रतीतराम गौ सेवा समिति, दियावड़ी	दियावडी	नागौर	90	20	110	317460
6.	श्री कृष्ण गौशाला संस्थान, श्रीबालाजी	श्रीबालाजी	नागौर	157	40	197	597906
7.	संतश्री किशनदासजी महाराज गौ सेवा स. टांकला	टांकला	नागौर	75	25	100	294000
8.	श्रीराम गौ सेवा समिति, गुडिया	गुडिया	नागौर	54	18	72	212814
9.	सतीमाता गौ सेवा समिति, लालाप	लालाप	नागौर	83	24	107	316350

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
10.	नारायण हरि गौ सेवा, चूंटीसरा	चूंटीसरा	नागौर	55	15	70	209250
11.	वीर तेजा गौ सेवा समिति, खरनाल	खरनाल	नागौर	60	21	81	228843
12.	कैलाशपुरी गौ सेवा समिति, बू नरावता	बू नरावता	नागौर	125	25	150	468750
13.	संत बलरामदास गौ सेवा समिति, असावरी	असावरी	नागौर	110	20	130	346661
14.	अनाथ गौ रक्षा समिति, डेह	डेह	जायल	170	41	211	657783
15.	श्री कृष्ण गौशाला समिति, रोल	रोल	जायल	52	13	65	184815
16.	बाबा मंगलदास गौ सेवा समिति, बोड़वा	बोड़वा	जायल	95	30	125	333474
17.	गौ सेवा समिति, अड़वड़	अड़वड	जायल	56	14	70	215181
18.	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, खींयाला	खींयाला	जायल	187	28	215	579412
19.	विश्वगुरू दत्ताश्रम गौ.से.स. अवधूत सन्यास आश्रम, डोडू	डोडू	जायल	80	40	120	344805
20.	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, कसनाउ	कसनाऊ	जायल	95	30	125	327861

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
21.	श्री कृष्ण गौशाला, मूण्डवा	मूण्डवा	नागौर	162	22	184	583318
22.	गोविन्द गोपाल गौशाला भागनाड़ा, ईनाणा	ईनाणा	नागौर	442	44	486	1340037
23.	कल्पतरू गौ सेवा समिति, कंकडाय	कंकडाय	नागौर	79	16	95	279270
24.	श्री महावीर सेवा समिति, राठौडी कुआ, नागौर	नागौर	नागौर	275	60	335	104990
25.	श्री वीर तेजा गौ सेवा समिति, मूण्डवा	मूण्डवा	नागौर	226	25	251	792432
26.	कामधेनू गौ सेवा समिति, सेनणी	सेनणी	नागौर	80	20	100	262026
27.	श्री लक्ष्मी नृसिंह गौ सेवा समिति, मूण्डवा	मूण्डवा	नागौर	26	9	35	94794
28.	स्वामी नारायण गिरी गौ सेवा सदन, भदौरा	भदौरा	नागौर	55	10	65	196200
29.	कृष्ण कन्हैया गौ सेवा समिति, बड़ली (नागौर)	नागौर	नागौर	90	12	102	320256

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
30.	श्री कृष्ण गौशाला संस्थान, ताऊसर	ताऊसर	नागौर	503	46	549	1656900
31.	श्री किसान गौशाला सेवा समिति, मूण्डवा	मूण्डवा	नागौर	42	16	58	154500
32.	श्री गोपाल गौ सेवा संस्था, कोलिया	कोलिया	डीडवाना	407	61	468	1461425
33.	श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, बूड़सू	बूड़सू	मकराना	85	16	101	287886
34.	श्री गोपाल गौ सेवा समिति, मकराना	मकराना	मकाराना	110	25	135	417480
35.	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, नराधना	नराधना	जायल	50	10	60	135060
36.	अशोक कुमार वैद्य स्मृति धेनु सेवा आश्रम, श्यामसर	श्यामसर	नागौर	67	36	103	279375
37.	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, जनाणा	जनाणा	नागौर	90	20	110	311400
38.	श्री कृष्ण गौशाला, अलाय	अलाय	नागौर	40	20	60	166200
39.	श्री राधाकृष्ण गौ सेवा समिति, अरनियाला	अरनियाला	मेडता	90	40	130	351136

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
40.	श्री रामदेव गौ सेवा समिति, नागड़ी	नागड़ी	खींवसर	109	30	139	423464
41.	श्री खेतेश्वर गौ सेवा समिति, चम्पाखेड़ी	चम्पाखेड़ी	डेगाना	67	16	83	223178
42.	श्री कृष्ण गोपाल गोशाला, जावला	जावला	परबतसर	71	27	98	279603
43.	गुरूदेव प्रमार्थ गौशाला ट्रस्ट, पीह	पीह	परबतसर	170	10	180	617400
44.	श्री कृष्ण कामधेनु गौसेवा समिति, पीलवा	पीलवा	परबतसर	58	10	68	195048
45.	श्री गोपाल गौ संरक्षण, मंगलाना	मंगलाना	परबतसर	75	25	100	286125
46.	श्री गोपाल गौ सेवा समिति, रिड़	रिड़	परबतसर	25	12	37	109368
47.	श्री शीतलामाता गौशाला, भकरी	भकरी	परबतसर	82	20	102	312026
48.	श्री रानीवाड़ा गौ सेवा समिति, हरनांवा	हरनावां	परबतसर	105	17	122	387492
49.	श्री शीतलामाता गौ सेवा समिति, मकराना	मकराना	मकराना	205	40	245	766800
50.	जय शिवशंकर गौ सेवा समिति, कालवा	कालवा	मकराना	75	30	105	298925
51.	श्री गोपाल गौशाला, गैलासर	गैलासर	मकराना	110	35	145	383004

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
52.	श्री गोपाल गौशाला, डीडवाना	डीडवाना	डीडवाना	165	42	207	629254
53.	श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति, तोषीणा	तोषीणा	डीडवाना	135	35	170	467565
54.	स्व. विमलादेवी खेतावत गौशाला, धनकोली	धनकोली	डीडवाना	97	33	130	373877
55.	श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति, निमोद	निमोद	डीडवाना	123	37	160	492420
56.	राजस्थान गौ सेवा समिति, कुचेरा	कुचेरा	नागौर	245	60	305	934501
57.	श्री भोमियाजी गौशाला समिति, रूण	रूण	नागौर	183	27	210	602835
58.	सन्तोषनाथ गौ सेवा समिति, ग्वालू	ग्वालू	नागौर	150	50	200	594300
59.	डारेसिया माता गौ सेवा समिति, डेहरू	डेहरू	नागौर	89	35	124	307998
60.	श्री पंचमुखी बालाजी गौ सेवा समिति. छीलरा	छीलरा	नागौर	103	67	170	440730
61.	श्री कृष्णगोपाल गौशाला, जसवंतगढ़	जसवंतगढ	लाडनूं	555	335	890	2449261

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
62.	श्री दादूराम गौ सेवा समिति, खेण	खेण	नागौर	59	6	65	204456
63.	श्री गौ सेवा समिति, लादडिया	लादडिया	डीडवाना	230	30	260	842310
64.	श्री श्याम गौ सेवा समिति, इण्डाली	इण्डाली	नांवा	92	15	107	324171
65.	गौ सेवा समिति, घाटवा	घाटवा	नांवा	110	30	140	405000
66.	गोपाल गौशाला, मुआना	मुआना	नांवा	116	14	130	378828
67.	श्री लक्ष्मणदासजी महाराज गौ सेवा स. भांवता	भांवता	नांवा	62	46	108	279999
68.	गौ सेवा समिति, चावण्डिया	चावण्डिया	नांवा	65	25	90	256680
69.	श्री राम गौ सेवा समिति, अडकसर	अडकसर	नांवा	108	45	153	425211
70.	श्री गोविन्द गौशाला, नांवा शहर	नांवाशहर	नांवा	83	50	133	323262
71.	गोपाल गौ सेवा समिति, कुकनवाली	कुकनवाली	नांवा	153	27	180	562442
72.	जन कल्याण गोपाल गौशाला, मारोठ	मारोठ	नांवा	125	12	137	475326

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
73.	श्री शिव गौ सेवा समिति, पांचवा	पांचवा	नांवा	196	45	241	727551
74.	श्री कृष्ण गौशाला, राजास	राजास	नांवा	72	26	98	288846
75.	हरीराम बाबा गौ सेवा समिति, रसाल	रसाल	नांवा	60	20	80	202490
76.	श्री गोपाल गौ सेवा स. जोड़ की ढाणी, आसपुरा	आसपुरा	नांवा	55	15	70	187875
77.	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, भूणी	भूणी	नांवा	120	25	145	430866
78.	गोपाल गौ सेवा समिति, चितावा	चितावा	नांवा	160	105	265	682380
79.	श्री गोपाल कृष्ण गौशाला समिति, जूसरी	जूसरी	मकराना	85	25	110	326545
80.	श्री शीतलामाता गौशाला समिति, धारणावास	धारणावास	खींवसर	86	21	107	308516
81.	श्री मातेश्वरी गौ सेवा समिति, भावण्डा	भावण्डा	खींवसर	230	16	246	799401
82.	श्री महादेव गौशाला धर्मार्थ ट्रस्ट, डांगावास	डांगावास	मेड़ता	201	56	257	717697

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
83.	वीर तेजा गौ सेवा समिति, ढेहरी	ढेहरी	जायल	107	23	130	372654
84.	चावण्डा गौ सेवा समिति, तरनाऊ	तरनाऊ	जायल	85	30	115	242660
85.	श्याम गौशाला ट्रस्ट लाम्पोलाई	लाम्पोलाई	मेड़ता	98	32	130	311909
86.	संत श्री भोलारामजी महाराज रोल चांदावता	रोल चांदावता	मेड़ता	142	20	162	471996
87.	गुरूकुल गौ सेवा समिति बासनी नेता	बासनी नेता	मेड़ता	63	17	80	232689
88.	मरूधर केसरी गौ सेवा समिति, पून्दलू	पून्दलू	मेड़ता	263	105	368	945082
89.	श्री रूप रजत सेवा समिति लिलियां	लिलियां	मेड़ता	207	40	247	730115
90.	श्री मरू के गौशाला जसनगर	जसनगर	मेड़ता	165	24	189	498644
91.	श्रीबालाजी गौसेवा समिति बीटन	बीटन	मेड़ता	305	123	428	1230844
92.	श्री रामकृष्ण गौशाला गगराना	गगराना	मेड़ता	323	74	397	809675
93.	श्री बाबा रामदेव गौ सेवा समिति, भूरियासनी	भूरियासनी	मेड़ता	201	78	279	708265

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
94.	संत श्री सेवादासजी महा. गौ सेवा स. लाम्बाजाटान	लाम्बा जाटान	मेड़ता	300	100	400	1082674
95.	रजत गौसेवा समिति रियाबड़ी	रियाबडी	मेड़ता	168	55	223	613319
96.	श्री शिव गौ सेवा समिति जाटावास	जाटावास	मेड़ता	44	16	60	151584
97.	नागदर बाबा गौ सेवा समिति सेंसड़ा	सेंसड़ा	मेड़ता	51	24	75	220059
98.	महादेव गौ सेवा समिति जड़ाउ कलां	जडाउकलां	मेड़ता	28	7	35	108963
99.	श्री गणेश गौ सेवा समिति रोहिसा	रोहिसा	मेड़ता	118	30	148	424084
100.	श्री कृष्ण गौशाला रिंयाबाडी	रिंयाबडी	मेड़ता	110	25	135	317527
101.	श्री मुनी गौशाला रामधाम कंवरियाट	कंवरियाट	मेड़ता	111	66	177	221556
102.	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति मेड़तारोड़	मेड़तारोड़	मेड़ता	502	151	653	552533
103.	दरियाव गौ सेवा समिति रेण	रेण	मेड़ता	93	22	115	216438
104.	रूप रजत गौ सेवा समिति भैंसड़ाकलां	भैंसड़ाकलां	मेड़ता	105	60	165	432991

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
105.	कृष्ण गौ सेवा समिति बड़ायली	बड़ायली	मेड़ता	173	49	222	618498
106.	गोवर्धन गौ सेवा समिति लाड़वा	लाडवा	मेड़ता	88	35	123	339459
107.	गौ सेवा समिति गोटन	गोटन	मेड़ता	99	9	108	200592
108.	स्वामी श्री हजारीमल गौ सेवा नोखा चांदावता	नोखा चांदावता	मेड़ता	320	40	360	1038230
109.	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति मौकाला	मौकाला	मेड़ता	257	103	360	909493
110.	जय श्री राम गौ सेवा समिति पादूखुर्द	पादूखुर्द	मेड़ता	88	23	111	309615
111.	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति बग्गड़	बग्गड़	मेड़ता	151	51	202	508157
112.	श्री राम गौ सेवा समिति केरिया माकड़ा	केरिया माकड़ा	मेड़ता	71	31	102	232083
113.	श्री कृष्ण गौ रक्षा शिविर हरसोलाव	हरसोलाव	मेड़ता	265	70	335	256142
114.	श्री महावीर जैन गौशाला नोखा चांदावता	नोखा चांदावता	मेड़ता	100	30	130	230057

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
115.	श्री कृष्ण गुलाब गौशाला निम्बीजोधा	निम्बीजोधा	लाडनूं	174	66	240	713763
116.	श्री राम आनन्द गौशाला, लाडनूं	लाडनूं	लाडनूं	670	175	845	2540655
117.	श्री बालाजी गौ सेवा समिति, मीठडी	मीठडी	लाडनूं	61	22	83	246483
118.	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, खजवाना	खजवाना	नागौर	225	75	300	835974
119.	श्री राम गौशाला दिल्ली दरवाजा, नागौर	नागौर	नागौर	145	28	173	534840
120.	मेड़ता गौ सेवा समिति, मेड़ता	मेड़ता	मेड़ता	82	38	120	306354
121.	श्री पिंजरा पोल गौशाला, मेड़तासिटी	मेड़तासिटी	मेड़ता	241	110	351	898862
122.	श्री मरू के. रूप रजत गौ सेवा, इन्दावड़	इन्दावड	मेड़ता	228	87	315	833326
123.	श्री महादेव गौशाला धर्मार्थ ट्रस्ट, आकेली ए	आकेली ए	मेड़ता	142	20	162	383208
124.	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, सोगावास	सोगावास	मेड़ता	163	52	215	497915
125.	श्री शिव शक्ति गौशाला सेवा समिति, मेड़ता	मेड़तासिटी	मेड़ता	139	34	173	339939
126.	महादेव गौ सेवा समिति, कुचेरा	कुचेरा	नागौर	95	61	156	297873

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
127.	श्री जगदम्बा गौ सेवा समिति, खुडखुडा खुर्द	खुडखुडा खुर्द	नागौर	80	20	100	214200
128.	जय बजरंगबली गौशाला गौ सेवा समिति, फिड़ोद	फिडोद	नागौर	84	23	107	236649
129.	गोपाल गौशाला, गोगोर	गोगोर	नांवा	106	13	119	344874
130.	श्रीनाथ गौ सेवा समिति, टेहला	टेहला	डेगाना	80	50	130	348696
131.	श्री महावीर गोपाल गौ सेवा समिति, भेरून्दा	भेरून्दा	डेगाना	160	41	201	618393
132.	श्री गोपाल गऊ सेवा समिति, हरसोर	हरसोर	डेगाना	150	28	178	541200
133.	श्री दादूदयाल गौ सेवा समिति, बंवरला	बंवरला	डेगाना	90	30	120	370440
134.	श्री गोपाल गौशाला, डोडीयाना	डोडीयाना	डेगाना	75	10	85	265264
135.	श्री गोपाल गौशाला, परबतसर	परबतसर	परबतसर	42	33	75	173766
136.	श्री गौ सेवा समिति, बडू	बडू	परबतसर	146	51	197	587529

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
137.	श्री गोपाल गौ सेवा सिमति, बांसा	बांसा	डीडवाना	86	32	118	329256
138.	श्री मीरा गौ सेवा समिति, सातलावास	सातलावास	मेडता	100	35	135	320801
139.	श्री रूप रजत गौ सेवा समिति, डूकिया	डूकिया	मेड़ता	95	30	125	356576
140.	श्री गोगाजी गौशाला समिति, पादूकलां	पादूकलां	मेड़ता	260	70	330	917248
141.	श्री कृष्ण गौसेवा समिति, रसीदपुरा	रसीदपुरा	डीडवाना	82	23	105	214891
142.	श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति, बेगसर	बेगसर	डीडवाना	90	20	110	201000
143.	संत श्री नारायण दास गौसेवा समिति, गाजू	गाजू	नागौर	97	35	132	272739
144.	श्री दादूदयाल गौशाला ट्रस्ट, रूण	रूण	नागौर	113	22	135	259656
145.	श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति, भादवासी	भादवासी	डेगाना	143	34	177	329280
146.	श्री शिव गौ सेवा समिति, गोरेडीकरणा	गोरेडीकरणा	डेगाना	200	45	245	4608ध45
147.	श्री गोपाल गऊशाला, डेगाना जं.	डेगाना जं.	डेगाना	167	30	197	411684
148.	श्री शिव गौ सेवा समिति, ईडवा	ईडवा	डेगाना	83	12	95	214668

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
149.	सेठ श्री बंकटलाल मालू गौशाला, जाखेड़ा	जाखेड़ा	डेगाना	125	28	153	295296
150.	असहाय गौशाला समिति, सांजू	सांजू	डेगाना	54	14	68	128466
151.	रामानन्द गौ सेवा समिति, आलनियावास	आलनियावास	डेगाना	85	20	105	199145
152.	श्री चावण्डा देवी गौशाला, तरनाऊ	तरनाऊ	जायल	40	5	45	100725
153.	श्री सहजराम बाबा गौ सेवा समिति, शिव	शिव	मेड़ता	89	32	121	154416
154.	श्री धर्म बाबा गौ सेवा समिति, शिव	शिव	नांवा	84	25	109	171963
155.	श्री कृष्ण गौशाला, हुडील	हुडील	नांवा	160	55	215	535725
156.	कुचामन गौशाला कुचामनसिटी	कुचामनसिटी	नांवा	132	70	202	373746
157.	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, पदमपुरा	पदमपुरा	नांवा	50	20	70	130710
158.	श्री जसनाथ गौ सेवा समिति, पांचला सिद्धा	पांचला सिद्धा	खींवसर	323	34	357	1148580

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
159.	श्री गुरू कृपा गौ सेवा समिति, नारवां खुर्द	नारवां खुर्द	खींवसर	175	65	240	704120
160.	श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति, डेगाना गांव	डेगाना गांव	डेगाना	130	35	165	325980
161.	श्री शिव गोपाल गौ सेवा समिति, थांवला	थांवला	डेगाना	107	15	122	211901
162.	बाबा जीवणपुरी शिव गौ सेवा समिति राजलिया	राजलिया	नांवा	120	18	138	232974
163.	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, जीजोट	जीजोट	नांवा	74	26	100	164430
164.	श्री सीन्जया पुरी बाबा गौ सेवा समिति, हरीपुरा	हरीपुरा	नांवा	63	10	73	135864
165.	श्री कृष्ण गौ प्रबंध समिति, जायल	जायल	जायल	213	40	253	473922
166.	श्री रघुनाथ गौशाला सेवा समिति, दयालपुरा	दयालपुरा	डीडवाना	42	13	55	94866

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
167.	श्री हनुमान सेवा समिति, निम्बड़ी चांदावता	निम्बडी चांदावता	डेगाना	99	21	120	200736
168.	श्री बालाजी गौशाला सेवा समिति, इन्दोखा	इन्दोखा	नांवा	59	12	71	112320
169.	श्री बजरंग गौ सेवा समिति आनन्दपुरा	आनन्दपुरा	नांवा	90	60	150	200880
170.	श्री बाबा रामदेव गौ सेवा समिति टोडास	टोडास	नांवा	67	8	75	109782
171.	श्री पूर्णागिरी गौशाला सेवा समिति, चून्दिया	चून्दिया	मेड़ता	85	17	102	119814
172.	श्री नारायण कामधेनु गौ सेवा समिति, छोटी खाटू	छोटी खाटू	डीडवाना	80	20	100	120610
173.	श्री गंगा गौशाला, छोटी खाटू	छोटी खाटू	डीडवाना	80	24	104	154548
174.	अलखपुरा गौ सेवा समिति, अलखपुरा	अलखपुरा	डीडवाना	85	25	110	161620
175.	श्री महावीर गौ सेवा समिति, लाडपुरा	लाडपुरा	डेगाना	140	60	200	285105

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान	तहसील	स्वीकृत पशुओं की अधिकतम संख्या			दिया गया अनुदान
				बड़े	छोटे	कुल	
176.	भगवान श्री महावीर मोहम्मद गौ सेवा समिति, किला	किला	डेगाना	78	18	96	116928
177.	श्री तेजा पीर गौ सेवा समिति, जालनियासर	जालनियासर	जायल	121	24	145	130074
178.	श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, बीजाथल	बीजाथल	मेड़ता	60	18	78	65412
179.	श्री रुप रजत गौ सेवा समिति, झीटियां	झीटियां	मेड़ता	80	23	103	109539
180.	श्री शिव गौ सेवा समिति, सबलपुर	सबलपुर	मकराना	80	24	104	134688
181.	गौसेवा समिति बेरीकलां	बेरीकलां	डीडवाना	40	20	60	58752
182.	श्री अलुजी महा. गौशाला गौ सेवा समिति, जसराना	जसराना	नावां	70	15	85	37200
183.	श्री रूपरजत गोपाल गौ सेवा समिति, गेमलियावास	गेमलियावास	मेड़ता	42	24	66	19440
184.	श्री मदन गोपाल गौशाला, छापड़ा	छापड़ा	जायल	55	20	75	85411

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

टोंक जिले के भवन रहित छात्रावास

54. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला टोंक में कितने छात्रावास कहां-कहां पर स्थित हैं और इन छात्रावासों में कितने-कितने छात्र/छात्राएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त छात्रों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में अव्यवस्था व सुविधाओं में कमी बाबत सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां से व किस-किस द्वारा व किस-किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुईं? प्राप्त शिकायतों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि कई छात्रावासों के भवन नहीं हैं? यदि हां, तो किन-किन छात्रावासों के? क्या सरकार जिला टोंक के भवन रहित छात्रावासों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला टोंक में 17 राजकीय एवं 5 अनुदानित, कुल 22 छात्रावास संचालित हैं। छात्रावासों का स्थान एवं प्रवेशित छात्र/छात्राओं का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) सरकार द्वारा राजकीय छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवास, बिस्तर, बर्तन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इनके अतिरिक्त छात्रों को भोजन, विशेष भोजन, स्कूल यूनीफार्म, सिर पर लगाने का तेल, नहाने व कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई, वस्त्र धुलाई, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, बिजली-पानी आदि की सुविधा हेतु छात्रों की मैस समिति को 675/- रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह उपलब्ध कराये जाते हैं। छात्रों को कठिन विषय, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों की विशेष कोचिंग की सुविधा, खेलकूद सामग्री, ज्ञानवर्धक पुस्तकें, मनोरंजन हेतु रंगीन टेलीविजन तथा प्राथमिक चिकित्सा हेतु फर्स्ट एड बाक्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(3) जी हां। मेरे द्वारा निवाई के छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण करने पर राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, निवाई एवं राहोली के भवन अपर्याप्त होने की मौखिक शिकायत के आधार पर छात्रावासों को दूसरे भवनों में स्थानान्तरित किया गया एवं निवाई के छात्रावास अधीक्षक को छात्रावास में अव्यवस्था के कारण स्थानान्तरित कर दिया गया।

(4) जी हां। राज्य में 267 छात्रावासों के राजकीय भवन नहीं संचालित है। जिनकी सूची परिशिष्ट ''ब'' के कालम संख्या 8 पर संलग्न है। इनमें से जिला टोंक के 13 छात्रावास किराये के भवनों में संचालित हैं। राजकीय भवन रहित 13 छात्रावासों में 2 के लिए भवन निर्माण कार्य चालू है तथा शेष 11 के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

(विवरण/सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पुलिस हिरासत में मृतक के परिजनों को सहायता

55. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पुलिस हिरासत में गत दो वर्षों में कितनी मौतें हुईं?

(2) सरकार द्वारा इन मौतों के लिए किन पुलिस कर्मियों पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) सरकार द्वारा पुलिस हिरासत में मृतक के परिवारजनों को क्या सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2004 में पुलिस अभिरक्षा में कोई मृत्यु नहीं हुई। वर्ष 2005 में पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के पांच मामले दर्ज हुए।

(2) पुलिसकर्मियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :-

1. मर्ग संख्या 1/05 थाना पाटन जिला सीकर में रतनलाल की पुलिस हिरासत में मृत्यु की जांच उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना द्वारा की गई। मृतक की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा से भाग कर कुएं में कूदने से होना

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

(गृह मंत्री)

माना, जिस पर दोषी पाए गए। 1. श्री रणवीर सिंह, स.उ.नि. 2. अशोक कुमार का, नि. नं. 416 3. अशोक कुमार का.नि. नं. 944 के खिलाफ विभागीय कार्यवाही नियम 16/18 सीसीए रूल्स के तहत की जा रही है।

2. मर्ग संख्या 1/05 थाना नाहरगढ़ जिला बारां में मनोज की पुलिस हिरासत में मृत्यु की जांच उप खण्ड अधिकारी किशनगंज द्वारा की गई, जिसमें मृतक की मृत्यु कन्जेस्टिव हार्ट फैल्योर रयूमेटिव हार्ट डिजीज से होना माना। इसके किसी पुलिस कर्मी को दोषी नहीं पाए जाने के कारण किसी भी पुलिसकर्मी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3. अ.सं. 9/05 धारा 302, 201/34 भा.द.सा. थाना कंचनपुर जिला धौलपुर के रामबाबू की पुलिस हिरासत में मृत्यु के मुकदमे का अनुसंधान राज्य अपराध शाखा द्वारा किया गया जिसमें कानि. वेद प्रकाश नं. 543 जिला धौलपुर के खिलाफ जुर्म धारा 302, 201/34 भा.द.स. के तहत सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया गया।

4. दिनांक 12.8.05 को अभियोग संख्या 303/05 धारा 147, 323,324, 325, 307 भा.द.स व 4/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना ब्रह्मपुरी जिला जयपुर शहर (उत्तर) को तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस थाना ब्रह्मपुरी पर मृतक जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र श्री पन्ना लाल अग्रवाल को बुलाया गया था। जिसकी अचानक तबीयत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर पुलिस थाना ब्रह्मपुरी पर मर्ग संख्या 23/05 धारा 176 जा.फौ. के तहत दर्ज होकर जांच उपखण्ड मजिस्ट्रेट आमेर जिला जयपुर शहर द्वारा की गई। उन्होंने अपने जांच प्रतिवेदन में मृतक जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र श्री पन्नालाल अग्रवाल के साथ किसी भी पुलिस कर्मी ने मारपीट नहीं करना बताया है और ना ही उसे प्रताडित करना बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण खाद्य सामग्री का अचानक श्वास नली में जाना अंकित किया गया है।

5. मर्ग संख्या 8/05 थाना अटलबंध भरतपुर में जयवीर सिंह जाट निवासी सेलखेड़ा जिला मथुरा की मृत्यु दिनांक 19.9.05 को हुई थी। पुलिस हिरासत में मृत्यु के इस मामले की जांच ए.डी.एम. भरतपुर द्वारा की जा चुकी है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक श्री जयवीर सिंह को मु.नुं. 189/05 धारा 304 बी

(गृह मंत्री)

आई.पी.सी. में अनुसंधान हेतु थाने पर बुलाया गया था। मृतक जयवीर सिंह अपनी पेंट की जेब में रखी सेलफोस की गोली खाकर थाने में ही आत्महत्या कर ली। मृत्यु से पूर्व जयवीर सिंह ने अपने मृत्युकालीन कथन में स्वेच्छा से सेलफोस की गोली खाना स्वीकार किया और उसने यह भी बताया कि सेलफोस की गोली वह बाजार से खरीद कर लाया था। जांच में किसी भी पुलिसकर्मी को दोषी नहीं माना गया। जयवीर सिंह के साथ किसी ने भी मारपीट नहीं की बल्कि उसने स्वयं सेलफोस की गोली खाकर आत्महत्या की है।

3. राज्य सरकार द्वारा अभी तक उपरोक्त सभी मामलों में कोई भी सहायता नहीं दी गई है।

वन क्षेत्र गुढाचन्द्रजी (करौली) की भूमि पर अतिक्रमण

56. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की रेंज गुढाचन्द्रजी वन क्षेत्र की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो कौन-कौनसी भूमि पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की रेंज गुढाचन्द्रजी की वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण का विवरण परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की पटल पर रख दिया गया हैं।

(2) प्रकरण दर्ज किये जाकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही जारी है।

(3) जी हां। अतिक्रमण के प्रकरण न्यायालय सहायता वन संरक्षक में विचाराधीन है। निर्णय उपरांत तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट 'क'

टोड़ाभीम की रेंज गुढाचन्द्रजी के अधीन अतिक्रमण की सूची :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	खसरा नं.
1.	सीमला	272
2.	भीमपुर	923, 924, 123, 131, 122
3.	मेहन्दीपुर	279
4.	पाटौली	9
5.	धारक्या	पक्का मकान, बाड़ा
6.	चिरावडा	दुकान निर्माण
7.	टोडाभीम	122, 123
8.	गढमोरा	176
9.	जीत की पुर	13/1
10.	असरो	279
11.	दातली	279
12.	धीरोली	9
13.	कानेरी	9

अकाल/सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता

57. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़), **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के कितने गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त गांवों में राहत कार्यों के लिए क्या-क्या उपाय

(श्री रामचन्द्र सराधना)

किए गए एवं कितनी श्रमिक सीमा निर्धारित की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) 1 जनवरी, 2006 से अब तक किस-किस जिलें में कितने श्रमिकों को कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सूखे की स्थिति से निपटने एवं राहत कार्यों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध कराई गई है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा भी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों एवं पशुओं को बचाने हेतु स्वयं के संसाधनों से कोई राहत उपलब्ध कराई गई है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के 22 जिलों के 15778 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जिलेवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) सरकार द्वारा अकाल प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए निम्न उपाय किये गये। (संवत 2062)

1. जनवरी, 2006 से अकाल राहत कार्य शुरू कर दिये गये हैं।

2. 1 फरवरी, 2006 से असहाय सहायता दी जा रही है।

3. माह जनवरी, 2006 से चारा डिपो चलाने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

4. राहत कार्यों के श्रम भुगतान हेतु राशि 2126.63 लाख रुपये का आबंटन किया गया।

5. मिड-डे-मील किचन निर्माण हेतु सामग्री मद में 1010.26 लाख रुपये का आबंटन राज्य आयोजना मद में किया गया है।

6. बीकानेर जिले में खाला निर्माण हेतु 142 लाख रुपये का आबंटन राज्य आयोजना मद में कर दिया गया है।

7. राहत कार्यों एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में दवाओं की पूर्ति हेतु 160.50 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

(सहायता मंत्री)

8. राज्य सरकार ने भू-राजस्व का स्थगन कर दिया है।

9. राज्य सरकार ने सहकारी अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित कर दिया है।

10. पेयजल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिनांक 27.2.2006 को जारी कर दिये हैं।

जिलेवार निर्धारित समग्र श्रमिक सीमा संलग्न है। (परिशिष्ट–2)

(3) 1 जनवरी, 2006 से अब तक (10.2.06 तक) जिलेवार नियोजित श्रमिक एवं उन्हें किये गये भुगतान का विवरण संलग्न सूची के अनुसार। (परिशिष्ट-3)

(4) आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) के तहत वित्तीय वर्ष 2005-06 में 415.64 करोड़ रुपये का प्रावधान हैं। प्रथम किश्त में केन्द्र के हिस्से के 155.87 करोड़ रुपये दिनांक 16.6.05 को प्राप्त हो चुके हैं। द्वितीय किश्त केन्द्र सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। एन.सी.सी.एफ. से भी कोई राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि उन द्वारा 2 लाख मै. टन गेहूं देने के आदेश भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को दे दिये है। राज्य सरकार को अभी तक गेहूं का आबंटन प्राप्त नहीं हुआ।

(5) माह जनवरी, 06 से अकाल राहत कार्य शुरू कर एवं अनुग्रह सहायता के माध्यम से प्रभावित जनता को राहत पहुंचाई जा रही हैं। इसी प्रकार चारा व्यवस्था हेतु ब्याज मुक्त ऋण मद में राशि रुपये 86 लाख का आबंटन किया गया है एवं पक्के निर्माण कार्यों के लिए सामग्री मद हेतु राज्य आयोजना मद में 1152.26 लाख रुपये का आबंटन किया गया है। पशु संरक्षण के तहत अभावग्रस्त जिलों में अनुदानित दर पर पशुओं को चारा उपलब्ध कराये जाने हेतु चारा डिपो खोले जाने की स्वीकृति माह जनवरी, 06 में ही दी जा चुकी है। प्रत्येक चारा डिपो को राज्य सरकार से 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया है। तथा राज्य सरकार ने भू-राजस्व लागत का स्थगन कर दिया है एवं अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तन किया है।

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक : एफ 1 (1)(1)सआ/सामान्य/2005/27927-71 जयपुर, दिनांक : 7.12.05

अधिसूचना

राजस्थान एफैक्टैड ऐरियाज (सस्पेंशन आफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन 1952) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद द्वारा राज्य के निम्नलिखित जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 30 सितम्बर, 2006 तक लागू रहेंगे :-

क्र. सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या	क्र. सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1.	अजमेर	1050	12	हनुमानगढ़	40
2.	अलवर	143	13	जयपुर	925
3.	बांसवाडा	1510	14	जैसलमेर	558
4.	बारां	54	15	जालौर	255
5.	बाड़मेर	1737	16	जोधपुर	1091
6.	भीलवाड़ा	1792	17	नागौर	495
7.	बीकानेर	352	18	पाली	731
8.	चित्तौडगढ़	947	19	राजसमंद	658
9.	चूरू	607	20	सीकर	285
10.	डूंगरपुर	872	21	सिरोही	15
11.	श्रीगंगानगर	47	22	उदयपुर	1614
	योग :		**15778**		

राज्यपाल की आज्ञा से
(आर.के. मीणा)
शासन सचिव

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

परिशिष्ट- 2

Labour Ceiling for February, 2006

S. No.	District	Feb., 06
		Labour Ceiling
1.	Ajmer	25000
2.	Alwar	900
3.	Banswara	45500
4.	Baran	4500
5.	Barmer	29000
6.	Bhilwara	23000
7.	Bikaner	13000
8.	Chittorgarh	5500
9.	Churu	9000
10.	Dungarpur	46000
11.	Ganganager	900
12.	Hanumangarh	900
13.	Jaipur	7000
14.	Jaisalmer	21000
15.	Jalore	15000
16.	Jodhpur	22000

S.No.	District	Feb., 06
		Labour Ceiling
17.	Nagaur	6000
18.	Pali	11000
19.	Rajsamand	9000
20.	Sikar	2700
21.	Sirohi	600
22.	Udaipur	52500
	Total	**350000**

परिशिष्ट– 3

सम्वत् 2062 में कराये जा रहे अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिक एवं भुगतान की स्थिति

क्र. सं.	नाम जिला	श्रमिक संख्या	भुगतान की राशि	गेहूं मै. टन	दिनांक
1.	अजमेर	24069	2647210 रू.	1503	10.2.06
2.	अलवर	450	215034 रू.	-	10.2.06
3.	बारां	521	149409 रू.	-	10.2.06
4.	बाडमेर	21245	60.59 रू.		
5.	भीलवाड़ा	10906	12857371 रू.	-	10.2.06
6.	बीकानेर	2397	12.82 लाख	-	20.2.06
7.	चित्तौडगढ़	550	2.67 लाख	-	10.2.06
8.	चूरू	-	55.89 लाख	-	10.2.06
9.	गंगानगर	1027	447029 लाख	-	10.2.06

क्र. सं.	नाम जिला	श्रमिक संख्या	भुगतान की राशि	गेहूं मै. टन	दिनांक
10.	हनुमानगढ़	444	2.63 लाख	-	10.2.06
11.	जयपुर	3681	157839 रू.	92.925	10.2.06
12.	जैसलमेर	8711	5757607 रू.	-	20.2.06
13.	जालोर	-	2025	138.805	
14.	जोधपुर	1345	-	-	10.2.06
15.	नागौर	1096	202001 रू.	-	10.2.06
16.	पाली	1056	20.93 लाख	-	10.2.06
17.	राजसमन्द	4117	3.32 लाख	211.91	10.2.06
18.	सीकर	138	48451 रू.	13888	10.2.06

सीमान्त क्षेत्र विकास परियोजनान्तर्गत बीकानेर शहर हेतु व्यय राशि

58. **श्री गोविन्द राम मेघवाल** (नोखा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 1999 से दिसम्बर, 2005 तक (बी.ए.डी.पी.) सीमान्त क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत बीकानेर शहर में कितनी राशि किस मद में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्ष 1999 से दिसम्बर, 2003 तक बीकानेर शहर में उक्त परियोजना की कितनी राशि अनुसूचित जाति/जन जाति के मोहल्लों पर व्यय की गई तथा कितनी राशि अन्य मोहल्लों में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से दिसम्बर, 2005 तक सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बीकानेर शहर में कुल 1277.86 लाख रुपये का व्यय किया गया। मदवार व वर्षवार व्यय का विवरण परिशिष्ट- 'अ' पर उपलब्ध है।

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राशि सीमान्त क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु स्वीकृत की जाती है। जिसमें क्षेत्र में आवासित सभी जातियां कार्यक्रम से लाभान्वित होती हैं। इस कार्यक्रम अंतर्गत राशि जाति विशेष, मोहल्ला विशेष के लिये स्वीकृत किये जाने का प्रावधान नहीं है।

वर्ष 1999 से दिसम्बर, 2003 तक सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बीकानेर शहर में कुल 1137.53 लाख रुपये व्यय किये गये।

परिशिष्ट ‘ अ’

सीमान्त क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत बीकानेर शहरी क्षेत्र में वर्षवार एवं मदवार व्यय राशि का विवरण

राशि लाखों में

मद	वर्षवार एवं मदवार व्यय का विवरण							योग
	1999-2000	2000-2001	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	
शिक्षा	7.03	0.00	0.00	58.82	5.00	0.00	13.90	84.75
विद्युतीकरण	11.40	0.00	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	13.37
विविध	23.50	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.03
भवन	50.45	9.00	21.69	53.50	90.03	0.00	5.80	230.47
सड़क	31.80	0.00	2.00	12.38	154.84	29.52	0.00	230.54
स्वास्थ्य	52.24	10.75	3.00	0.00	10.00	13.50	0.00	89.49
पेयजल	0.00	40.89	23.81	10.29	45.00	0.00	2.08	122.07
सामाजिक	0.00	47.00	39.66	126.66	0.00	0.00	0.00	213.32
सुरक्षा	0.00	12.00	71.68	35.99	15.36	5.68	0.00	140.71

मद	वर्षवार एवं मदवार व्यय का विवरण							योग
	1999-2000	2000-2001	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	
नाली	0.00	0.00	10.74	10.35	33.17	18.64	25.76	98.66
कृषि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33	0.00	15.33
स्पोर्टस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	10.12
योग	**176.42**	**125.17**	**172.58**	**309.96**	**353.40**	**92.79**	**47.54**	**1277.86**

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

राजकीय वृद्धाश्रमों में देय सुविधाओं में वृद्धि

59. श्री गोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में आश्रम चलाए जा रहे हैं? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वृद्ध आश्रम में रहने वाले वृद्धों को खाने पीने के अलावा अन्य क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं? विवरण मय राशि के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सुविधायें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में *7* वृद्धाश्रम जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, टोंक में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से तथा पुष्कर (अजमेर) में वृद्धाश्रम विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।

(2) वृद्धाश्रम में दी जाने वाली सुविधाऐं एवं राशि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। फिलहाल आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

वृद्धाश्रम हेतु बजट प्रावधान

क्र.सं.	पद	संख्या	मासिक व्यय	माह	व्यय
1.	मैनेजर	1	4000	12	48000
2.	लिपिक	1	2500	12	30000
3.	लेखाकार (अंशकालीन)	1	1500	12	18000

तारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र.सं.	पद	संख्या	मासिक व्यय	माह	व्यय
4.	केयर टेकर	2	2500	12	60000
5.	सफाईकर्मी	1	1500	12	18000
6.	रसोईयां	1	2500	12	30000
				योग	**2,04,000**
ख.					
1.	मकान किराया		5000	12	60000
2.	लाईट पानी		2000	12	24000
3.	आवासी पानी	25	675	12	202500
4.	दवाईयां	25	1000		25000
5.	पत्र पत्रिका		250	12	3000
6.	आवासी की पौशाकों हेतु प्रतिवर्ष (प्रत्येक आवासी को वर्ष में दो गणवेश तौलिया, कच्छा, बनियान शामिल है।)				15000
				योग	**329500**
				योग (अ + ब)	**533500**
				- 10 प्रतिशत संस्था का हिस्सा	**53350**
				संस्था को देय राशि	**4,80,150**
स. अनावर्तक मद					
1	रजाई, गद्दे, तकिये, पलंग, बर्तन, पंखे, कूलर व अन्य सामान क्रय हेतु				50000

नोट :-

1. स्वयंसेवी संस्था को अनावर्तक मद में 50000 रुपये प्रति 5 वर्ष पश्चात स्वीकृत किये जायेंगे।
2. मकान किराये का निर्धारण, निम्न प्रकार से किया जायेगा
   - संभाग मुख्यालय पर (जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर एवं भरतपुर) 8000 रुपये मासिक।
   - जिला मुख्यालय पर 6000 रुपये मासिक।
   - अन्य शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5000 रुपये मासिक।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को चयनित वेतनमान

54. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या युवा एवं खेल कूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद में कुछ कनिष्ठ लिपिकों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में टाइप ऐच्छिक विषय होने के कारण टाइप टेस्ट की छूट देकर, उनकी नियुक्ति तिथि से ही वार्षिक वेतन वृद्धि एवं चयनित वेतनमान का लाभ दे दिया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ कनिष्ठ लिपिक उपरोक्त योग्यता/पात्रता रखते हुए भी उनकी नियुक्ति तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि एवं चयनित वेतनमान के लाभ से वंचित हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1957 के नियम 29 'क' के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कार्मिकों को 30.06.76 से 01.07.1981 तक टाइप टेस्ट की छूट प्रदान की गई थी। इस परिपत्र के आधार पर राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद में कनिष्ठ लिपिकों को टंकण परीक्षा में दी गयी छूट किन परिस्थितियों में दी गयी इसकी जांच की जा रही है।

(2) अन्य कनिष्ठ लिपिकों को नियुक्ति तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि एवं चयनित वेतनमान देने का प्रकरण अभी विचाराधीन है।

बीकानेर जिले में आरक्षित वर्ग को आबंटित खानें

55. श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितनी खनिज खानें आबंटित हैं? इनमें से अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को कितनी खानें आबंटित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

(2) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को जनसंख्या के आधार पर खानें आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) जिला बीकानेर की कोलायत, खाजुवाला, नोखा व बीकानेर तहसीलों में कितनी खनन लीज स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कुल 23636 खानें आबंटित हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 2951, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 1000 खानें आबंटित हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में कार्यालय वृतवार संलग्न है।

(2) जी नहीं। आवेदन पत्रों का निस्तारण प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1960 एवं अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के अनुसार किया जाता है।

(3) जिला बीकानेर की तहसील कोलायत में 71, खाजूवाला में 2, नोखा में 8 एवं तहसील बीकानेर में 23 लीजें स्वीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट 1, 2, 3, 4 में वर्णित हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सीमावर्ती क्षेत्र के थानों के पुलिस बल में वृद्धि

56. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सीमावर्ती क्षेत्र के पुलिस थानों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में मुकदमों की संख्या अधिक है? यदि हां, तो क्या सरकार अपराधों की रोकथाम के लिए सीमावर्ती थानों में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है?

उत्तर

राज्य में सीमावर्ती थाने 169 हैं तथा इन थानों से लगते हुए अन्य क्षेत्र के थाने 269 हैं। सीमावर्ती क्षेत्र के थानों में कुल 36908 अभियोग दर्ज

(गृह मंत्री)

हुए हैं जिनका औसत 218.39 प्रति थाना है। अन्य क्षेत्र के थानों में 63986 अभियोग दर्ज हुए हैं जिनका औसत 237.87 प्रति थाना है।

सीमावर्ती क्षेत्र के थानों में अपराध उनसे लगते हुए थानों की तुलना में कम है। वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखते हुए सीमावर्ती थानों में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाया जाना संभव नहीं है।

पुलिस थाना शिवगंज (सिरोही) में दर्ज हत्या प्रकरण की जांच

57. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले के शिवगंज पुलिस थानान्तर्गत धरमा रेबारी की मृत्यु दिसम्बर, 2005 में कब हुई एवं लाश की शिनाख्त कब की गई?

(2) उक्त घटना के सम्बन्ध में शिवगंज थाने में मुकदमा दर्ज नहीं करने पर पुलिस अधीक्षक के पास फरियाद लेकर कौन गया व उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

(3) उक्त मामले में रेबारी समाज के लोगों द्वारा कब-कब क्या-क्या ज्ञापन दिए गए व प्रदर्शन किये गये व उन ज्ञापनों पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) उक्त मामलों की जांच सी.आई.डी. (अपराध शाखा) को किसके प्रार्थना-पत्र पर दी गई? उक्त मामले की जांच कौन कर रहे हैं एवं अब तक मामले में क्या कार्यवाही की गई? मामला सी.आई.डी. को देने के बाद किस किस अधिकारी ने उक्त मामले में कहां-कहां दौरा किया एवं किस-किस से मुलाकात की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) पुलिस उप निरीक्षक अमर सिंह रत्नु के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें थी एवं इसकी किसके द्वारा जांच की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। रत्नु को कब निलम्बित किया गया व कब बहाल किया गया? रत्नु को वर्ष 2005-06 में क्या-क्या नोटिस दिए गए व उनका क्या उत्तर प्राप्त हुआ? सर्राफ एसोसिएशन शिवगंज के रामचन्द्र मराठा व उसके परिजनों के चांदी से सम्बन्धित प्रकरण में पुलिस को क्या ज्ञापन दिया गया तथा उक्त ज्ञापन पर पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(6) क्या यह सही है कि गृहमंत्री द्वारा जोधपुर में ली गई बैठक में उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया गया था? चांदी के मामले में रिश्वत की पुलिस ने क्या जांच की? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) धरमा रेबारी मृत्यु प्रकरण की जांच सी.आई.डी. को देने का आदेश किस तिथि को एवं किस स्तर पर किसके निर्देश से जारी हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिवगंज पुलिस थाना अन्तर्गत धरमा रेबारी नाम के किसी व्यक्ति की मृत्यु का प्रकरण दर्ज नहीं है। दिनांक 26.12.05 को एक अज्ञात व्यक्ति की सड़क के पास लाश पड़ी मिली थी, जिसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु 48 घंटे पहले होना बताया गया। दिनांक 28.12.05 को मृतक की पत्नी श्रीमती सनकु देवी ने मृतक के कपड़े व फोटो देखकर उसकी पहचान अपने पति भीमाराम रेबारी के रूप में की।

(2) मृतक भीमाराम की पत्नी श्रीमती सनकु देवी फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक के पास गई थी। जिस पर भीमाराम की मृत्यु बाबत अपराध संख्या 178/05 धारा 364, 302 भादस में दिनांक 28.12.05 को थाना शिवगंज सिरोही में दर्ज किया गया।

(3) दिनांक 9.1.06 को रैबारी समाज द्वारा दिनांक 12.1.06 को विधायक श्री संयम लोढ़ा व श्री ओटाराम देवासी के नेतृत्व में रैबारी समाज द्वारा दिनांक 28.1.06 को विधायक श्री संयम लोढ़ा द्वारा ज्ञापन दिये गये। पुलिस उप निरीक्षक श्री अमर सिंह रत्नु द्वारा सही जांच नहीं करने पर निलम्बन की मांग, मृतक के परिवार को एक लाख रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष से देने व अनुसंधान उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराने के ज्ञापन दिये गये। अग्रिम अनुसंधान वृताधिकारी सिरोही (उप अधीक्षक) से करवाया गया तथा उप निरीक्षक श्री अमर सिंह रत्नु के खिलाफ अति. पुलिस अधीक्षक सिरोही से जांच करवाई गई जिसमें दोषी पाये जाने पर उप निरीक्षक को निलम्बित किया गया त्था 17 सीसीए रूल्स के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक सिरोही द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

(गृह मंत्री)

(4) दिनांक 17.1.06 को राजपूत समाज द्वारा शिवगंज थाने के सामने धरना एवं प्रदर्शन कर अनुसंधान सी.आई.डी. (सी.बी) से करवाने की मांग की। जिस पर आईजीपी रैंज जोधपुर से निवेदन करने पर श्रीमान महानिदेशक पुलिस राज. के आदेश दिनांक 2.2.06 को जांच सी.आई.डी. (सी.बी.) को दी गई। प्रकरण की जांच श्री रामेश्वर लाल मीणा, अति. पुलिस अधीक्षक, रैंज सैल जोधपुर द्वारा की जा रही है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है। अनुसंधान अधिकारी ने शिवगंज का दौरा कर मृतक की पत्नी, सेमाराम/माताजी देवासी, भैरूराम पुत्र बेनाजी भील, कल्याण सिंह पुत्र उगमासिंह राजपूत, चेनाराम/ओराजी देवासी एवं श्री भीखाराम देवासी गवाहान से मुलाकात की।

(5) पुलिस उप निरीक्षक अमर सिंह रत्नु के विरुद्व पीडित पक्ष को सुनकर भी हत्या का अपराध पंजीबद्व नहीं करने, मामले की जांच सही ढंग से नहीं करने, कर्तव्य पालन में लापरवाही एवं उदासीनता दिखाने की शिकायतें थी। जिनकी जांच अति. पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा की गई । जांच रिपोर्ट दिनांक 13.1.06 की प्रति संलग्न परिशिष्ट-अ है। श्री रत्नु को दिनांक 13.1.06 को निलम्बित किया गया एवं दिनांक 28.1.06 को बहाल किया गया। श्री रत्नु को 2005-06 में 17 सीसीए का आरोप पत्र दिया गया जिसकी प्रति संलग्न है। जो परिशिष्ट-ब है। उक्त आरोप पत्र का उत्तर श्री रत्नु द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है।

शिवगंज सर्राफा संघ के ज्ञापन दिनांक 1.1.05 बाबत धारा 102 सीआरपीसी का पुलिस द्वारा दुरुपयोग करने व ज्ञापन दिनांक 26.11.05 बाबत शिवगंज थाना अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान में प्रवेश कर शटर बन्द कर मारपीट व धारा 102 सीआरपीसी लगाने के सम्बन्ध में है जिनकी प्रतियां संलग्न है जो परिशिष्ट स व द है। पुलिस अधीक्षक सिरोही द्वारा वृत्ताधिकारी सिरोही से दोनों ज्ञापनों की जांच करवाई गई है। जांच में पुलिस कार्यवाही नियमानुसार पाई गई। जांच रिपोर्ट दिनांक 13.12.05 की प्रति संलग्न है जो परिशिष्ट-य है।

(6) हां, यह सही है कि दिनांक 6.1.06 को मीटिंग के दौरान माननीय गृहमंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया गया था। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-य है जो उत्तर खण्ड संख्या 6 में संलग्न की गई है। ज्ञापन में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे।

(गृह मंत्री)

(7) भीमाराम रेबारी प्रकरण की जांच महानिदेशक पुलिस, राज. जयपुर के निर्देश पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान द्वारा सी.आई.डी. (सी.बी) को देने के आदेश दिनांक 02.02.2006 जारी किये गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले में दर्ज वाहन चोरी प्रकरण

58. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां के विभिन्न पुलिस थानों में विगत दो वर्षों में कितने-कितने चोरियों के मुकदमे दर्ज किये गये? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में चोरी के मामले में कितने-कितने मुल्जिम गिरफ्तार किये गये व कितनी चोरियां बरामद की गई व कितने प्रकरणों में मुलजिम व चोरियां बरामद नहीं हो सकी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बढती हुई चोरियों की रोकथाम करने हेतु उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जिला बारां के विभिन्न पुलिस थानों में विगत दो वर्षों, 2004 एवं 2005 की अवधि में मोटरयान चोरी के 17 मुकदमे एवं मोटर साईकिल चोरी के 95 मुकदमे दर्ज हुए। थानेवार व वर्षवार सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) जिला बारां में उक्त अवधि में कुल 112 मुकदमों में से 37 मुकदमों में 51 मुल्जिम गिरफ्तार कर बरामदगी की गई। शेष 75 मुकदमों में मुल्जिम गिरफ्तार नहीं होने से बरामदगी नहीं की जा सकी। सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(3) वाहन चोरी के मामलों की प्रभावी रोकथाम हेतु जिले में सघन गश्त व नाकाबन्दी कार्यवाही अमल में लाई जाती है। साथ ही जो मुल्जिमान पूर्व में मोटरवाहन चोरी के प्रकरणों में गिरफ्तार हुए हैं, उनकी गतिविधियों पर

अतारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

(गृह मंत्री)

सतत निगरानी रखी जाती है एवं ऐसे प्रकरणों का गहनता से अनुसंधान किया जाकर इनमें लिप्त रहे व्यक्ति/गैंग को ट्रेसआउट कर प्रकरणों में सफलता अर्जित की जा रही है। साथ ही जिला बारां, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ होने के कारण मध्य प्रदेश से बदमाशान की आमद रफ्त को दृष्टिगत रखते हुए सीमावर्ती थानों को विशेष सतर्कता एवं निगरानी हेतु निर्देशित किया जाकर कार्यवाही करवाई जाती है एवं मध्य प्रदेश पुलिस से सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाकर ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के प्रयास किये जाते हैं।

परिशिष्ट ''क''

वाहन चोरी की सूचना वर्ष 2004-05 जिला बारां

क्र सं	नाम थाना	वर्ष 2004												वर्ष 2005											
		मोटरसाईकिल				मोटर वाहन				योग				मोटरसाईकिल				मोटर वाहन				योग			
		चोरी	बरामदगी	अदन पता	गिर. मुल.	चोरी	बरामदगी	अदम पता	गिर. मुल.	चोरी	बरामदगी	अदम पता	गिर. मुल.	चोरी	बरामदगी	अदम पता	गिर. मुल.	चोरी	बराम्रदगी	अदम प्ता	गिर. मुल.	चोरी	बराम्रदगी	अद्म प्ता	गिर. मुल.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	कोत.बारां	20	7	13	9	-	-	-	-	20	7	13	9	29	5	24	5	5	3	2	12	34	8	26	17
2.	सदरबारां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-
3.	किशनगंज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	अन्ता	4	4	-	7	1	1	-	-	5	5	-	7	2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-
5.	मांगरोल	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-
6.	सीसवाली	1	-	1	-	-	1	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-
7.	छबडा	4	-	4	-	-	-	--	-	4	-	4	-	7	3	4	3	1	-	1	-	8	3	5	3
8.	छीपाबडोद	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	1	3	2	1	1	-	1	5	2	3	3

क्र सं	नाम थाना	वर्ष 2004												वर्ष 2005											
		मोटरसाईकिल				मोटर वाहन				योग				मोटरसाईकिल				मोटर वाहन				योग			
		चोरी	बरामदगी	अदनपता	गिर. मुल.	चोरी	बरामदगी	अदमपता	गिर. मुल.	चोरी	बरामदगी	अदमपता	गिर. मुल.	चोरी	बरामदगी	अदमपता	गिर. मुल.	चोरी	बरामदगी	अदमपता	गिर. मुल.	चोरी	बरामदगी	अदमपता	गिर. मुल.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9.	हरनावदा	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	बापचा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	अटरू	5	1	4	1	1	-	1	-	6	-	5	1	2	-	2	-	1	-	1	-	3	-	3	-
12.	कवाई	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	2	2	-	1
13.	मोठपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
14.	शाहबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
15.	केलवाडा	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	भंवरगढ़	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2
17.	नाहरगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	-	-	-	-	1	1	-	7
18.	कस्बा थाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग		**42**	**14**	**28**	**17**	**4**	**2**	**2**	**1**	**46**	**16**	**30**	**18**	**53**	**16**	**37**	**20**	**13**	**5**	**8**	**13**	**66**	**21**	**45**	**33**

कोटा जिले में लम्बित शस्त्र अनुज्ञा आवेदन-पत्र

59. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2005-06 में कुल कितने अवैध हथियार के प्रकरण दर्ज किये गए तथा कितने अवैध हथियार बरामद किये गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2005-06 में प्रशासन द्वारा जारी किये गये लाइसेन्स की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कोटा जिले में वर्ष 2005-06 में जारी किये गये लाइसेन्स से इसी अवधि में अवैध रूप से बरामद किये गये हथियार की संख्या कहीं अधिक हैं? यदि हां, तो क्या सरकार वैध रूप से लाइसेन्स प्रदान करने की प्रक्रिया पर कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2005-06 में अवैध हथियार के 1690 प्रकरण दर्ज हुये, जिनमें 1873 अवैध हथियार जब्त किये गये। जिलेवार सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2005-06 में प्रशासन द्वारा कुल 2124 शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। कोटा जिले में वर्ष 2005-06 में कुल 87 शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये हैं तथा उक्त अवधि में 239 अवैध हथियार बरामद किये गये। आयुध अधिनियम, 1959 तथा आयुध नियम, 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं। गृह विभाग द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की व्यवस्था को सरल एवं पारदर्शी बनाते हुए परिपत्र दिनांक 16.8.2005 जारी किया गया है।

परिशिष्ट ''क''

क्र.सं.	जिला	जप्त हथियारों का विवरण													
		दर्ज	रिवाल्वर	पिस्टल	देशी कट्टा	गन/ देशी गन	तलवार/ गडासा	टोपीदार बन्दूक	12 बोर व देशी बन्दूक	छुरा/ चाकू/ गुप्ती/ कटार	माऊजर	राईफल	एयर गन	एयर पिस्टल	योग
1.	अजमेर	35	1	-	3	-	8	-	2	18	-	3	-	-	35
2.	भीलवाडा	9	1	-	3	-	-	5	-	-	-	-	-	-	9
3.	नागौर	19	-	2	5	-	1	10	-	1	-	-	-	-	19
4.	टौंक	13	1	-	1	-	1	8	-	1	-	-	-	-	12
5.	जयपुर शहर उतर	22	1	2	16	-	-	-	1	-	1	-	-	-	21
6.	जयपुर दक्षिण	18	2	2	12	-	-	-	2	-	3	-	-	-	21

क्र.सं.	जिला	जप्त हथियारों का विवरण												
		दर्ज	रिवाल्वर	पिस्टल	देशी कट्टा	गन/ देशी गन	तलवार/ गडासा	टोपीदार बन्दूक	12 बोर व देशी बन्दूक	छुरा/ चाकू/ गुप्ती/ कटार	माऊजर	राईफल	एयर गन	एयर पिस्टल	योग
7.	जयपुर पूर्व	10	2	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
8.	जयपुर ग्रामीण	24	-	5	12	2	-	13	2	-	-	-	-	-	34
9.	झुन्झुनू	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7
10.	सीकर	11	3	-	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	11
11.	दौसा	15	1	1	7	-	-	4	-	2	-	-	-	-	15
12.	अलवर	101	-	1	82	-	5	10	-	7	-	-	-	-	105
13.	बीकानेर	30	1	9	9	2	2	5	1	-	-	-	1	1	31
14.	चूरू	14	-	-	8	-	-	2	2	1	-	-	-	-	13
15.	गंगानगर	111	-	75	-	-	44	6	5	-	2	-	-	-	132

क्र.सं.	जिला	जप्त हथियारों का विवरण													
		दर्ज	रिवाल्वर	पिस्टल	देशी कट्टा	गन/ देशी गन	तलवार/ गडासा	टोपीदार बन्दूक	12 बोर व देशी बन्दूक	छुरा/ चाकू/ गुप्ती/ कटार	माऊजर	राईफल	एयर गन	एयर पिस्टल	योग
16.	हनुमानगढ़	112	-	118	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	122
17.	भरतपुर	116	-	3	103	1	2	-	-	1	-	13	—	-	123
18.	सवाई माधोपुर	25	-	-	6	-	12	1	3	3	-	-	—	-	25
19.	धौलपुर	58	-	-	49	-	-	-	17	-	-	1	-	-	67
20.	करौली	45	1	-	26	-	1	6	5	-	-	-	-	-	39
21.	जोधपुर शहर	45	2	2	10	-	4	1	1	24	-	-	1	1	46
22.	जोधपुर ग्रामीण	63	-	-	11	-	9	41	2	4	-	-	-	-	67

क्र.सं.	जिला	जप्त हथियारों का विवरण													
		दर्ज	रिवाल्वर	पिस्टल	देशी कट्टा	गन/ देशी गन	तलवार/ गडासा	टोपीदार बन्दूक	12 बोर व देशी बन्दूक	छुरा/ चाकू/ गुप्ती/ कटार	माऊजर	राईफल	एयर गन	एयर पिस्टल	योग
23.	जालौर	7	-	1	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	7
24.	जैसलमेर	4	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	6
25.	बाड़मेर	22	-	-	-	-	9	8	-	7	-	-	-	-	24
26.	पाली	60	-	-	7	28	12	-	-	10	-	-	-	-	57
27.	सिरोही	17	1	2	15	2	-	-	-	2	-	-	-	-	22
28.	कोटा शहर	28	38	19	56	1	-	-	-	-	-	-	-	-	114
29.	कोटा ग्रामीण	97	5	1	13	-	71	3	1	31	-	-	-	-	125
30.	बून्दी	92	-	-	1	-	28	3	-	57	-	-	-	-	89
31.	झालावाड़	172	-	-	29	-	147	-	-	-	-	-	-	-	176

क्र.सं.	जिला	जप्त हथियारों का विवरण													
		दर्ज	रिवाल्वर	पिस्टल	देशी कट्टा	गन/ देशी गन	तलवार/ गडासा	टोपीदार बन्दूक	12 बोर व देशी बन्दूक	छुरा/ चाकू/ गुप्ती/ कटार	माऊजर	राईफल	एयर गन	एयर पिस्टल	योग
32.	बारां	158	7	1	22	-	93	4	-	27	-	-	-	-	154
33.	उदयपुर	9	-	-	6	-	-	3	-	-	-	-	-	-	9
34.	बांसवाड़ा	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
35.	चित्तौडगढ़	85	-	-	6	-	30	12	-	38	-	-	-	-	87
36.	डूंगरपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
37.	राजसमन्द	26	-	-	2	-	11	2	-	12	-	-	-	-	27
38.	जीआरपी अजमेर	6	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
39.	जीआरपी जोधपुर	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	**1690**	**67**	246	544	**36**	**495**	**155**	**55**	**248**	**6**	**17**	**2**	**2**	**1873**

परिशिष्ट- ''ख''

वर्ष 2005-2006 में प्रशासन द्वारा जारी किये गये लाइसेन्सों की जिलेवार संख्या सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्ष 2005-06 में जारी किये गये लाइसेन्सों की संख्या
1.	अजमेर	117
2.	अलवर	21
3.	बांसवाड़ा	48
4	बाड़मेर	20
5.	बारां	35
6.	भरतपुर	75
7.	भीलवाड़ा	22
8.	बीकानेर	53
9	बूंदी	13
10.	चित्तौड़गढ़	294
11.	चूरू	8
12.	दौसा	40
13.	धौलपुर	54
14.	डूंगरपुर	22
15.	हनुमानगढ़	160
16.	जयपुर	165
17.	जैसलमेर	17
18.	जालोर	32

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्ष 2005-06 में जारी किये गये लाईसेन्सों की संख्या
19.	झालावाड़	69
20.	झुन्झुनू	29
21.	जोधपुर	43
22.	करौली	15
23.	कोटा	87
24.	नागौर	28
25.	पाली	186
26.	राजसमंद	61
27.	सवाई माधोपुर	15
28.	सीकर	43
29.	सिरोही	100
30.	श्रीगंगानगर	186
31.	टोंक	3
32.	उदयपुर	63
	कुल	**2124**

क्रिश्चियनगंज (अजमेर) थाना के कार्यक्षेत्र का विभाजन

60. श्री गोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर में थाना क्रिश्चियनगंज का कार्यक्षेत्र क्या है और थाने की नफरी कितनी है? क्या यह भी सही है कि इस थाने का कार्यक्षेत्र एक थाने के लिये अधिक है?

(डा. श्री गोपाल बाहेती)

(2) थाना क्रिश्चियनगंज में गत तीन वर्षों में कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई व इनमें से कितनी का निष्पादन हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस थाने का विभाजन कर दो थानों में विभक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार नागफणी क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर में थाना क्रिश्चियनगंज का कार्य क्षेत्र में बजरगढ़, शास्त्रीनगर, लोहागल गांव, पुष्कर रोल बाईपास मकडवाली गांव, चोरसियावास, राताडोबा नोसर, अजयसर, खरखड़ी, बोराज नागफणी, चमार की घाटी के बीच का क्षेत्र आता है। थाने की कुल नफरी 28 हैं, जो निम्न प्रकार हैं :-

1. पुलिस निरीक्षक -	1
2. उप पुलिस निरीक्षक -	1
3. स.उ.पु.नि. -	9
4. हैड कानि. -	2
5. कानि. -	15
योग	**28**

थाना अन्तर्गत दो पुलिस चौकियां क्रिश्चियनगंज व आनासागर हैं। प्रत्येक चौकी पर एक स.उ.नि.पु. व सात कानि. की नफरी अलग से हैं। थाने का क्षेत्र करीब 50 वर्ग किलोमीटर है जो आबादी की दृष्टि से बड़ा नहीं है।

(2) थाना क्रिश्चियनगंज अजमेर में गत तीन वर्षों में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट व उसके निस्तारण की स्थिति इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	वर्ष	दर्ज एफआईआर	निस्तारण	शेष
1	2003	357	357	-
2	2004	471	471	-
3	2005	379	372	7 पैण्डिंग तफ्तीश

(गृह मंत्री)

(3) थाना क्रिश्चियनगंज अजमेर का विभाजन कर दो थानों में विभक्त करने का कोई विचार नहीं हैं।

(4) आनासागर पुलिस चौकी नागफणी क्षेत्र के पास ही स्थित है और कानून व्यवस्था की दृष्टि से कोई असुविधा नहीं होने के कारण नागफणी क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने का कोई विचार नहीं है।

धौलपुर जिले के मृत शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के उत्तराधिकारियों को अनुज्ञा पत्र

61. **श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मृतक लाइसेन्सधारी के उत्तराधिकारी को बन्दूक का लाइसेन्स देने की सरकार की क्या नीति है?

(2) क्या यह सही है कि उत्तराधिकारी का चाल-चलन पुलिस रिकार्ड के अनुसार ठीक होने के उपरान्त भी उन्हें लाइसेन्स नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) धौलपुर जिले में ऐसे कितने प्रकरण कब से व किस-किस के लम्बित हैं? सरकार इन्हें कब तक लाइसेन्स जारी करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आर्म्स एक्ट 1959 एवं आर्म्स रूल्स, 1962 में मृतक लाईसेन्सधारी के उत्तराधिकारी को लाइसेन्स देने के अलग से प्रावधान नहीं है। आर्म्स लाइसेन्स दिये जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 16.08.2005 में मृतक लाइसेन्सी के उत्तराधिकारी को लाइसेन्स जारी करने के आवेदन–पत्र का निस्तारण प्राथमिकता से करने हेतु समस्त जिला मजिस्ट्रेट को कहा गया है।

(2) अनुज्ञापत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चाल-चलन आदि पर संतुष्टि कर लाइसेन्स जारी किया जाता है।

गृह मंत्री)

(3) धौलपुर जिले में वर्ष 2002 से 2005 तक की अवधि के कुल 59 प्रकरण लम्बित हैं सूची परिशिष्ट-''क'' पर संलग्न है। लम्बित आवेदनों-पत्रों को आवेदक की पात्रता के अनुसार दिनांक 31-3-06 तक निर्णित करने हेतु दिनांक 1-3-2006 को निर्देश जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर को जारी कर दिये गये हैं। निर्देशों की प्रति संलग्न है।

परिशिष्ट ''क''

मृतक लाइसेन्सधारी के उत्तराधिकारियों को बन्दूक का लाइसेन्स देने हेतु लम्बित आवेदन पत्रों की सूची

क्र. सं.	नाम आवेदक मय पता	थाना	लम्बित दिनांक	लम्बित का कारण
1.	सुरेश चंद पुत्र लालसिंह जाट नि. जिरौली धौलपुर	निहालगंज	1.6.05	आवेदक द्वारा परिवार के सदस्यों की सहमति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने
2.	शिशुपाल सिंह पुत्र बज्रपाल सिंह जाट नि. पुराना रिसाला	निहालगंज	2.6.05	उपरोक्त
3.	किन्नर सिंह पुत्र होतमसिंह ठाकुर नि. सिकरौदा	कंचनपुर	6.1.05	उपरोक्त
4.	साहबसिंह पुत्र कन्हैयाराम जाटव नि. अब्दुलपुर	कंचनपुर	5.6.04	उपरोक्त
5.	अजमेर सिंह पुत्र रामभरोसी कुशवाह नि. भिलगंवा	सदर	23.1.04	उपरोक्त
6.	पातीराम पुत्र भैरूसिंह कुशवाह नि. खोरपुरा	सदर	6.7.04	उपरोक्त
7.	राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण त्यागी नि. सादरा	सदर	18.9.04	उपरोक्त
8.	ल्हौरे पुत्र चोखरिया बधेला नि. गुन्ना का पुरा	सदर	16.3.05	उपरोक्त

अतारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र. सं.	नाम आवेदक मय पता	थाना	लम्बित दिनांक	लम्बित का कारण
9.	रामबरन पुत्र नेकराम जाटव नि. समौला	कोतवाली	22.11.02	उपरोक्त
10.	श्रीमति विमल गर्ग पत्नी राजीव गर्ग नि. होस्पीटल रोड धौलपुर	कोतवाली	28.11.02	उपरोक्त
11.	राजेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण गोपाल सोनी नि. पुराना शहर धौलपुर	कोतवाली	19.5.04	उपरोक्त
12.	रोशन लाल पुत्र भगवान सिंह बधेला नि. पुराना शहर धौलपुर	कोतवाली	11.3.05	उपरोक्त
13.	दिपक सिंह पुत्र मानसिंह जाट नि. मित्तल कोलोनी, धौलपुर	कोतवाली	21.10.05	उपरोक्त
14.	अनिल कुमार पुत्र कैदार नाथ वेश्य नि. पुराना शहर धौलपुर	कोतवाली	16.12.05	उपरोक्त
15	दाऊदयाल शर्मा पुत्र फतेहसिंह ब्राह्मण नि. कल्याणपुरा	मनियां	31.12.05	उपरोक्त
16.	सीताराम पुत्र रघुवर दयाल जाटव नि. खेरली	मनियां	21.3.05	उपरोक्त
17.	सोवरन पुत्र गोरी लाल लोधा नि. डोगरपुर	मनियां	7.9.05	उपरोक्त
18.	मानसिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह ठाकुर नि. राधे का पुरा	मनियां	24.7.04	उपरोक्त
19.	नत्थी लाल पुत्र परशराम लोधा नि. वसईयालालु	मनियां	17.8.04	उपरोक्त
20.	लालसिंह पुत्र चन्दन सिंह कुशवाह नि. झाडेकापुरा	मनियां	21.7.04	उपरोक्त

क्र. सं.	नाम आवेदक मय पता	थाना	लम्बित दिनांक	लम्बित का कारण
21.	अर्जुन सिंह पुत्र नेमीचंद त्यागी नि. मनियां	मनियां	28.8.04	उपरोक्त
22.	रतिभान पुत्र बौना कोली नि. बरई	बसेडी	20.12.05	उपरोक्त
23.	सुरेन्द्र सिंह पुत्र सूबेदार सिंह ठाकुर नि. खरगपुरा	बसेडी	23.12.05	उपरोक्त
24.	विनोद सिंह पुत्र हाकिम सिंह ठाकुर नि. खौरपुरा	बसेडी	23.12.05	उपरोक्त
25.	राजवीर सिंह पुत्र तारासिंह ठाकुर नि. हरजुपुरा	बसेडी	23.9.05	उपरोक्त
26.	सन्त कुमार पुत्र सालीगराम कुशवाहा नि. चोरपुरा	बसेडी	20.9.05	उपरोक्त
27.	बच्चुसिंह पुत्र भीकमसिंह ठाकुर नि. भैरूकापुरा	बसेडी	3.9.05	उपरोक्त
28.	मदन सिंह पुत्र रामदास ठाकुर नि. नगलाभुम्मा	बसेडी	23.8.04	उपरोक्त
29.	विजय सिंह पुत्र दाताराम जाटव नि. नकटेकापुरा	बसेडी	2.6.05	उपरोक्त
30.	मुरारी पुत्र विजेन्द्रसिंह गुर्जर नि. ताजपुरा	बसेडी	17.6.05	उपरोक्त
31.	दीनदयाल सिंह पुत्र रामसरन गुर्जर नि. ताजपुरा	बसेडी	17.6.05	उपरोक्त
32.	विनोद सिंह पुत्र हाकिम सिंह ठाकुर नि. खौरपुरा	बसेडी	10.12.04	उपरोक्त
33.	बदन सिंह पुत्र जोरावर सिंह ठाकुर नि. मिर्जापुर	बसेडी	28.4.05	उपरोक्त

क्र. सं.	नाम आवेदक मय पता	थाना	लम्बित दिनांक	लम्बित का कारण
34.	श्रीधर पुत्र नानिगा धोबी नि. धौर्य	बसेडी	4.6.04	उपरोक्त
35.	शकिल सैफी पुत्र सद्दिक मुसलमान नि. बाडी	बाडी	23.12.05	उपरोक्त
36.	श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नी सतवन्त सिंह सिक्ख नि. लाहौरियापुरा	बाडी	24.9.04	उपरोक्त
37.	सत्तुसिंह पुत्र रामभरोसी जाटव नि. सनौरा	बाडी	7.12.05	उपरोक्त
38.	सोवरनसिंह पुत्र सालिगराम गुर्जर नि. निधारा	बाडी	5.11.04	उपरोक्त
39.	परशराम पुत्र ल्हौरे गुर्जर नि. बरपुरा	बसईडांग	26.8.05	उपरोक्त
40.	महावीर सिंह पुत्र बंशीसिंह गुर्जर नि. भूतपुरा	बसईडांग	12.4.05	उपरोक्त
41.	अमर सिंह पुत्र बाबु गुर्जर नि. गंगोली	बसईडांग	23.2.05	उपरोक्त
42.	रामबरन पुत्र लाचारीराम जाटव नि. बीरपुर	बसईडांग	6.10.04	उपरोक्त
43.	वकिल सिंह पुत्र भीमसैन गुर्जर नि. रजईखुद्व	बसईडांग	23.11.04	उपरोक्त
44.	रामगोपाल पुत्र इन्द्रपाल बधेला नि. टीकापुरा	राजाखेडा	2.7.05	उपरोक्त
45.	सुरेश चंद पुत्र छविराम ब्राह्मण नि. गढीटीडाबली	राजाखेडा	29.10.04	उपरोक्त
46.	विजेन्द्र सिंह पुत्र ब्रहजीत ठाकुर नि. अम्बरपुरा	राजाखेडा	19.11.04	उपरोक्त

क्र. सं.	नाम आवेदक मय पता	थाना	लम्बित दिनांक	लम्बित का कारण
47.	सुन्दर सिंह पुत्र रामेश्वर कुशवाहा नि. बुद्वाकापुरा	कौलारी	7.9.05	उपरोक्त
48.	गोपाल सिंह पुत्र नेकराम गुर्जर नि. खरगपुरा	कौलारी	12.9.03	उपरोक्त
49.	कुमरसैन पुत्र भंवर सिंह त्यागी नि. बदरिका	कौलारी	29.6.04	उपरोक्त
50.	रामभरोसी पुत्र आदिराम गुर्जर नि. बडामानपुरा	कौलारी	23.5.05	उपरोक्त
51.	हुकम सिंह पुत्र ठीकाराम त्यागी नि. कुरेधा	कौलारी	28.7.03	उपरोक्त
52.	भगवान सिंह पुत्र रामसिंह मीणा नि. खरौली	सरमथुरा	17.10.05	उपरोक्त
53.	कमल सिंह पुत्र रामरतन मीणा नि. भमपुरा	सरमथुरा	7.9.05	उपरोक्त
54.	रामभजन पुत्र मनरुप मीणा नि. कुमरपुरा	सरमथुरा	6.12.04	उपरोक्त
55.	प्रीतम सिंह पुत्र लौकनेराम मीणा नि. झाला	सरमथुरा	23.10.04	उपरोक्त
56.	हीरासिंह पुत्र अनूपसिंह ठाकुर नि. सरमथुरा	सरमथुरा	19.9.04	उपरोक्त
57.	देवीचरण पुत्र कलुआराम मीणा नि. झाला	सरमथुरा	23.10.04	उपरोक्त
58.	लाखनसिंह पुत्र बाबूलाल मीणा नि. कुमरपुरा	सरमथुरा	6.12.04	उपरोक्त
59.	जगदीश प्रसाद पुत्र फौदीराम जाटव नि. बीझोली	सरमथुरा	24.8.05	उपरोक्त

अतारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.23(26)गृह-9/06 जयपुर, दिनांक : 1.3.2006

जिला मजिस्ट्रेट

धौलपुर।

विषय – विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 522/गृह द्वारा श्री प्रद्युम्न सिंह, विधायक–मृतक शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के उत्तराधिकारी को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि विषयांकित प्रश्न के उत्तर में आपने मृतक शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के उत्तराधिकारियों को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने के 59 आवेदन-पत्र लम्बित बताये हैं जबकि विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 1 (1) गृह-9/2005 दिनांक 16-8-2005 द्वारा लाइसेन्स के लिये प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को अधिकतम 90 दिनों में वर्णित करने की व्यवस्था प्रवृत्त की गयी। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त निर्देशों के बावजूद जिले में अधिक अवधि के लम्बित प्रकरणों को गंभीर विषय माना गया है एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपसे यह आग्रह करने के लिए निर्देशित किया गया है कि :-

(i) लम्बित 59 आवेदन-पत्रों को 31-3-2006 तक निर्णित करायें।

(ii) शस्त्र अनुज्ञा-पत्र के लिये प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों का तीन माह में निस्तारण सुनिश्चित करायें।

(iii) की गई कार्यवाही बाबत जानकारी माह अप्रैल के मासिक अशासकीय पत्र में अंकित करायें।

भवदीय,

जी.एल. गुप्ता

शासन उप सचिव-सुरक्षा

सिरोही जिले के पुलिस थानों में दर्ज प्रकरण

62. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सिरोही जिले में वर्ष 2005 एवं 10 फरवरी, 2006 तक में नकबजनी व चोरी के कितने प्रकरण दर्ज हुए एवं उनमें से कितने प्रकरण खुल पाए? कितने मामलों में चालान हुए एवं कितनों में बरामदगी हुई तथा इसका प्रतिशत क्या रहा? कितने मामले ऐसे हैं जिनमें घटना हुई लेकिन माल न जाने की वजह से प्रार्थना पत्र पर मुकदमे दर्ज नहीं किए गए? वर्ष 2005 एवं 2006 का पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सिरोही जिले में वर्ष 2005 एवं वर्ष 2006 में 10 फरवरी, 2006 तक नकबजनी एवं चोरी के प्रकरणों से सम्बन्धित वर्षवार सूचना परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार है।

सिरोही जिले में वर्ष 2005 एवं वर्ष 2006 में 10 फरवरी, 2006 तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें घटना होने पर माल नहीं जाने की वजह से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया हो।

परिशिष्ट - 'अ'

सिरोही जिले में वर्ष 2005 एवं वर्ष 2006 (10 फरवरी तक) नकबजनी व चोरी से सम्बन्धित सूचना का विवरण

वर्ष 2005

अपराध शीर्षक	कुल दर्ज	खुले पाये प्रकरण	चालान	चालान प्रतिशत	बरामदगी प्रकरण	बरामदगी प्रतिशत	घटना हुई लेकिन माल न जाने से मु. दर्ज नहीं किये
नकबजनी	110	23	23	23	24	29	शून्य
चोरी	167	63	63	43	65	52	शून्य
वर्ष 2006 (10 फरवरी तक)							
नकबजनी	16	2	2	67	1	1	शून्य
चोरी	20	8	5	100	9	69	शून्य

पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर का भर्ती प्रकरण

63. श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) निदेशालय, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर (एफ.एस.एल) द्वारा जून, 2005 में रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु किन-किन पदों पर आवेदन आमन्त्रित किये गये थे?

(2) उक्त विज्ञप्ति में प्रकाशित किन-किन पदों पर कुल कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा किन-किन पदों पर किन-किन अभ्यर्थियों को किस चयन प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार के लिए बुलाया गया?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पदों की भर्ती में वैधानिक चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तथा लिखित परीक्षा भी नहीं ली गई? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ पदों हेतु गुपचुप भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई? यदि हां, तो किन-किन पदों पर, किन-किन को नियुक्ति दी गई? पद एवं नामवार चयनित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु उक्त प्रक्रिया को निरस्त करके, निष्पक्ष चयन प्रक्रिया अपनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) निदेशालय पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जून, 2005 में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गये थे।

(2) जून, 2005 में प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक पद के लिए 9,807, प्रयोगशाला सहायक के लिए 15,530 एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए 13,168 कुल 38,505 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उक्त आवेदन पत्रों की कम्प्यूटर प्रोसेसिंग से मेरिट के आधार पर उच्चतम

(गृह मंत्री)

न्यायालय के निर्णयानुसार तीन गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया गया।

(3) जी नहीं। वैधानिक प्रक्रियानुसार ही चयन की कार्यवाही की गयी है। चयन हेतु लिखित परीक्षा लेना आवश्यक नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

वन भूमि एवं अभयारण्यों का सीमांकन

64. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वन भूमियों/वन्य अभयारण्यों की सीमाओं का सीमांकन छः माह में कराने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उपरोक्त सीमांकन के लिए अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीमांकन कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? सरकार अब कब तक सीमांकन कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) अरावली क्षेत्र में खनन एवं क्रेशर जोन सम्बन्धी विधान सभा प्रश्न संख्या 125/खनिज दिनांक 16.7.2004 के उत्तर में सरिस्का के सम्बन्ध में छह माह में डिमार्केशन कराने का उल्लेख किया था। राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन हेतु 54,722 मीनारें अभी लगे हुए हैं। तथा 2,83,943 मीनारें लगाकर सीमांकन कराने की परियोजना तैयार की गई है। परियोजना विवरण परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। सीमांकन कार्य को पूर्ण करने के लिये 45.06 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, अतः इसे चरणबद्ध रूप में 5 वर्षों में पूर्ण करने की योजना है।

परिशिष्ट ''क''

वन क्ष्ेात्रों की मीनारा बंदी कराये जाने की परियोजना का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	मीनारें लगाये जाने प्रस्तावित	आवश्यक धनराशि (लाखों में)
1	प्रथम वर्ष	47427	675.299
2	द्वितीय वर्ष	63245	987.172
3	तृतीय वर्ष	69764	1179.709
4	चतुर्थ वर्ष	57020	905.864
5	पंचम वर्ष	46487	758.340
	योग	**283943**	**4506.384**

वन भूमि सर्वेयरों के रिक्त पद

65. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कुल कितनी वन भूमि है एवं उसके सर्वे एवं डिमार्केशन के लिये कितने अमीन/सर्वेयर के पद सृजित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक वन मण्डल में अमीन/सर्वेयर पदस्थापित हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार अमीन/सर्वेयर के रिक्त पदों को भरने हेतु अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति/नई भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य में स्थित वन भूमि पर वन सीमा की मीनारें लगी हुई हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार वन सीमा में मीनारें लगाने की कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 32488.01 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है। विभाग में अमीन के 37 पद तथा सर्वेयर के 73 पद स्वीकृत है।

(2) जी नहीं। विभाग में अमीन के 8 पद एवं सर्वेयर के 10 पद रिक्त हैं। इन पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) राज्य में वन भूमि के सीमांकन हेतु 54,722 मीनारें लगे हुए हैं। सहायक मीनारें आदि को शामिल करते हुए 2,83,943 मीनारें लगाने के सम्बन्ध में पांच वर्षीय कार्य योजना तैयार कर ली गई है।

वन्य जीव अभयारण्य रामगढ़ के अपूर्ण एनीकट

66. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में वन्य जीवों के पीने के पानी के लिये इस क्षेत्र में स्थित अधूरे एनीकट विषधारी, दराका नया गांव, तथा बालाजी एनीकट को पूरा करवाने के सम्बन्ध में तखमीना तैयार करवाया गया है? यदि हां, तो प्रत्येक एनीकट के निर्माण में कितनी-कितनी राशि व्यय होगी?

(2) क्या यह सही है कि वन्य जीवों को प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होने तथा इन अधूरे एनीकटों के निर्माण हेतु जन प्रतिनिधियों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और पत्राचार किया गया? यदि हां, तो किसके द्वारा और कब?

(3) क्या वन एवं पर्यावरण मंत्रालय केन्द्र सरकार के द्वारा भी उक्त एनीकटों के सम्बन्ध में पत्राचार हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार वन्य जीवों को प्रचुर मात्रा में पानी मिलने के दृष्टिकोण से इन अधूरे एनीकटों को पूरा कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) दरा का नया गांव एवं विषधारी एनीकट सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व

(वन मंत्री)

निर्मित किये गये हैं, जो वर्तमान में अपूर्ण हैं। ये दोनों अधूरे एनीकट लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत होने एवं अभ्यारण्य क्षेत्र में होने से बिना केन्द्र सरकार एवं वन्य जीव बोर्ड की अनुमति के पूर्ण नहीं किये जा सकते हैं। इन्हे पूर्ण करने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं। बालाजी एनीकट पूर्ण है।

(2) जी हां। अधूरे एनीकटों के निर्माण हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा किये गये पत्राचार का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। उक्त दोनों अपूर्ण एनीकट बहुत बड़ी साइज के होने से अभ्यारण्य के लिए बनाई गई प्रबन्ध योजना में सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

परिशिष्ट 'क'

क्र.सं.	**नाम जनप्रतिनिधि**	**किस एनीकट के बारे में**	**दिनांक**
1.	श्री हरिमोहन शर्मा माननीय विधायक	एनीकट विषधारी	16.07.2005
2.	सरपंच ग्राम पंचायत, डावेटा	एनीकट दरा का नया गांव हेतु	01.09.2005
3.	श्री रामनारायण मीणा, माननीय विधायक	विषधारी बांध हेतु याचिका	14.10.2005
4.	सदस्य पंचायत समिति हिंडोली	बालाजी एनीकट हेतु	14.12.2005

बून्दी जिले में वन क्षेत्रों के एनीकटों का रख-रखाव

67. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र सिसोला, जिला बून्दी में सरकार द्वारा एनीकटों के निर्माण कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो किस

(श्री रामनारायण मीणा)

योजनान्तर्गत, कितनी राशि एवं किस आदेश के तहत? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एनीकटों में से कितने एनीकट अपूर्ण हैं तथा क्या उनकी ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है? यदि हां, तो एनिकट के नाम सहित किए जा सकने वाले कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त एनीकट की ऊंचाई बढ़ाने तथा ठीक ढंग से रख-रखाव एवं अपूर्ण कार्य को पूर्ण करवाये जाने की कार्यवाही की जाएगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत सिसोला में वन विभाग द्वारा दो एनीकट वानिकी विकास परियोजना के अन्तर्गत बनाये गये। एनीकटों को बनाने हेतु रुपये 5,24,227/- व्यय किये गये।

स्वीकृत आदेश की प्रति एवं विवरण परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त दोनों एनीकटों में से बारी का नाल एनीकट अपूर्ण है। इस एनीकट की नींव भराई जाने के अतिरिक्त अन्य कार्य अपूर्ण है। निर्धारित ऊंचाई के आधार पर एनीकटों की नींव बनाई गई है। अतः अब ऊंचाई नहीं बढ़ाई जा सकती।

(3) अधूरे एनीकट को पूर्ण करने की कार्यवाही तकनीकी रूप से परीक्षण करवाया जाकर की जावेगी।

परिशिष्ट 'क'

कार्यालय मण्डल वन अधिकारी बूंदी, (राजस्थान)

क्रमांक एफ 9()विकास/97-98/6498-6503 दिनांक 21.5.1995

क्षेत्रीय वन अधिकारी,

बूंदी/हिण्डौली/केशवरायपाटन

इन्दरगढ़/नैनवा।

विषय :- वानिकी विकास परियोजना के अन्तर्गत लिमिटेड नवीन आबंटन में विभिन्न आबंटन के लिए 1998-99 में बजट आबंटन के सम्बन्ध में।

श्रीमान मुख्य वन संरक्षक, वानिकी विकास परियोजना, कोटा कैम्प जयपुर एफ 5()विकास/मुवसं. वानिकी 98-99 998-99 के लिए संलग्न परिशिष्ट के अनुसार बजट आबंटन किया जाता है। नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त व्यय किया जावे तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

मण्डल वन अधिकारी

बूंदी।

अतारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

:: कार्यालय मण्डल वन अधिकारी झुंझुनूं (राज.) ::

क्रमांक एफ 9() [illegible] 97-98 पत्रांक 6498-6507 दिनांक – 21/5/98

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
[illegible]

विषय:– [illegible] परियोजना के अन्तर्गत [illegible] वर्ष 1998-99 में बजट आवंटन के संबंध में।

श्री मान् मुख्य वन संरक्षक, [illegible] परियोजना, [illegible] एफ 5() [illegible] 98-99 वर्ष 1998-99 के लिए संलग्न परिशिष्ट के अनुसार बजट आवंटन किया जाता है। [illegible] के उपरान्त ही व्यय किया जावें तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

मण्डल वन अधिकारी,
झुंझुनूं

क्रमांक एफ 9() [illegible] 98-99 पत्रांक 6504-55 दिनांक 21-5-98

प्रतिलिपि [illegible] को [illegible] आवंटित बजट राशि अनुसार [illegible] क्षेत्रीय वन अधिकारी से [illegible] कार्य प्रारंभ करें।

मण्डल वन अधिकारी,
झुंझुनूं

	बून्दी	1- प्ला0गुढ़ा भीम का तेड़ा	25है0	एफ0डब्लू0	[illegible]
	हिंडोली	2- प्ला0मीपर्ज डी	25है0	,,	30000
			50है0		60000
वृक्षारोपण वर्ष 1998-99 अग्रिम कार्य वर्ष 1997-98 4406-वानिकी तथा वन्यजीवन पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी 102-समाज तथा फार्म वानिकी (T) आर्थिक जापान की सहायता से वानिकी विकास परि0 के अन्तर्गत वृक्षारोपण, 3-वानिकी निर्माण कार्य।	हिंडोली	1-प्ला0फालैंडा (बी)	50है0	आरसीएच	349000
	नैनवां	2-प्ला0नानपुरा	50है0	,,	349000
	हिण्डोली	3-प्ला0[illegible]रिया	50है0	,,	349000
	नैनवां	4-प्ला0[illegible]पुरा	50है0	,,	349000
		योग:-	200है0		1396000
	नैनवां	1-प्ला0[illegible]वर	50है0	आरडीएफ0	240250
	हावी	2-प्ला0[illegible]	50है0	,,	240250
	,,	3-प्ला0[illegible]	50है0	,,	240250
	,,	4-प्ला0[illegible]	50है0	,,	240000
	,,	5-प्ला0बापर्दू डी	50है0	,,	240000
		योग:-	250है0		1201000
	नैनवां	1-प्ला0[illegible] वी	35है0	एफ0डब्लू0	219625
	,,	2-प्ला0[illegible]पुरा	15है0	,,	94125
	,,	3-प्ला0[illegible]पुरा	25है0	,,	156879
	हिण्डोली	4-प्ला0गुढ़ा [illegible]पुरा	60है0	,,	376500
	,,	5-प्ला0[illegible] डी	25है0	,,	156875
			160है0		1004000
स्टीकर टाईप-ग्राफ [illegible]	[illegible]	1-मुक्तावर	टाइपनगर		56000 [illegible]
	[illegible]	2-[illegible]पुरा	,,		94000 [illegible]
	नैनवां	3-[illegible]	,,		150000 [illegible]
	हिण्डोली	4-[illegible]	,,		150000 [illegible]
					450000

-4-[illegible]-

(4)

[illegible] टाईपमेन्ट	छबड़ा	1–केमला कोटड़ी	टाईपमेन्ट	60000	[illegible]	केमला कोटड़ी
	[illegible]	2–बजायर	,,	130000	,,	बजायर
	हिण्डोली	3–बुड़ा गोकुलपुरा	,,	20000	,,	बुड़ा गोकुलपुरा
	छबड़ा	4–मलखेन	,,	65000	,,	मलखेन
	,,	5–जयनगर	,,	160000	,,	जयनगर
	[illegible]	6–बीसोता	,,	145000	,,	बीसोता
				590000		
[illegible]टाईपमेन्ट	[illegible]	1–[illegible] का माल	,,	95000	,,	
		2–पायरा	,,	100000	,,	पायरा
				195000	,,	
[illegible]	हिण्डोली	1–दुमालिया	1	78000	,,	दुमालिया
	,,	2–[illegible]	1	78000	,,	
				156000		

[illegible] वन अधिकारी,
बूंदी

परिशिष्ट 'ख'

ग्राम पंचायत सिसोला में बनाये गये एनीकटों का विवरण

क्र.सं.	नाम एनीकट	व्यय राशि रुपये	पूर्ण या अपूर्ण
1.	सिसोला टाईप-द्वितीय	3,55,035	पूर्ण
2.	बारी का नाल टाईप-प्रथम	1,69,192	अपूर्ण

नाथद्वारा नगरपालिका की वन भूमि पर अतिक्रमण

68. डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका नाथद्वारा की वन भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बना रखें हैं?

(2) क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग में समन्वय नहीं होने एवं समस्या का निराकरण नहीं होने से लोगों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है तथा वन भूमि पर अतिक्रमण निरन्तर जारी है? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या का निदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भारत सरकार के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन भूमि को रिहायशी उपयोग हेतु प्रत्यावर्तित कराये जाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा विचार नहीं किये जाने के निर्देश है।

वन भूमि पर और अतिक्रमण न हो, इस दृष्टि से आबादी से सटी वन भूमि पर पक्की दीवार का निर्माण कराया जा रहा है।

सूचना के अधिकार की क्रियान्विति के विरुद्ध जारी आदेश

69. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रधान, मुख्य वन संरक्षक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को जारी दिशा-निर्देशों में पत्रकारों (मीडिया) को सूचना उपलब्ध करवाने पर प्रतिबंध लगाया गया है? यदि हां, तो उक्त आदेश/पत्र की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रधान, मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी उक्त आदेश नियमों के अन्तर्गत दिया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आदेश सरकार द्वारा पारित सूचना के अधिकार विधेयक के विपरीत है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश जारी करने में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जारी किये गये परिपत्र की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 10 के अनुसरण में जारी किया गया।

(3) जी नहीं। जारी किया गया परिपत्र विभागीय नीतियों/कार्यक्रमों के बारे में सीधे वक्तव्य, सूचना नहीं देने से सम्बन्धित है, जो सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के नियमानुसार निस्तारण में बाधक नहीं है।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : पत्रा. 10(10)89/जांच/प्रमुवसं/6457 दिनांक : 28 दिसम्बर, 2005

परिपत्र

यह प्रशासन के ध्यान में लाया गया है कि वन विभाग के कतिपय अधिकारी अपने स्तर पर विभाग सम्बन्धी नीतियां, कार्यक्रम या अन्य सूचना सीधे ही समाचार पत्र अथवा अन्य संचार माध्यमों को उपलब्ध कराते रहते हैं।

जबकि अधिकारी/कर्मचारियों को यह कृत्य राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के नियम 10 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष का यह भी दायित्व है कि उनके अधीनस्थ किसी अधिकारी/ कर्मवारी द्वारा आचरण नियमों का उल्लंघन किये जाने पर ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अम्ल में लावें।

अतः इस परिपत्र के माध्यम से यह सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार से बिना अनुमति के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने स्तर पर विभाग सम्बन्धी नीतियां, कार्यक्रम या अन्य सूचना सीधे ही समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों को उपलब्ध नहीं करायेंगे।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावें एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को भी सख्त रूप से पाबन्द करने की व्यवस्था करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान, जयपुर

वाहन-चालन में रसोई गैस का अवैध उपयोग

70. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि रसोई गैस का प्रयोग अनाधिकृत रूप से वाहनों को चलाने में किये जाने से रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई? यदि हां, तो सरकार द्वारा अनाधिकृत रूप से रसोई गैस का उपयोग एवं कालाबाजारी रोकने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राज्य के कुछ शहरों में गत अक्टूबर से दिसम्बर, 2005 की अवधि में देश के अन्य भागों की तरह रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित रही है। गत अक्टूबर, नवम्बर, 2005 में ही जामनगर रिफाइनरी जिससे राज्य की 95 प्रतिशत आपूर्ति होती है, बंद हो जाने से आपूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित हो गई। भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग के तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय द्वारा भी इसी आशय का एक संदेश आम उपभोक्ताओं से अपील के रूप में जारी किया गया था।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

राज्य में रसोई गैस के वाहनों में चलाने से अनाधिकृत प्रयोग से भी रसोई गैस की आपूर्ति पर आंशिक रूप से प्रभावित होना संभव है।

रसोई गैस का अनाधिकृत प्रयोग रोकने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को समय-समय पर निर्देश दिये गये एवं उनके साथ राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों द्वारा भी जांच/रोकथाम की कार्यवाही की गयी। इसके अतिरिक्त तेल कम्पनियों द्वारा रसोई गैस का वाहनों में अनाधिकृत उपयोग से संभावित खतरों और जनसाधारण की सुरक्षा के प्रति उपभोक्ताओं को शिक्षित करने की दृष्टि से भी निर्देश दिये गये।

वाहनों में रसोई गैस के अनाधिकृत उपयोग और गैस की कालाबाजारी रोकने हेतु जनवरी एवं फरवरी में गैस एजेंट के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराये गये हैं।

परिवहन अधिकारियों, रसद विभाग के अधिकारियों एवं तेल कम्पनियों के सम्मिलित प्रयासों से निम्न कार्यवाही की गई-

- 417 वाहनों के चालान किये गये।
- 45 सिलेण्डर जब्त किये गये।
- लगभग रुपये 205250/- जुर्माने के रूप में वसूल किये गये।
- 305 गैस सिलेण्डर वाहनों से हटाये गये।
- तीन मामलों में गैस एजेंसियों के विरुद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।
- तीन गैस एजेंसियों के लाइसेंस निलम्बित किये गये।

सिरोही जिले में वर्ष 2005 में जारी नए बी.पी.एल. कार्ड

71. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले के शहरी क्षेत्र की बी.पी.एल. सूची में वर्ष 2005 में कितने नए कार्ड किस तिथि को जारी किए गए? कार्ड जारी करने के किस-किस माह का बी.पी.एल. गेहूं इन्हें उपलब्ध कराया गया और हर महीने उपलब्ध नहीं कराने के क्या कारण हैं?

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) सिरोही जिले के ग्रामीण क्षेत्र की नई बी.पी.एल. सूची के आधार पर कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के स्थानीय निकाय विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों के 2003 के सर्वे जो 1 अप्रैल, 2005 से लागू हुआ है, के आधार पर सिरोही जिले में वर्ष 2005 में कुल 5776 शहरी बी.पी.एल. परिवार चिन्हित किये गये है। जिनमें से 1445 परिवार पुराने सर्वे में भी बी.पी.एल. सूची में शामिल थे। नये चयनित 4331 में से 2509 परिवारों को 16 जून से 25 जून, 2005 की अवधि के दौरान प्रशासन शहरों की ओर अभियान में मौके पर ही राशन कार्ड उपलब्ध करवाये गये। इसके पश्चात 26.06.05 से अब तक 1502 परिवारों को कार्ड जारी किये जा चुके हैं। शेष 320 परिवारों को कार्ड जारी करने की कार्यवाही जारी है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही से राशन कार्ड एवं राशन टिकिट वितरण की सूचना के आधार पर सिरोही जिले में नये चयनित शहरी बीपीएल परिवारों को सम्मिलित करते हुए खाद्यान्न का आबंटन दिसम्बर, 2005 से बढ़ाया गया।

(2) राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए नई बीपीएल सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है। अतः नई बी.पी.एल सूची को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अंतिम रूप देकर प्रकाशित करने के बाद ही सूचना प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इन परिवारों को राशन कार्ड जारी करने के निर्देश जारी किये जा सकेंगे।

सिरोही जिले में उचित मूल्य की राशन सामग्री का वितरण

72. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए गेहूं की वार्षिक मांग क्या है एवं वर्ष 2005 में सिरोही जिले को सरकार द्वारा कितना ए.पी.एल. गेहूं आबंटित किया गया? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) जिले की किस-किस तहसील में कितने ए.पी.एल. परिवार हैं एवं तहसीलवार गेहूं की वार्षिक मांग कितनी है एवं वर्ष 2005 में प्रत्येक ब्लाक को कितना गेहूं आबंटित किया गया? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सिरोही जिले में प्रति परिवार कितना केरोसीन वितरित किया जा रहा है जिले की कुल मांग वार्षिक कितनी है एवं राज्य सरकार द्वारा कितना आबंटित किया जा रहा है? क्या सरकार प्रति परिवार पांच लीटर केरोसीन पूरे जिले में देने का विचार रखती है? जिले में वर्ष 2005 में केरोसीन न दिए जाने की नागरिकों ने कितनी शिकायतें की एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? केरोसीन की कालाबाजारी के कितने मामले वर्ष 2005 में पकड़े गए व उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) राज्य में ए.पी.एल. परिवारों के लिये आबंटित गेहूं की मांग सामान्यतः अत्यधिक कम रहती है। गत 3 वर्षों (2002-03 से 2004-05) के दौरान इन परिवारों के लिये आबंटित गेहूं का उठाव लगभग 6.68 प्रतिशत रहा है। सिरोही जिले में भी ए.पी.एल. परिवारों के लिये आबंटित गेहूं की मांग कम रही है। किन्तु गत 2-3 माह से राज्य के अन्य जिलों के समान ही सिरोही जिले में मांग भी बढ़ी है।

वर्ष 2005 में संलग्न परिशिष्ट ''1'' के अनुसार सिरोही जिले के ए.पी.एल. परिवारों को 1,02,781 मैट्रिक टन गेहूं का आबंटन किया गया है। जिसके विपरीत 9,449.69 मै. टन का उठाव किया गया है।

(2) ए.पी.एल. में तहसीलवार परिवारों एवं तहसीलवार आबंटित गेहूं के उठाव व लाभार्थियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''2'' व ''3'' पर है।

(3) राज्य को भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त केरोसीन के आबंटन का डी.बी.सी. कनेक्शनधारी उपभोक्ताधाओं को शून्य, सिंगल गैस कनेक्शन कार्डधारी उपभोक्ताओं को 2 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह एवं शेष सामान्य राशन कार्डधारियों को उपलब्ध केरोसीन आबंटन की समानुपातिक मात्रा अनुसार जिलों में केरोसीन का वितरण कराया जाता है। सामान्यतः 3 से 5

अतारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

लीटर तक प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड केरोसीन की मात्रा वितरण करायी जा रही है।

वर्ष 2005 के माह अप्रैल से राज्य को 42717 के.एल. केरोसीन का प्रति माह आबंटन प्राप्त हो रहा है। राज्य को वर्तमान में 5 लीटर के हिसाब से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में वितरण कराने पर 50459 के.एल. की आवश्यकता बनती है। अतः 7742 के.एल. केरोसीन वर्तमान में राज्य को मांग की अपेक्षा कम प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में 5 लीटर केरोसीन तभी दिया जाना संभव है जब राज्य को भारत सरकार से मांग के अनुसार केरोसीन का आबंटन प्राप्त हो।

उपरोक्तानुसार भारत सरकार से प्राप्त केरोसीन व उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार सिरोही जिले की लगभग 10424 के.एल. की आवश्यकता के विपरीत 2005 में 9094 के.एल. केरोसीन का आबंटन किया गया है।

जिले में वर्ष 2005 में केरोसीन न दिए जाने की नागरिकों से 5 शिकायतें प्राप्त हुई है। केरोसीन तेल के 4 प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है। एक प्रकरण में जांच करवाई जा रही है।

परिशिष्ट - 1

सिरोही जिले में ए.पी.एल. परिवारों को आबंटित गेहूं और उठाव का ब्यौरा

माह का नाम	ए.पी.एल. गेहूं (मात्रा मै. टन में)	
	आबंटन	उठाव
जनवरी 05	9708	1850
फरवरी 05	9708	1825
मार्च 05	9708	966
अप्रैल 05	9708	120
मई 05	9708	450
जून 05	9708	240
जुलाई 05	9708	360
अगस्त 05	6965	410
सितम्बर 05	6965	290
अक्टूबर 05	6965	1050
नवम्बर 05	6965	1390
दिसम्बर 05	6965	498.69
योग	**102781**	**9449.69**

परिशिष्ट- 2

सिरोही जिले में ए.पी.एल. परिवारों का तहसीलवार ब्यौरा

नाम तहसील	सिरोही	शिवगंज	पिण्डवाड़ा	आबूरोड	रेवदर	कुल योग
परिवारों की संख्या	37022	30209	41776	38066	37543	184616

परिशिष्ट 3

सिरोही जिले में एपीएल परिवारों को वर्ष 2005 में आबंटित गेहूं, उठाव और लाभार्थियों का माहवार एवं तहसीलवार ब्यौरा

क्र. सं.	माह	सिरोही			शिवगंज			पिण्डवाडा			आबूरोड़			रेवदर		
		आबंटन	उठाव	लाभार्थी	आबंटन	उठाव	लाभार्थी	आबंटन	उठाव	लाभार्थी	आबंटन	उठाव	लाभार्थी	आबंटन	उठाव	लाभार्थी
1	जनवरी	2330	300	8571	1830	300	85	2330	490	1400	2330	750	21428	888	10	285
2	फरवरी	2330	450	12857	1830	290	8285	2330	425	12142	2330	600	17142	888	60	2213
3	मार्च	2330	320	9142	1830	150	4285	2330	110	3142	2330	350	10000	888	36	2230
4	अप्रैल	2330	20	571	1830	0	0	2330	0	0	2330	100	2857	888	0	0
5	मई	2330	120	3428	1830	100	2857	2330	80	3284	2330	150	1830	888	0	0
6	जून	2330	20	571	1830	20	571	2330	30	857	2330	170	888	888	0	2330
7	जुलाई	2330	70	7000	1830	50	1428	2330	70	2000	2330	170	4857	888	0	0
8	अगस्त	1650	20	571	1300	50	1428	1650	40	1612	1600	300	8571	765	0	0
9	सितम्बर	1650	40	1642	1300	50	1428	1650	50	1428	1600	150	4285	765	0	0

क्र. सं.	माह	सिरोही			शिवगंज			पिण्डवाडा			आबूरोड़			रेवदर		
		आबंटन	उठाव	लाभार्थी	आबंटन	उठाव	लाभार्थी	आबंटन	उठाव	लाभार्थी	आबंटन	उठाव	लाभार्थी	आबंटन	उठाव	लाभार्थी
10	अक्टूबर	1650	110	3142	1300	110	3142	1650	260	7428	1600	520	14857	765	50	1428
11	नवम्बर	1650	100	2857	1300	120	2428	1650	350	10000	1600	770	22000	765	50	1428
12	दिसम्बर	1650	110	3142	1300	80	3284	1650	136	3885	1600	123	3514	765	50	1428
	योग	**24560**	**1680**	**53494**	**19310**	**1320**	**30221**	**24560**	**2041**	**47178**	**24310**	**4153**	**112229**	**10041**	**256**	**11442**

गाडिया लुहार वर्ग को आरक्षित वर्ग की सुविधाएं

73. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा घुमक्कड़ जाति (गाडिया लुहार) को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2000 से अब तक जिला चूरू में उक्त जाति के कितने व्यक्तियों ने नि:शुल्क भूखण्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत किये व उनमें से कितनों को भूखण्ड आबंटित कर दिये गये? शेष को कब तक भूखण्ड आबंटित कर दिये जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त जाति को आवास हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2005-06 में कितने व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया तथा वर्ष 2006-07 में कितने लोगों को ऋण उपलब्ध करवाये जाने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उपरोक्त जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त जाति के व्यक्तियों को अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ दिया जा रहा है? यदि हां, तो कब से?

(6) क्या सरकार उपरोक्त जाति को बी.पी.एल. की सुविधाऐं प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा घुमक्कड़ जाति (गाड़िया लुहार) को तीन किश्तों में आवासीय भवन निर्माण हेतु रुपये 17500/- तथा कच्चे माल के क्रय के लिए रुपये 500/- तीन साल में एक बार, एक गाडिया लुहार परिवार को अनुदान के रूप में दिया जाता है।

(2) वर्ष 2000 से अब तक जिला चूरू में उक्त जाति के 28 व्यक्तियों ने नि:शुल्क भूखण्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत किये। इनमें से 24 व्यक्तियों को

(समाज कल्याण मंत्री)

नि:शुल्क भूखण्ड आबंटित कर दिये गये। शेष 4 व्यक्तियों जो तारानगर, नगरपालिका क्षेत्र से सम्बन्धित हैं, को शर्तें पूरी नहीं करने के कारण भूखण्ड आबंटित नहीं किये गये।

(3) उपरोक्त जाति को आवास हेतु ऋण उपलब्ध करवाने की समाज कल्याण विभाग की कोई योजना नहीं है।

(4) गाडिया लुहार जाति को राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम संख्या 16 पर गाडिया-लुहार, गाड़ोलिया, जाति/वर्ग में सम्मिलित किया हुआ है।

(5) हां। जितने लोग अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित हैं, उन सभी को लाभ दिया जा रहा है।

(6) उपरोक्त जाति के जितने परिवार बी.पी.एल. सूची में चयनित हैं, उन्हें नियमानुसार सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

परन्तु डी.पी.आई.पी. योजना में तो सभी गाडिया लुहारों को समकक्ष मानकर लाभ दिया जा रहा है।

चूरू जिले में ऐसे गाडिया लुहारों की सूची जिन्हें 2000 से अब तक भूखण्ड आबंटित हुई है :-

क्र.सं.	गाडिया लुहार का नाम मय पिता का नाम	पता
1	बीरबल राम/मघाराम लुहार	वार्ड नं. 12 तारानगर, चूरू
2	घनश्याम/मधाराम लुहार	वार्ड नं. 12 तारानगर, चूरू
3	महावीर/मघाराम लुहार	वार्ड नं. 12 तारानगर, चूरू
4	हरि सिंह/ मघाराम लुहार	वार्ड नं. 12 तारानगर, चूरू
5	काशीराम/ मघाराम	वार्ड नं. 12 तारानगर, चूरू
6	श्योनारायण/मघाराम	वार्ड नं. 12 तारानगर, चूरू
7	मोतीराम/आदूराम	वार्ड नं. 12 तारानगर, चूरू

अतारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

क्र.सं.	गाडिया लुहार का नाम मय पिता का नाम	पता
8	उदमीराम/चान्दाराम	वार्ड नं. 12 तारानगर, चूरू
9	ओमप्रकाश/चान्दाराम	वार्ड नं. 12 तारानगर, चूरू
10	रामधन/आदूराम	वार्ड नं. 12 तारानगर, चूरू
11	हेलुराम/चान्दाराम	वार्ड नं. 12 तारानगर, चूरू
12	भरतसिंह/टेलुराम	वार्ड नं. 12 तारानगर, चूरू
13	धारासिंह/टेलुराम	वार्ड नं. 12 तारानगर, चूरू
14	भोलाराम/टेलुराम	वार्ड नं. 12 तारानगर, चूरू
15	सुपी/स्व. लालूराम	मु.पो. कालवास
16	हरकोरी/जेठूराम	मु.पो. कालवास
17	निहाल सिंह/घड़सीराम	मु.पो. कालवास
18	मोहनलाल/जेठूराम	मु.पो. कालवास
19	बुद्धाराम/लालूराम	मु.पो. कालवास
20	प्रकाश/जेठूराम लुहार	मु.पो. कालवास
21	सज्जन लाल/सागरमल	मु.पो. कालवास
22	कालीचरण/गणेशराम	मु.पो. कालवास
23	रामजीलाल/फूसाराम	वार्ड नं. 30 चूरू
24	सत्यप्रकाश/प्रेमलाल	वार्ड नं. 2 चूरू

ऐसे गाडिया लुहारों की सूची जिन्हें भूखण्ड आवेदन पत्र पर भूखण्ड आबंटित नहीं किया गया है जो निम्न प्रकार है : -

क्र.सं.	गाडिया का नाम मय पिता का नाम	पता	कारण
1	गंगाराम/चान्दा राम	मु.पो. तारानगर	पुत्री पर आश्रित होने के कारण
2	आदू राम/चान्दाराम	मु.पो. तारानगर	पुत्री पर आश्रित होने के कारण
3	नेपाराम/काशीराम	मु.पो. तारानगर	पिता पर आश्रित होने के कारण
4	अमीलाल/चान्दा राम	मु.पो. तारानगर	तारानगर का निवास प्रमाणित न होने के कारण

बून्दी जिले के सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत विचाराधीन पेंशन प्रकरण

74. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विकलांग, वृद्धावस्था, परित्यक्ता, विधवा आदि प्रकार की पेंशन स्वीकृत की जाती हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस बाबत नियम बने हुए हैं तथा उसी अनुरूप पेंशन स्वीकृतियां जारी की जाती हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पेंशन स्वीकृति के लिए पेंशन प्राप्त करने वाले की आय का भी मानदण्ड निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या एक हैक्टेयर से कम असिंचित भूमि की हिस्सेदारी रखने वालों को भी पेंशन स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कितने प्रकरणों में?

(5) क्या यह सही है कि स्वीकृत की जाने वाली पेंशनों में राज्य तथा केन्द्र सरकार की राशि का अनुपात निर्धारित है? यदि हां, तो कितना? श्रेणीवार पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि वर्ष 2004-05 में उक्त प्रकार की पेंशन की

अतारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

(श्री रामनारायण मीणा)

वितरित राशि में राज्य एवं केन्द्र द्वारा निर्धारित हिस्से की राशि अदा की गई है? यदि हां, तो श्रेणीवार पेंशन के लिए पृथक-पृथक कितनी-कितनी राशि अदा की गई? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) जिला बून्दी की ग्राम पंचायत मुख्यालय नया गांव (तालेडा) पर आयोजित प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 शिविर में कितनी विधवा/वृद्धावस्था/विकलांगों को पेंशन स्वीकृत की गई तथा क्या उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो गई? यदि हां, तो कब से तथा नहीं, तो क्यों एवं अब इन्हें कब से पेंशन मिलने लग जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या उक्त बाबत कोषाधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक संजीवनी/42 दिनांक 27 जुलाई, 2005 जिला कलक्टर बून्दी को तथा इसकी प्रतियां क्रमांक 42-43 विकास अधिकारी तालेडा तथा विधायक नैनवां को दी गई हैं? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा विकलांग, वृद्धावस्था, परित्यक्ता एवं विधवा आदि को पेंशन स्वीकृत की जाती है। विकलांग व्यक्तियों को जो राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 के नियम 3 के तहत पेंशन के अधिकारी हैं, उन्हें अधिसूचना संख्या प. 1(16)वित्त/नियम/98 दिनांक 14.06.99 के अनुसार रुपये 200/- प्रतिमाह पेंशन मिलती है।

विभागीय दिशा निर्देश दिनांक 21.6.2003 के अनुसार परित्यक्ता को भी 200/- रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये है। राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 1(6)एफडी/रूल्स/93 दिनांक 14.6.1999 के अनुसार वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन निम्नानुसार दी जाती है :-

1. महिला जो 55 वर्ष से अधिक आयु की है	-	200 रुपये प्रतिमाह
2. विधवा किसी भी उम्र की हो	-	200 रुपये प्रतिमाह
3. पुरुष जिसकी आयु 58 वर्ष से अधिक/65 वर्ष तक हो	-	100 रुपये प्रतिमाह
4. पुरुष जो कि 65 वर्ष से अधिक आयु का हो	-	200 रुपये प्रतिमाह
5. पति/पत्नी को संयुक्त पेंशन	-	300 रुपये प्रतिमाह

अतारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

(समाज कल्याण मंत्री)

विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन हेतु राजस्थान वार्धक्य एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के नियम 2 के तहत योग्य व्यक्ति पेंशन के अधिकारी हैं। निर्देशों एवं नियमों की प्रति (परिशिष्ट संख्या 2, 3ए व 3बी) पर है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में नियम बनाये हुए हैं, जो निम्न प्रकार है:-

1. राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों को पेंशन नियम, 1965
2. राजस्थान वार्धक्य एवं विधवा पेंशन नियम, 1974

पेंशन की स्वीकृतियां नियमों व मंत्रीमण्डल की आज्ञा 43/03 दिनांक 6-7 जून, 2003 की अनुपालना में मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 20.6.03 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार विभाग के पत्र क्रमांक 1086-1156 दिनांक 21.06.03 के निर्देशों के अनुसार पेंशन स्वीकृत की जा रही है। निर्देशों एवं नियमों की प्रति (परिशिष्ट संख्या 2 व 3) पर है।

(3) जी हां। राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 के नियम 3 व 4 तथा राजस्थान वार्धक्य एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के नियम 2ग(4) में आय के मापदण्ड निर्धारित हैं। नियम क्रमश: परिशिष्ट संख्या 3ए व 3बी पर हैं।

(4) विभिन्न जिलों के लिए असिंचित भूमि की सीमा पेंशन पात्र के लिए अलग-अलग है। सीमान्त कृषकों के लिए विहित सीमा की आधी से कम कृषि भूमि की आय पेंशन की मंजूरी के लिए आय में सम्मिलित नहीं किये जाने का प्रावधान है। सीमान्त कृषक के लिए असिंचित भूमि की सीमा निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**असिंचित भूमि की सीमा**	**पेंशन हेतु पात्रता के लिए सीमा**
1.	जैसमलेर/बाड़मेर	5 हैक्टेयर	ढ़ाई हैक्टेयर से कम
2.	बीकानेर/नागौर/जालौर/पाली/चूरू/जोधपुर	साढ़े तीन हैक्टेयर	1.75 हैक्टेयर से कम
3.	झुन्झुनू/अजमेर/डूंगरपुर/उदयपुर/बांसवाड़ा	1.50 हैक्टेयर	0.75 हैक्टेयर से कम
4.	अन्य जिले	2.50 हैक्टेयर	1.25 हैक्टेयर से कम

(समाज कल्याण मंत्री)

(5) जी नहीं। पात्र विकलांग, विधवा एवं परित्यक्ता को राज्य सरकार द्वारा ही पेंशन दी जाती है। राज्य वृद्धावस्था में राज्य सरकार द्वारा ही पेंशन दी जाती है। इसमें केन्द्र सरकार को कोई अनुपात निर्धारित नहीं है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में भारत सरकार द्वारा 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष एवं स्त्री को रुपये 75/- प्रतिमाह देने का प्रावधान है लेकिन राज्य सरकार द्वारा ऐसे पेंशनरों को भी रुपये 200/- प्रतिमाह देने के लिए रुपये 125/- राज्य निधि से भुगतान किया जाता है।

(6) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वर्ष 2004-05 में रुपये 1474.25 लाख प्राप्त राशि व्यय हुई और राज्य सरकार द्वारा राज्य वृद्धावस्था पेंशन पर रुपये 5424.30 लाख व्यय हुए जिसमें कोई अनुपात निर्धारित नहीं है।

(7) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बून्दी को नया गांव (तालेड़ा) में आयोजित शिविर 2004 में पेंशन स्वीकृति हेतु 29 आवेदन पत्रों में से पात्रता रखने वाले 14 आवेदकों के आवेदन पत्र कोषाधिकारी, बून्दी को भेजे, जिनहें पेशन का भुगतान मिलना शुरू हो गया है। शेष 15 आवेदकों के प्रकरण कोषाधिकारी को अभी नहीं भिजवाये गये हैं।

(8) जी हां। कोषाधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र की प्रति क्रमांक 42-43 दिनांक 27.07.05 द्वारा दी गई थी। परन्तु पत्र में उल्लेखित 29 प्रकरणों में से 15 प्रकरणों की स्वीकृति पंचायत समिति स्तर से प्राप्त होने पर ही कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर के लंबित छात्रवृत्ति प्रकरण

75. **श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में माह जनवरी, 2004 से अब तक छात्रवृत्ति हेतु किस-किस अभ्यर्थी के आवेदन पत्र प्राप्त हुए? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदन पत्रों में से किन-किन छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति की गई व किन-किन को नहीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

(3) किन-किन आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु विचाराधीन है तथा किन-किन स्वीकृत छात्रों की छात्रवृत्ति वितरण हेतु लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में माह जनवरी, 2004 से अब तक 5521 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सम्बन्धित कार्यालयों से यथा प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) उक्त आवेदन पत्रों में से 4315 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं। (3676 अभ्यर्थियों की सूची परिशिष्ट ''अ'' में सम्मिलित है)। एवं 639 अभ्यर्थियों की सूची परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है। तथा 33 आवेदन पत्र निरस्त किये गये, सूची परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(3) उक्त आवेदन पत्रों में से 1173 आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। अभ्यर्थियों की सूची परिशिष्ट ''द'' सदन की मेज पर रख दी है। किसी भी अभ्यर्थी की स्वीकृत छात्रवृत्ति वितरण हेतु लम्बित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बयाना एवं रुपवास में महिला छात्रावास

76. श्री निर्भय लाल (रुपवास) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राज्य में गत दो वर्षों में कौन-कौन से नये छात्रावास खोले गये तथा कहां-कहां खोलना प्रस्तावित है? राज्य में कुल कितने छात्रावास संचालित हैं, छात्रावासों का नाम व स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त छात्रावासों के पास स्वयं के भवन हैं? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौनसे छात्रावास हैं जिनके पास स्वयं के भवन नहीं हैं? क्या सरकार इन छात्रावासों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार बयाना एवं रुपवास में अनुसूचित जाति महिला छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा राज्य में गत दो वर्षों में 75 राजकीय तथा 25 अनुदानित छात्रावास खोले गये हैं, जिनकी सूची (परिशिष्ट ''अ'') पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2005-06 में नये छात्रावास खोले जाने प्रस्तावित नहीं हैं। राज्य में 602 राजकीय तथा 95 अनुदानित कुल 697 छात्रावास संचालित हैं। छात्रावासों का नाम व स्थान सहित सूची (परिशिष्ट ''ब'') पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त राजकीय छात्रावासों से 335 छात्रावासों के राजकीय भवन हैं तथा 267 छात्रावासों के पास राजकीय भवन नहीं हैं। जिन राजकीय छात्रावासों के स्वयं के भवन नहीं हैं, उनकी सूची परिशिष्ट ''ब'' के कालम संख्या 8 पर उपलब्ध है। इनमें से 44 छात्रावासों के राजकीय भवन निर्माणाधीन हैं तथा शेष किराये के भवनों में संचालित 223 राजकीय छात्रावासों के भवन निर्माण आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

(3) आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री स्वरूप गोविन्द पारीक विद्यालय के अन्तर्गत समितियों के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन

77. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री स्वरूप गोविन्द पारीक विद्यालय मैनेजिंग कमेटी के नाम से सहकारी विभाग में रजिस्ट्रेशन है?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री स्वरूप गोविन्द पारीक कालेज एवं इससे सम्बन्धित भिन्न-भिन्न संस्थाओं के नाम से रजिस्ट्रेशन हेतु कोई आवेदन पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कौन-कौनसी संस्थाओं का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

पलायथा (बारां) ग्राम का ध्वस्त एनीकट

78. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां की ग्राम पंचायत पलायथा द्वारा पशु पेयजल के लिये एनीकट का निर्माण काली सिंध नदी पर करवाया गया था? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त एनीकट को एन.एच.ए.आई. द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त एनीकट की राशि एन.एच.ए.आई. द्वारा ग्राम पंचायत में जमा नहीं करवाई गई? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त एनीकट किस अधिकारी की अनुमति से तोड़ा गया? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त निर्माण कार्य पर 1,99,870/ रुपये व्यय किये गये।

(2) जी हां। काली सिन्ध नदी पर पुल का विस्तार 4 लेन रोड़ के लिये किया जा रहा है।

(3) जी हां। एन.एच.ए.आई. का निर्माण करने वाली सन-वे कन्सट्रक्शन कम्पनी ने सरपंच, ग्राम पंचायत, पलायथा को दिनांक 28.12.2005 को लिख कर अवगत कराया है कि निर्माण कार्य समाप्त होने पर एनीकट की पुलिया को पुनः यथा स्थिति में बना देंगे।

(4) किसी अधिकारी द्वारा अनुमति जारी नहीं की गई।

पंचायत समिति नवलगढ़ में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

79. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नवलगढ़ के प्रधान द्वारा पंचायत समिति में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्रांक 4139-41, दिनांक 27 जून, 2005 द्वारा जिला कलक्टर झुन्झुनूं एवं पत्रांक 4136-38 दिनांक 27 जून, 2005 द्वारा पुलिस उप-अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, झुन्झुनूं को जांच हेतु निवेदन किया गया था? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर द्वारा उन्ही अधिकारियों से जांच करवाई गई जो कि अनियमितताओं में सम्मिलित थे? यदि हां, तो दोनों विभागों द्वारा की गई जांच रिपोर्ट एवं कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त शिकायतों की जांच कार्यवाही प्रभावी तरीके से करवाने एवं जनप्रतिनिधि द्वारा की जाने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायतों से पूर्व भी पंचायत समिति नवलगढ़ के प्रधान द्वारा कई बार शिकायतें की थी? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रधान पंचायत समिति नवलगढ़ के पत्रांक 4139-41 दिनांक 27.06.05 के द्वारा जिला कलक्टर झुन्झुनूं को शिकायत प्राप्त हुई। शिकायती पत्र में अंकित बिन्दुओं की जांच सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति नवलगढ़ से करवाई जा कर जांच रिपोर्ट दिनांक 25.02.06 द्वारा जिला कलक्टर को प्रस्तुत की है। इस प्रकरण की पुन: जांच अधिशासी अभियन्ता (भू संसाधन), जिला परिषद द्वारा की जा रही है।

अतारांकित– 3 मार्च, 2006 - प्रश्नोत्तर

(पंचायती राज मंत्री)

प्रधान पंचायत समिति, नवलगढ़ के पत्र क्र. 4136-38 दिनांक 27.06.05 के जरिये प्रेषित शिकायत ब्यूरो चौकी पर दिनांक 05.07.06 को प्राप्त हुई जो उनकी यहां जांच में प्रक्रियाधीन है।

(2) पूर्व में जांच सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति नवलगढ़ से करवाई गयी थी। सहायक अभियन्ता की जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

तथ्यात्मक रिपोर्ट

विषय :- जलग्रहण योजना की राशि के दुरुपयोग बाबत

प्रसंग :- जिला परिषद झुंझुनूं का पत्र क्रमांक 3484 दि. 13.7.05

श्रीमान प्रधान पं.सं., नवलगढ के पत्रांक 4139-41 दि. 27.6.05 के द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट इस प्रकार है।

इस पंचायत समिति क्षेत्र में चल रहे जल ग्रहण क्षेत्रों में जुलाई, 05 तक व्यय निम्नानुसार हैं।

क्र.सं.	**ज.ग्र.क्षे.**	**पं.सं. स्तर पर किया गया व्यय**			**विवरण**
		प्रशिक्षण	**सामु.**	**प्रशासनिक**	
1.	कोलसिया	0.69	1.21	0.57	
2.	लोगडा कलां	0.39	1.25	0.81	
3.	राणासर	0.39	1.14	0.49	
4.	बुगाला	0.08	1.00	0.08	
5.	परसरामपुरा	0.47	1.03	0.31	
6.	पबाना प्रथम	0.28	1.02	0.44	
7.	पबाना द्वितीय	0.02	-	0.03	
8.	कसेरू	0.07	-	0.07	
9.	चैलासी	0.02	-	0.13	

क्र.सं.	ज.ग्र.क्षे.	पं.सं. स्तर पर किया गया			विवरण
		प्रशिक्षण	सामु.	प्रशासनिक	
10.	बसावा	0.46	1.23	0.07	
11.	कुमावास	1.24	1.50	0.54	समस्त व्यय ज.ग्र.वि. एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा
12.	परसरामपुरा प्रथम	0.10			यह व्यय पंचायत समिति द्वारा लिये गये हैं। भू संरक्षण विभाग द्वारा मार्च, 04 से पूर्व में व्यय सम्मिलित नहीं है।
13.	परसरामपुरा द्वितीय	0.10			
14.	टौंक छिलरी	0.10			
15.	भखडी	0.10			
16.	लोहार्गल	0.11	0.06		

उपरोक्त सारणी में जो व्यय प्रशासनिक मद में दर्शाये गये हैं उनमें मात्र संचित का मानदेख व जीप किराया व डी.पी.आर बनाने का व्यय शामिल है।

सामुदायिक संगठन मद में मुख्य व्यय E.P.A. मद में C.C. सड़क बनाने नारा लेखन व पशु चिकित्सा शिविर लगाने में व्यय किये गये हैं। E.P.A. का कार्य जलग्रहण समितियों द्वारा करवाया गया है व भुगतान समितियों के लिये किये गये है।

प्रशिक्षण मद में जल ग्रहण क्षेत्र कोलसिया (रू. 32 लाख) रावासर (रू. 27 लाख) में वर्मी कम्पोस्ट प्रशिक्षण हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र आबूसर में भुगतान किया है। वर्मी कम्पोस्ट प्रशिक्षण, अपूर्ण सेवा संस्थान, उदयपुर द्वारा जलग्रहण क्षेत्र बसांवा व परसरामपुरा में दिया गया। जल ग्रहण क्षेत्र परमरामपुरा I, II, टोक छिलरी भखडी लोहार्गल में वर्मी कम्पोस्ट का प्रशिक्षण अमृत जैविक खाद अनुसंधान संस्थान लूनिया गोठडा द्वारा उप निेदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण झुंझुनूं के पत्र क्रमांक 459.86 दि 15.3.04 के द्वारा जारी आदेश के तहत दिया गया। यह पांचों ज.ग्र.क्षे. पूर्व में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण निर्माण के अंतर्गत कार्यरत थे। पंचायत समिति को यह ज.ग्र.क्षे. 30/6/05 के बाद स्थानान्तरित हुए व बजट देर से आने के कारण

बिल इस पंचायत समिति द्वारा पारित किये गये। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण मद में कृषक भ्रमण जलग्रहण क्षेत्र कोलसिया (0.30 लाख) तोगड़ा कला (0.29) व राणासर (0.18) के कराया गया है।

सारणी से स्पष्ट है कि दर्शायी गयी राशि में से बड़ी राशि के बिल उपरोक्तानुसार है शेष राशि स्थानीय प्रशिक्षण में व्यय की गयी है जो कि परियोजना काल 2-5 साल में नाम मात्र की है।

अपूर्ण सेवा संस्थान द्वारा 4 अन्य जलग्रहण क्षेत्रों में वर्मी कम्पोस्ट का प्रशिक्षण दिया है। 2 जल ग्रहण क्षेत्रों के बिल का भुगतान स्थायी समिति के निर्णयानुसार, पंचायत समिति सदस्यों की समिति के जांच कर रिपोर्ट देने तक रोक हुआ है।

टिप्पणी :- प्रशिक्षण जिला परिषद झुंझुनूं द्वारा अनुमोदित फर्मों को, अनुमोदित दरों पर, कृषि विज्ञान केन्द्र आबूसर, अर्पण सेवा संस्थान व अमृत जैविक खाद संस्थान द्वारा जलग्रहण क्षेत्रों में प्रशिक्षण मद में राशि के अनुसार ही किया है। अतः यह अनियमितता की या गलत भुगतान नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त शिकायत पत्र में लिखा है कि विकास अधिकारी ने गलत भुगतान किया है व रिकार्ड नहीं दिखाया जाता है। इसके सम्बन्ध में निवेदन है कि पूर्व प्रधानजी के समय से ही स्थाई समिति के निर्णयानुसार एक रुपये के भी चैक पर प्रधानजी के हस्ताक्षर अनिवार्य है। अतः हर भुगतान (दिसम्बर, 04 के बाद) यह भी पहुंच जानकारी व बिल प्रधानजी की देखरेख की में हैं। अतः यह कहना निराधार है कि रिकार्ड नहीं दिखाया गया या विकास अधिकारी ने गलत भुगतान किया है।

इसके अतिरिक्त रोके गये भुगतान की जांच हेतु, स्थाई समिति के सदस्यों की द्वारा गठित समिति को नियुक्त किया हुआ है उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

निष्कर्ष :- उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, यह शिकायत निराधार है। प्रधानजी को किसी ने गुमराह किया प्रतीत होता है।

विकास अधिकारी

पंचायत समिति नवलगढ़ (राज.)

नागौर जिले के अकालग्रस्त क्षेत्रों की गिरदावरी में अनियमितताएं

80. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गिरदावरी में जिला नागौर के अधिकांश अकाल प्रभावित गांवों में एक ही पंचायत के आधे क्षेत्र को अकाल राहत में शामिल कर दिया गया तथा आधे को नहीं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार नागौर जिले में अकाल ग्रस्त क्षेत्र में पुनः गिरदावरी कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह जरूरी नहीं है कि एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले सभी ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया जावे। अभाव घोषणा का आधार खराबे के आधार पर ग्राम है ना कि पंचायत। भू-अभिलेख नियमों के तहत पटवारी द्वारा मौके पर खेत-खेत पर जाकर खराबा दर्ज कर खरीफ फसल में खराबे का आकलन किया गया है। जिस गांव में 50 प्रतिशत से कम खराबा दर्ज हुआ है उसे अकाल प्रभावित नहीं माना गया है तथा जिन ग्रामों में 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक खराबा दर्ज किया गया है उन्हें अकाल प्रभावित गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

(2) जी नहीं। क्योंकि गिरदावरी खड़ी फसल की की जाती है। अब मौके पर खरीफ फसल नहीं है। अतः दुबारा गिरदावरी कराया जाना सम्भव नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 81

(स्थगित)

निगम कर्मियों के विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण

82. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वर्तमान में घाटे में चल रहा है? यदि हां, तो कितना? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिहवन निगम के चालक एवं परिचालकों के निलम्बन के विरूद्ध की गई अपील के प्रकरण विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कितने? इनका निपटारा कब तक कर दिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि निगम के कर्मचारियों के 9-18-27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाले लाभांश आदि का भुगतान बकाया है? यदि हां, तो किन-किन का व क्यों? सरकार यह भुगतान कब तक करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जनवरी, 2006 तक संकलित हानि 388.63 करोड़ रुपये है।

निगम के घाटे में रहने के कारण निम्नलिखित हैं :-

1. डीजल की कीमतों में बार-बार वृद्धि होने से निगम लागत में वृद्धि होना।
2. दिनांक 1 जनवरी, 1997 से निगम कर्मचारियों को राज्य सरकार के अनुरूप नये वेतनमान का लाभ दिये जाने के पश्चात एवं महंगाई भत्ते की दरों में समय-समय पर वृद्धि होने के कारण निगम की संस्थापन लागत में अत्यधिक वृद्धि होना।
3. राज्य में बडी रेल लाईनों/रेल सेवाओं का विस्तार होना व रेल किराया निगम बसों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होने से निगम बसों को कम यात्री भार मिलना।

(2) जी नहीं, परिवहन निगम में निलंबन के विरूद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी हां। निगम के सभी वर्ग के कर्मचारियों को उनकी 9-18-27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिए जाने वाले लाभांश का भुगतान बकाया है। परन्तु यह भुगतान 9-18-27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतनमान हेतु गठित समिति की बैठक की दिनांक से पूर्व की अवधि का ही बकाया है। समिति की बैठक की दिनांक से कर्मचारियों का यह लाभांश उनके वेतन में नियमित रूप से दिया जा रहा है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर इनका उक्त लाभांश के बकाया का भुगतान किया जा रहा है। भुगतान बकाया रहने का प्रमुख कारण निगम के वर्ष 1997-98 से लगातार घाटे में चलने के

(यातायात मंत्री)

कारण इसकी रोकड़ तरलता में कमी आना है। निगम की आर्थिक स्थिति एवं रोकड़ तरलता में सुधार होने की स्थिति में निगम द्वारा कर्मचारियों के उक्त बकाया लाभांश का भुगतान किया जा सकेगा।

जैसलमेर जिला मुख्यालय पर निगम आगार की स्थापना

83. **श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिला मुख्यालय जैसलमेर पर राज्य पथ परिवहन निगम का आगार खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। माह सितम्बर, 2003 से सितम्बर, 2004 की अवधि में जैसलमेर का उप आगारीय इकाई के रूप में संचालित किया गया था। उक्त अवधि में इस इकाई को पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलने से 149.56 लाख रुपये की हानि हुई।

जिला परिषद नागौर के दूरभाष का दुरुपयोग प्रकरण

84. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डैगाना) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला परिषद, नागौर (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के कार्यालय में कितने लैण्डलाइन टेलीफोन कार्यरत हैं? विवरण मय टेलीफोन के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 21 अगस्त, 2005 रविवार अवकाश के दिन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के जिला परिषद नागौर (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के दूरभाष संख्या 246750 का 95 का लॉक खोलकर गोपनीयता भंग की गयी? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों द्वारा किन-किन नम्बरों पर इस सेवा का दुरुपयोग किया गया? सूची नामवार मय टेलीफोन नम्बर सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस प्रकरण की शिकायत उच्चाधिकारियों को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या उच्चाधिकारियों द्वारा इसकी जांच की गई व जांच के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला परिषद, नागौर (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के कार्यालय में तीनों लैण्डलाइन टेलीफोन कार्यरत हैं, जिनके नम्बर निम्नानुसार हैं:-

1. 240250
2. 240050
3. 246750

(2) जी हां। यह सही है कि दिनांक 21 अगस्त, 2005 रविवार अवकाश के दिन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के जिला परिषद, नागौर (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के दूरभाष सं. 246750 का 95 का लॉक खोला गया। लॉक खोलकर स्थानीय व बाहरी नम्बरों पर वार्ता की गई। बीएसएनएल की सूचना के अनुसार दिनांक 21 अगस्त, 2005 को निम्न जगह बात की गई। इसके अलावा स्थानीय काल भी की गई थी। सूची नामवार मय टेलीफोन नम्बर निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नम्बर	वार्ता करने वाले कर्मचारी का नाम
1.	952912574449	श्री रमेश चन्द नायक, च.श्रे.क.
2.	951482229515	श्री रमेश चन्द नायक, च.श्रे.क.
3.	9414290294	श्री सज्जन राज सोनेल, च.श्रे.क.
4.	9414212690	श्री सज्जन राज सोनेल, च.श्रे.क.
5.	951452621781	श्री सज्जन राज सोनेल, च.श्रे.क.
6.	952930234518	श्री सज्जन राज सोनेल, च.श्रे.क.
7.	952912623767	श्री सज्जन राज सोनेल, च.श्रे.क.
8.	951585262162	श्री सज्जन राज सोनेल, च.श्रे.क.

(3) इस प्रकरण की प्रथम शिकायत कार्यालय के कर्मचारी श्री किशनाराम जांगिड़ से प्राप्त हुई तथा सांसद एवं विधायक महोदय से प्राप्त पत्रों के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग से भी आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त हुए। शिकायत की जांच के लिए लेखाधिकारी, जिला परिषद, नागौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है परन्तु शिकायत के मध्यनजर उपरोक्त नम्बरों पर वार्ता करने वाले दोषी कर्मचारी श्री सज्जन राज सोनेल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं श्री रमेश चन्द, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खिलाफ इस आरोप के साथ अन्य और आरोपों के चलते निलम्बित भी किया गया है।

परिशिष्ट "1"

तारांकित प्रश्न संख्या 39 का विवरण

विगत 5 वर्षों में जिला जालौर में शस्त्र लाइसेन्सों के तहसीलवार प्राप्त आवेदन मय जारी किये लाइसेन्सों का विवरण

क्र. सं.	तहसील	विगत 5 वर्षों में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या			विगत 5 वर्षों में जारी किये गये शस्त्र लाईसेन्स				निरस्त			शेष आवेदन पत्रों की संख्या			
		कुल आवेदन	टोपीदार बन्दूक	अन्य	12 बोर	रिवाल्वर पिस्टल	टोपी दार	योग	टोपीदार	अन्य	योग	12 बोर	रिवाल्वर पिस्टल	टोपी दार	योग
1.	जालौर	197	62	135	25	10	60	95	0	90	90	06	04	02	12
2.	आहोर	375	270	105	20	04	217	241	53	60	113	12	09	0	21
3.	सायला	231	196	35	02	0	196	198	0	28	28	04	01	0	05
4.	बागोडा	214	204	10	0	0	150	150	54	08	62	01	01	0	02
5.	भीनमाल	572	512	60	17	05	410	432	102	29	131	05	04	0	09
6.	रानीवाड़ा	87	52	35	12	08	47	67	05	10	15	02	03	0	05
7.	सांचौर	73	36	37	06	09	31	46	05	12	17	05	05	0	10
	योग	**1749**	**1332**	**417**	**82**	**36**	**1111**	**1229**	**219**	**237**	**456**	**25**	**27**	**02**	**64**

परिशिष्ट-3 मार्च, 2006-परिशिष्ट

परिशिष्ट - ''ख''

सूची अनुज्ञापत्रधारी (जिला-जालौर) जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले हैं :-

क्र. सं.	नाम लाइसेन्सधारी व पता	अभियोग का विवरण
1.	रामकिशन पुत्र मोतीजी विश्नोई नि. बी. ढाणी सांचौर पु.था. सांचौर	मु.नं. 739/95 एनडीपीएस.एक्ट पु.था. पालनपुर गुजरात मु.नं. 111/86 एनडीपीएस एक्ट पु.था. वाव (गुजरात) मु.नं. 8/96 एनडीपीएस एक्ट थाना परोई (गुजरात)
2.	श्री पूनमाराम पुत्र अनाजी मेघवाल नि. रूपावटी खुर्द पु.था. रानीवाड़ा	मु.नं 97/6.8.98 धारा 341,329 भादंस थाना रानीवाडा
3.	श्री सोमाराम पुत्र रामाजी चौधरी निवासी चिमनगढ़ पु.था. रानीवाड़ा	मु.नं 82/25.5.2001 धारा 451, 323, 427 भादंस, पु.था. रानीवाडा
4.	श्री वेलाराम पुत्र कलाजी कलबी निवासी जालेरा खुर्द पु.था. रानीवाड़ा	मु.नं. 118/22.7.2004 धारा 341, 323, 427 भादंस थाना रानीवाड़ा
5.	श्री धनसिंह पुत्र ओखसिंह राजपूत नि. दोलपुरा पु.था. रानीवाडा	मु.नं. 5/1.2.95 धारा 451, 323, 147, 325 भादंस थाना रानीवाड़ा
6.	श्री लाखराम पुत्र राणाजी चौधरी नि. धानोल थाना रानीवाड़ा	मु.नं. 212/24.12.96 धारा 352, 186 भादंस, थाना रानीवाड़ा
7.	श्री कलीराम पुत्र वनाजी कोली निवासी धनोल थाना रानीवाड़ा	मु.नं. 66/5.4.2003 धारा 451, 323 भादस. थाना रानीवाड़ा मु.नं. 67/5.4.2003 धारा 451, 352 भादंस थाना रानीवाड़ा
8.	श्री हड़मतसिंह पुत्र जगतसिंह राजपूत नि. धानोल थाना रानीवाड़ा	मु.नं. 50/7.5.95 धारा 341, 323 भादंस, थाना रानीवाड़ा मु.नं. 77/8.7.95 धारा 16/54 आब. अधि. थाना रानीवाड़ा

परिशिष्ट-3 मार्च, 2006-परिशिष्ट

क्र. सं.	नाम लाइसेन्सधारी व पता	अभियोग का विवरण
9.	श्री रुगनाथसिंह पुत्र परबतसिंह राजपूत नि. धामसीन थाना रानीवाडा	मु.नं. 47/2.5.98 धारा 447, 323, 324, 325 भादंस. थाना रानीवाड़ा
10.	श्री अनोपसिंह पुत्र जीवसिंह राजपूत नि. धामसीन थाना रानीवाडा	मु.नं. 105/24.9.95 धारा 16/54 आब. अधि. थाना मण्डार सिरोही।
11.	श्री दुर्जनसिंह पुत्र पीरसिंह राजपूत नि. रानीवाड़ा थाना रानीवाडा	मु.नं. 11/22.1.2000 धारा 341, 323 भादंस थाना रानीवाडा
12.	श्री आनन्दसिंह पुत्र सुखलाल माली नि. रानीवाड़ा	मु.नं. 50/2.3.2003 थाना 323, 341, 324, 325 भादंस थाना रानीवाड़ा
13.	श्री रडमा उर्फ रिडमलराम पुत्र मंगलाराम भाट नि. रानीवाड़ा	मु.नं. 45/23.4.95 धारा 341, 323/34 भादस. थाना रानीवाड़ा मु.नं. 135/16.8.2005 धारा 147, 341, 323, 149 भादंस थाना रानीवाडा
14.	श्री प्रहलादसिंह पुत्र नवलसिंह राजपूत नि. रानीवाड़ा थाना रानीवाड़ा	मु.नं. 42/14.3.99 धारा 341, 323 भादंस थाना रानीवाडा
15.	श्री वैणीलाल पुत्र इन्द्रमल जैन नि. मालवाड़ा थाना रानीवाड़ा	मु.नं. 21/5.2.90 धारा 341, 323/34 भादंस थाना रानीवाडा
16.	श्री खुमाराम पुत्र भूराराम चौधरी नि. हीरपुर थाना रानीवाड़ा	मु.नं. 82/25.5.2001 धारा 451, 323, 427 भादंस थाना रानीवाडा
17.	श्री भौतानसिंह पुत्र सवाईसिंह रावणा राजपूत नि. रामपुरा थाना रानीवाड़ा	मु.नं. 11/10.2.95 धारा 16/54 आब. अधि. थाना रानीवाडा मु.नं. 36/10.4.95 धारा 3 एससी/एसटी एक्ट थाना रानीवाड़ा

परिशिष्ट-3 मार्च, 2006-परिशिष्ट

क्र. सं.	नाम लाइसेन्सधारी व पता	अभियोग का विवरण
		मु.नं. 193/6.11.96 धारा 279, 337, 338 भादस थाना रानीवाडा मु.नि. 16/19.1.2003 धारा 19/54 आब. अधि. थाना रानीवाडा
18.	श्री बलवन्तसिंह पुत्र जीवराजसिंह राजपूत नि. सागाणा थाना सायला	मु.न. 1/2.1.99 धारा 147, 148, 149, 447, 427, 458, 436, 323, 325, 307 भादंस थाना सायला
19.	श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र रावतसिंह राजपूत नि. मेंगलवा थाना सायला	मु.नं. 103/3.7.2001 धारा 336, 429 भादंस थाना सायला
20.	श्री नारायणसिंह पुत्र नरपतसिंह राजपूत नि. चाटवाडा थाना करडा	मु.नं. 82/96 धारा 447, 323, 341 भादंस. थाना करडा
21.	श्री अखेदान पुत्र धुकदान चारण नि पाडावा थाना करडा	मु.नं. 45/2000 धारा 448, 323/34 भादंस थाना करड़ा
22.	श्री जयकरण पुत्र सावलदान चारण नि. पाडावा थाना करडा	मु.नं. 106/96 धारा 354, 447, 323/34 भादंस व 3 एससी/एसटी एक्ट थाना करड़ा
23.	श्री प्रभू पुत्र नाथा बागरी नि. दांतवाड़ा थाना करड़ा	मु.नं. 25/93 धारा 307, 147, 148, 341 भादंस व 25 आर्मस एक्ट थाना करड़ा
24.	श्री गंगासिंह पुत्र रिडमलसिंह राजपूत नि. सिलासण थाना करड़ा	मु.नं. 60/2004 धारा 341, 323, 325, 327 भादंस थाना करडा
25.	श्री ठकसिंह पुत्र वचनसिंह राजपूत नि. सिलासण थाना करड़ा	मु.नं. 39/98 धारा 352, 332 भादस थाना करडा
26.	श्री भौकतअली पुत्र फजलखां नि. सेडीया थाना करडा	मु.नं. 54/95 धारा 91(6) (क) रा.मु.रा. अधिनियम 1956 थाना करड़ा

परिशिष्ट-3 मार्च, 2006-परिशिष्ट

क्र. सं.	नाम लाइसेन्सधारी व पता	अभियोग का विवरण
27.	श्री बुधाराम पुत्र भीखाराम भील नि. कोटड़ा थाना करड़ा	मु.नं. 30/2005 धारा 147, 341, 323 भादंस थाना करड़ा
28.	श्री अजबसिंह पुत्र जेतसिंह राजपूत नि. कुशलापुरा थाना भीनमाल	मु.नं. 290/26.10.2004 धारा 341, 323 भादंस थाना भीनमाल
29.	श्री रमेशाकुमार पुत्र लालजी मेवाड़ा निवासी माधोपुरा थाना आहोर	मु.नं. 13/2000 धारा आबकारी अधिनियम थाना आबकारी मु.नं. 1/2000 धारा आबकारी अधिनियम थाना आबकारी मु.नं. 11/2000 धारा आबकारी अधिनियम थाना आबकारी मु.नं. 40/2005 धारा आबकारी अधिनियम मु.नं. 201/21.8.99 धारा 353 भादंस थाना आहोर

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

फतेहपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सड़कों का निर्माण

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पर्यटन को बढावा देने हेतु हैरिटेज घोषित किया गया। फतेहपुर रामगढ़ शेखावाटी में काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान कुछ मिसिंग सड़कों को जोड़ने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा को रामगढ़ शेखावाटी से मण्डावा के बीच सड़क बनी हुई है। मात्र 4 किलोमीटर न्यांगलों से मण्डावा के बीच अधूरी है। इसी प्रकार भोंचरी से मुकन्दगढ के बीच 5 किलोमीटर अधूरी है। एवं भगासरा से बलारा 3 किलोमीटर अधूरी है। अगर यह मिसिंग सड़कें बन जाती हैं तो झुंझुनूं मण्डावा मुकुन्दगढ़, नवलगढ़, से आने वाले पर्यटकों को सीधा रास्ता मिलेगा जिससे टाइम एवं डीजल एवं पेट्रोल की काफी बचत होगी इसी प्रकार रामसीसर से भचरारा एवं ढांण से जान्दंवा की मिसिंग सड़कों को जोड़ा जाता है तो सीकर, चूरू, झुन्झुनूं का सीधा मार्ग बन जायेगा इससे तीन जिलों के लोग तो लाभान्वित होंगे ही साथ ही फतेहपुर आने वाले पर्यटकों को भी लाभ होगा। मैं चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस ओर ध्यान दे इन सड़कों को जोड़ने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद

(श्री भंवरु खान)

फतेहपुर

केसरीसिंहपुर के कस्बे मिर्जेवाला में महिला कला महाविद्यालय खोलने विषयक

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि केसरीसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़े कस्बे मिर्जेवाला में राजकीय महिला कला महाविद्यालय खोलने हेतु मैं राज. विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :-

नियम 295 के तहत-3 मार्च, 2006-विशेष उल्लेख

पिछले दो वर्षों में राज्य की लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजेजी के मार्ग दर्शन में व प्रगतिशील शिक्षा मंत्री श्री घनश्याम तिवाड़ीजी के सानिध्य में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है। श्रीगंगानगर जिले में भी सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत उच्च शिक्षा के निजी क्षेत्र में अनेक महाविद्यालय खोले गये है हमारे जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर में राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में 2500 से अधिक छात्राओं की संख्या है स्थिति यह है कि स्थान सीमित होने के कारण ग्रामीण परिवेश की लड़कियों को प्रवेश नहीं मिल पाता मेरे विधान सभा क्षेत्र में श्रीगंगानगर का सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र आता है, जहां की बड़ी संख्या में लड़कियों उच्च माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् आगे उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती अतः मैं शिक्षा मंत्रीजी से विशेष अनुरोध करता हूं कि मिर्जेवाला में राजकीय महिला कला महाविद्यालय खोला जाये, अथवा सरकार भूमि एवं भवन बनाकर देने के लिये तैयार है तो निजी क्षेत्र की संस्थाएं महाविद्यालय आरम्भ कर सकती हैं, अगर सरकार राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान करती है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग जन सहयोग से महाविद्यालय का भवन बना कर देने का संकल्प रखते हैं।

अनेकों धन्यवाद सहित।

(डा. ओ.पी. महेन्द्रा)
केसरीसिंहपुर

मुण्डावर मजिस्ट्रेट को फौजदारी केसेज सुनने का अधिकार देने विषयक

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र मुण्डावर तहसील में 140 गांव हैं और मुण्डावर क्षेत्र में एक थाना मुण्डावर लगता है जिसके अधीन 104 गांव पड़ते हैं तथा शेष 36 गांव थाना खैरथल के क्षेत्राधिकार में लगा रखा है।

और यह है कि मुण्डावर क्षेत्र के करीब 36 गांवों के फौजदारी केश थाना खैरथल के अधीन होने की वजह से उनका कोर्ट का क्षेत्राधिकार किशनगढ़बास मजिस्ट्रेट को कर रखा है और रेवेन्यू और सिविल केसेज का क्षेत्राधिकार पूरी मुण्डावर तहसील का मुण्डावर मजिस्ट्रेट और एस.डी.ओ. मुण्डावर को दे रखा है।

नियम 295 के तहत-3 मार्च, 2006-विशेष उल्लेख

और यह है कि मुण्डावर क्षेत्र के लोगों को जो खैरथल थाना के अधीन लगा रखे है उनको किशनगढ़बास अदालत में आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा साथ ही आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानी उठानी पड़ रही है।

और यह है कि मुण्डावर एस.डी.ओ. के अधीन जिस प्रकार पूरी तहसील का क्षेत्राधिकार दे रखा है उसी तरीके से मुण्डावर मजिस्ट्रेट को भी पूरी तहसील के मुकदमे सुनने का अधिकार है लेकिन खैरथल थाना जो फौजदारी केसेज है उनका चालान किशनगढ़बास मजिस्ट्रेट के यहां पेश करते है उनको मुण्डावर मजिस्ट्रेट को पेश करना चाहिये जिससे क्षेत्र के लोगों को आर्थिक और मानसिंक तथा शारीरिक परेशानी से बचाया जा सके। जिससे क्षेत्र की जनता को कोई परेशानी नहीं हो।

अत: नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत ध्यान आकर्षित करने के साथ ही सदन में चर्चा करने की अनुमति भी प्रदान करें।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

मुण्डावर

बाली के ग्रामों को प्रस्तावित जवाई बांध पाइप लाइन प्रोजेक्ट से जुड़वाने बाबत

महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र बाली के कुल 85 गांवों में से अधिकांश गांव अरावली पहाड़ी की तलहटी एवं मैदानी क्षेत्रों में बसे है, जहां भूगर्भीय स्ट्राटा ग्रेनाइट राकी है, जो कि बहुत ही कठोर चट्टान है, जिस कारण भू-जल की मात्रा बहुत ही कम उपलब्ध होती है। जल स्त्रोत जल मांग के अनुसार आत्मनिर्भर नहीं है, जिस कारण वर्तमान में संचालित संधारित योजनाओं को जारी रखने में जल संसाधन विभाग को भी भारी कठिनाई होती है, परिणामस्वरूप पानी की मांग को जल परिवहन से पूरा किये जाने के प्रयास सरकार द्वारा किये जाते हैं, जो स्थाई साधन नहीं है, परिवहन में बाधाएं अपर्याप्त असामान्य वितरण से पेयजल किल्लत बनी रहती है।

नियम 295 के तहत-3 मार्च, 2006-विशेष उल्लेख

भू-जल ऊंचाई वाले गावों को छोड़ने के बाद क्रमशः आमलिया, कागदड़ा, नाणा, वीरमपुरा, चामुण्डेरी, मालनूं, हीरोला, लालपुरा, लुन्दाडा, चिमनपुरा, वेलार, भन्दर, कोठार, बेडा, वरावल, दूदनी, छोटी दूदनी, मोरी स्टेशन, मोरी गांव, रघुनाथपुरा, कुमटिया, सेंदला, भाटून्द, बीजापुर, सैणा, जीवदा, बीसलपुर, पेरवा, भागली, सौकड़ा, बिरोलिया, कोटड़ा, बेड़ल, पादरला, गुढा गुमानसिंह, गुढा देवी सिंह, सेवाड़ी गुढा सिरयीयान, पातावा, करणवा, मिरगेश्वर, लुणावा, बारवा, पुनाड़िया, कोट, सेसली, लालराई, सादलवा टीपरी, भीटवाड़ा, गुढालास, पांचलवाड़ा, फतापुरा, रमणिया, मुण्डारा, सादड़ा गुढा कल्याणसिंह आदि ऐसे गांव हैं जहां जल संसाधन विभागीय सर्वे में भी जवाई बांध से पेयजल सप्लाई आसानी से उपलब्ध कराया जाना संभव है तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए इसके अलावा अन्य कोई उपचार भी नहीं है।

अतः जनहित में इन गांवों को जवाई बांध पाइप लाइन से जुड़वाकर अनुग्रहित करावें।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत)

बाली

इंदिरा गांधी नहर टूटने के कारण हुई बरबादी से काश्तकारों को राहत पहुंचाने बाबत

मान्यवर, बीकानेर जिले में दिनांक 1 दिसम्बर 2003 को इंदिरा गांधी नहर अपनी बुर्जी संख्या 489.90 से 495.00 एवं 499.85 से 500.320 के मध्य टूट गई थी। नहर के टूटने से घेघड़ा गांव की लगभग 600 बीघा व संसारदेसर की लगभग 300 बीघा भूमि जलमग्न हो गई थी एवं चक 1 जी.एस.एम. का 106.50 बीघा रकबा जो पूर्व में सिंचित था, पानी के बहाव के साथ मिट्टी आ जाने के कारण यह क्षेत्र असिंचित हो गया कहीं मिट्टी आने के कारण खाले से जमीन का लेवल ऊपर हो गया तो कहीं नहर को बांधने के लिए पास के मुरब्बों से उठाई गई मिट्टी के कारण नीचा होकर खदानों की स्थिति में आ गया। इस प्रकार इस नहर के टूटने से ग्राम घेघड़ा, संसारदेसर एवं आसपास के अनेक चक कृषि योग्य नहीं रह पाये हैं। इन गांवों व चकों के लोग बेघर हो गये तथा आज भी अपने परिवार का पालन पोषण कर पाने में असमर्थ हैं।

परन्तु दुःख का विषय है कि आज इस घटना को दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने तथा स्वयं माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं माननीय सिंचाई एवं सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री महोदय के आपदाग्रस्त क्षेत्र के दौरे के दौरान दिए गए आश्वासन के बावजूद विभाग द्वारा कोई मरकूल प्रयास नहीं किये गये हैं। जबकि इस हेतु समय-समय पर जनप्रतिनिधियों व काश्तकारों द्वारा सम्बन्धितों का ध्यान आकर्षित करवाया जाता रहा है। मगर विभाग द्वारा बरती जा रही कोताही के फलस्वरूप इन क्षेत्रों के काश्तकार अपने परिवार के पालन पोषण एवं अपने हक के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि क्षेत्र के हालात पर गौर फरमाते हुए नहर के टूटने से तबाह हुए काश्तकारों को सिंचाई सुविधा मुहैया करवाने की व्यवस्था करवाये। तथा सिंचित क्षेत्र असिंचित हुई कृषि भूमि का मुआवजा सम्बन्धित काश्तकारों को दिलवाने का कष्ट करें।

धन्यवाद

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

लूणकरणसर

किशनगढ़ पंचायत समिति (बारां) में सहरिया विशिष्ट योजनान्तर्गत हुए कार्यों में अनियमितता

महोदय, बारां जिले की किशनगढ़ पंचायत समिति में सहरिया विशेष योजना-न्तर्गत हुये निर्माण कार्य आंगनबाड़ी, एनीकट, पशु चिकित्सालय आदि कार्यों में अनियमितताएं व कार्य संतोषजनक नहीं हुये है विभाग द्वारा एनीकटें व अन्य कार्यों पर जितनी राशि का आबंटन हुआ है उतनी राशि कार्य मौके पर नहीं पाया गया। इन कार्यों में लोगों को रोजगार नहीं मिला व आर्थिक कार्य ठेकेदारों द्वारा करवाये गये ग्राम पंचायत रानी बड़ोद के ग्राम निवाई में पशु चिकित्सालय के लिये 2.32 हजार की राशि का आबंटन हुआ। इस कार्य की प्रथम किस्त उठा ली गई लेकिन मौके पर कोई कार्य नहीं हुआ है। इसी तरह इस ग्राम में उपस्वास्थ्य केन्द्र पर बाउंड्रीवाल व उपकरण के लिये एक लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी। राशि का भुगतान उठा लिया गया लेकिन मौके पर कोई कार्य नहीं पाया गया।

नियम 295 के तहत-3 मार्च, 2006-विशेष उल्लेख

अतः पंचायत समिति किशनगंज में हुये निर्माण कार्य सहरिया विशेष रोजगार कार्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर मौके पर हुये कार्यों का सत्यापन करवाया जाये ताकि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। सम्पूर्ण मामला जनहित का है।

(श्री हेमराज मीणा)
किशनगंज

बांदीकुई के गांवों में पेयजल संकट

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्षा कम होने एवं लगातार पानी के दोहन के कारण पानी का जलस्तर काफी नीचे चला गया जिससे तहसील के करीब 40-45 गांवों में पीने के पानी का भारी संकट पैदा हो गया। बांदीकुई, बसवा के लिए सरकार द्वारा 5.75 करोड़ रुपये की पीने के पानी की योजना स्वीकृत है जिसमें करीब आधा पैसा खर्च भी हो चुका है। इस योजना के तहत कस्बा बसवा को पीने का पानी सप्लाई किया जाना है। बसवा की आबादी करीब 20,000 के आसपास है जिसमें से 6,000 की आबादी मूल कस्बे में रहती है। बाकी 14,000 की आबादी ढाणियों में निवास करती है। इन ढाणियों की आबादी 500-600 के करीब है। मूल गांव में उपरोक्त पानी की योजना के तहत पानी सप्लाई किया जा रहा है लेकिन ढाणियों में व इसके साथ लगते हुए दो गांव जयसिंहपुरा व कालेड में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। बसवा पानी की योजना में इन ढाणियों को पाइप लाइन द्वारा पानी की सप्लाई करना अत्यंत आवश्यक है। इन ढाणियों में पानी की सप्लाई वास्ते अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता भी नहीं है।

साथ ही नांगल झामरवाड़ा – बिवाई व देलाड़ी-प्रतापपुरा पीने के पानी की स्कीम भी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक अपूर्ण पड़ी हुई है। इन स्कीम में स्वीकृत गांवों को शीघ्र पानी सप्लाई लाइनों से जोड़कर पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जावे।

मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

(श्री मुरारी लाल मीणा)
बांदीकुई

नियम 295 के तहत-3 मार्च, 2006-विशेष उल्लेख

मेड़ता के ग्रामीण इलाकों की सड़कों की दयनीय स्थिति

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र मेड़ता के कई गांवों में विलेज पोर्शन की सड़कों की हालत अत्यन्त दयनीय है जिससे आम नागरिक तथा छोटे वाहन वाले वाहन चालकों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इनमें प्रमुखतया निम्न गांवों में समस्या गम्भीर बनी हुई है। इनमें प्रमुख निम्न ग्राम आते हैं:- ग्राम रेण, भूरियासनी, बडगांव फालकी, रियोबड़ी, बड़ायली, कीटियां, भंवाल एवं करडया तथा बग्गड एवं अरनियाता आदि। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से मांग करता हूं कि उपरोक्ता वर्णित ग्रामों की विलेज पोर्शन की स़ड़कों का नवीनीकरण शीघ्र कराकर समस्याग्रस्त ग्रामीणों को राहत पहुंचाने की कृपा करें।

(श्री रामचन्द्र जारोड़ा)

मेड़ता

खनिज विभाग के दोहरे आदेश से हो रही असुविधा के सम्बन्ध में

महोदय, राज्य सरकार के खनिज विभाग ने दि. 27.10.05 को एक आदेश जारी कर अलवर, सीकर, झुंझुनूं एवं भरतपुर के लिए खनिज में सनरी स्टोन के खनन पट्टों के आवेदन हेतु मिनिमम 4 हैक्टेयर क्षेत्र निर्धारित करने के आदेश जारी किये गये जिस पर भरतपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने 4 हैक्टेयर के लिए आवेदन कर दिये। तत्पश्चात दि. 17 जनवरी, 2006 को पुनः दूसरा आदेश जारी कर 4 हैक्टेयर की शर्त को समाप्त कर पूर्व की भांति एक हैक्टेयर कर दिया जो स्वागत योग्य है। परन्तु 27.10.05 से 17.01.06 के मध्य जिन लोगों ने 4 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए आवेदन किये हैं उनके आवेदन निरस्त नहीं करे, उनसे रिवाइज्ड मैप एक हैक्टेयर का लेकर उनकी पत्रावली व जमा राशि का समायोजन नहीं करने से आवेदकों में भारी रोष व्याप्त है। अतः मैं माननीय खनिज मंत्री महोदय तथा सदन का ध्यान आकर्षित कर 27 अक्टूबर, 05 से 17 जनवरी, 06 के मध्य 4 हैक्टेयर के लिए किये गए आवेदनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर उन्हें भी एक हैक्टेयर क्षेत्र आबंटित करने का कष्ट करें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नगर

नियम 295 के तहत-3 मार्च, 2006-विशेष उल्लेख

जोधपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की मांग

महोदय, मैं माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जोधपुर नगर के समग्र विकास हेतु वर्ष 1960 में नगर विकास न्यास, जोधपुर का गठन किया गया था। वर्ष 1960 में जोधपुर नगर की जनसंख्या लगभग 2.20 लाख थी। जोधपुर नगर का प्रथम मास्टर प्लान वर्ष 1977 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर लागू किया गया था, जिसमें जोधपुर नगरीय क्षेत्र के 33 ग्रामों को शामिल किया गया एवं इसकी अवधि वर्ष 1996 तक निर्धारित की गई। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस मास्टर प्लान की अवधि 5 वर्ष और बढ़ा दी गई थी।

जोधपुर शहर के भौतिक विस्तार के साथ-साथ जोधपुर के विकास हेतु दो संस्थाएं नगर विकास न्यास, जोधपुर व नगर परिषद, जोधपुर कार्यरत थी, जिसमें से नगर परिषद को क्रमोन्नत कर नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। इसी क्रमोन्नत दायित्व के अनुसार निगम अपना योगदान दे रहा है। किन्तु नगर विकास से सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी संस्था नगर विकास न्यास अभी भी अपने सीमित संसाधनों से अपना दायित्व का निर्वाह करने का प्रयास कर रही है। किन्तु जोधपुर नगर के बढ़ते आकार के अनुपात में नगर विकास न्यास, जोधपुर समग्र विकास में अपनी आर्थिक स्थिति के कारण असुविधा का अनुभव कर रही है।

जोधपुर नगर का द्वितीय मास्टर प्लान वर्ष 2023 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 18 अगस्त, 2003 को स्वीकृत कर लागू किया गया है। उक्त मास्टर प्लान में जोधपुर नगरीय क्षेत्र के 72 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2.49 लाख एकड़ है। इस मास्टर प्लान को वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 22.00 लाख मानते हुए तैयार किया गया है। इस नये मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए नगर विकास न्यास, जोधपुर अपने सीमित संसाधनों के कारण सक्षम नहीं है। मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर विकास न्यास, जोधपुर को क्रमोन्नत कर सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर जोधपुर नगरीय विकास प्राधिकरण की तर्ज पर जोधपुर नगरीय विकास प्राधिकरण का गठन किया जाना आवश्यक हो गया है।

नियम 295 के तहत-3 मार्च, 2006-विशेष उल्लेख

मैं यहां उल्लिखित करना चाहता हूं कि जयपुर नगर विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 1982 में किया था, तब जयपुर शहर की जनसंख्या लगभग 10.00 लाख थी, जबकि जोधपुर नगर की जनसंख्या 10.00 लाख को भी पार कर चुकी है एवं नगर के भाव सुनियोजित विकास के लिए सक्षम एवं संसाधन युक्त विकास संस्था की प्रबल आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है। और इस आवश्यकता का समाधान जोधपुर नगरीय विकास प्राधिकरण का गठन होने से ही हो सकता है। अत: माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी से जोधपुर शहर ही नहीं अपितू सम्पूर्ण पश्चिमी राजस्थान की जनता की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर के समग्र विकास एवं आम जनता की ओर से निवदेन करना चाहता हूं कि जोधपुर के समग्र विकास एवं आम जनता की सुविधाएं अविलम्ब जोधपुर नगरीय विकास प्राधिकरण का गठन शीघ्र करवाया जावें।

धन्यवाद।

(श्री मोहन लाल मेघवाल)

सूरसागर

नोहर क्षेत्र में चल रहे किसान आन्दोलन

राजस्थान विधान सभा संचालन प्रक्रिया नियम 295 के तहत सदन का ध्यान मेरे क्षेत्र में 6/2/06 से चल रहे किसान आन्दोलन की ओर दिलाना चाहता हूं।

मेरे क्षेत्र के किसानों ने कई बार आन्दोलन व धरने दिये व मांगपत्र एस.डी.एम. व सिंचाई विभाग नोहर के अधिकारियों को देकर प्रदर्शन किये सरकारी अधिकारियों ने आश्वासन देकर किसानों के धरने उठवाये लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया।

अब किसानों में भयंकर आक्रोश है क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा है कोई अकाल सहायता केन्द्र शुरू नहीं किये हैं। नहरों में पानी की भयंकर कमी चल रही है नहरी क्षेत्रों में किसानों की बुवाई हो गई बाद में पानी न मिलने के कारण फसलें बरबाद हो रही हैं किसान कर्जे में डूबा हुआ है किसान की जमीन ट्रैक्टरों के लोन गिरवी पड़ी है। ट्रैक्टरों का लोन इतना बढ़ गया किसान अपना

ट्रैक्टर व जमीन भी बेचे तो भी लोन नहीं चुका सकता किसान भूमिहिन हो रहा है। किसानों ने 15 सूत्री मांग पत्र देकर नोहर में एस.डी.एम. कार्यालय के समक्ष दिनांक 6/2/06 से धरना चला रखा है। सरकार व सरकारी अफसरों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा किसानों की मांग है नहरों में पूरा पानी दिया जावे अकाल सहायता शिविर शुरू किये जावें।

सर्दी की वजह से किसानों की अरण्डी व सरसों की फसल सौ फीसदी खराब हो चुकी है इसका मुआवजा दिया जाये व अकाल सहायता शुरू करते हुए खेतों में डिग्गियां व कुण्ड बनवाये जाएं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में नोहर फीडर, सिद्धमुख केनाल, साहवा लिफ्ट केनाल सिंचाई योजना तीनों आयी हुई हैं लेकिन हरियाणा में पूरा पानी नहीं मिलने के कारण कहीं भी टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा। साहवा लिफ्ट योजना का सर्वे नहीं हुआ खाले नाले अभी तक नहीं बने किसान आपस में लड़ रहे हैं। किसानों की यह मांग है खाले पक्के बनवाये जाएं।

किसानों ने दिनांक 3/3/06 को नोहर बन्द का आहवान कर रखा है समय रहते इनकी मांगे नहीं मानी गई तो किसानों ने आमरण अनशन करने का नोटिस प्रशासन को दे रखा है इनकी मांगें नहीं मानी गईं तो यह आन्दोलन पूरे राजस्थान में भड़क सकता है। मेरा सदन से ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि मांगों का समाधान समय रहते शीघ्र करवाया जाने का श्रम करें।

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)
नोहर

नोखा रेफरल हास्पिटल को क्रमोन्नत करने बाबत

प्रक्रिया संचालित नियम 295 के तहत मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि नोखा की जो रेफरल हास्पिटल है उसको सौ बैडों की कराये जाने की अति आवश्यकता है। चूंकि यह हास्पिटल नेशनल हाइवे पर है, पूरी तहसील में दूसरी इतनी बड़ी हास्पिटल आस-पास नहीं होने के कारण पूरी तहसील के गांवों के ग्रामीण इसी हास्पिटल में आने के कारण इस हास्पिटल में काफी दबाव रहता है तथा आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि 100 बैड के हिसाब का भवन बना हुआ है और आपरेशन थियेटर भी बना हुआ है आपको

अतिरिक्त खर्च कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। श्रीमान नेशनल हाइवे पर होने के कारण काफी दुर्घटनाओं के केस इस अस्पताल में आते रहते हैं, व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी लोगों की जान चली जाती है। चूंकि इसके पास बीकानेर हास्पिटल में रेफर करने के अलावा कोई चारा नहीं है।

यह भी काफी समय से नोखा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोग रेफरल हास्पिटल को क्रमोन्नत कराया जाने की मांग करते आ रहे हैं। इसलिये मेरा आग्रह है कि इस अस्पताल को तुरन्त प्रभाव से 100 बैड की हास्पिटल क्रमोन्नत करने का कष्ट करें।

इसके अलावा मैनसर, दियातरा एवं दैसलसर नोखा विधानसभा के अति महत्वपूर्ण व बड़े गांव है इनमें अति शीघ्र PHC (प्राइमरी हैल्थ सेन्टर) की भी काफी पुरानी मांग है इसलिये मैनसर, दैसलसर, दियातरा में तुरन्त प्रभाव से PHC स्वीकृत करने का भी कष्ट करें। इसके साथ-साथ पांचू में भी PHC स्वीकृत है इसके लिये धन्यवाद लेकिन भवन नहीं होने से मरीजों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।

अतः मेरा आग्रह है कि पांचू में अस्पताल का भवन स्वीकृत करने की मांग करता हूं।

नाथूसर में PHC अस्पताल में डाक्टर काफी समय से नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि नाथूसर में भी डाक्टर की व्यवस्था करने की कृपा करें।

(श्री गोविन्दराम मेघवाल)

नोखा